खण्ड-269, अंक-4
शुक्रवार, 21 श्रावण, शक संवत् 1888
(12 अगस्त, 1966 ई0)

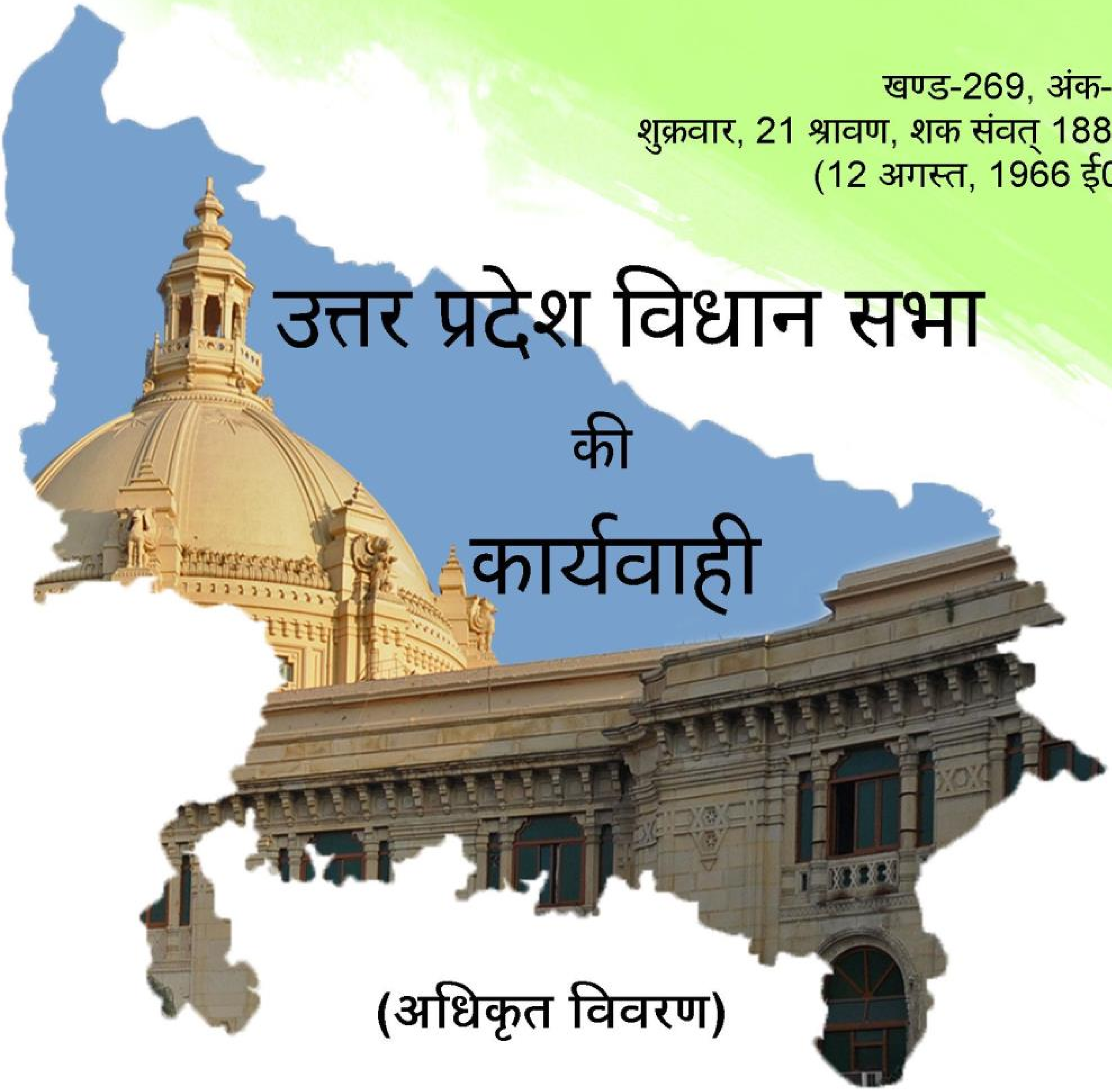

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 269 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
प्रश्नोत्तर	३०१–३२२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	३२२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ (मेज पर रखी गयी)	३२२
उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का १८ वां एवं १९ वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किये गये)	३२३
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के विद्यार्थियों की हड़ताल तथा पुलिस द्वारा पीटे जाने के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ को अन्तर्गत सूचनाएं	३२३–३२४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	३२४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं	३२४–३२५
प्रदेश में अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	३२५–३३३
मंत्रियों के लिये आचरण कोड	३३३–३४८
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव	३४८–३४९
विधान सभा सचिवालय पुनःसंगठन समिति का प्रतिवेदन तथा सदन के अवशेष कार्य	३४९–३५६
प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तु उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में संकल्प (जारी) ..	३५६–३५८
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विवादार्थ तिथि निर्धारण ..	३५८–३५९
प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के संबंध में संकल्प (जारी) ..	३५९–३६३
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (जारी)..	३६४–३८५
सर्वश्री उग्रसेन तथा रामसुन्दर पांडेय के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव (जारी)	३८५
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (जारी)..	३८५–३९३
सर्वश्री उग्रसेन तथा रामसुन्दर पांडेय के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	३९३–३९४
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	३९४–३९७
उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना दी गयी।) ..	३९७
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विवादार्थ तिथि निर्धारण ..	३९८
नत्थी	३९९

अवध विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंहविष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम सिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री

नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भैखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रमरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री

शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाशप्रकाश तथा गृह उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १२ अगस्त, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीतापुर तथा हरदोई जिले में सस्ते गल्ले के व्यापारियों का जमानत का रुपया

**१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित) तथा श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर व हरदोई की जो सस्ते गल्ले की दुकानें समाप्त कर दी गई हैं उन व्यापारियों के जमानत में जमा किया हुआ रुपये की वापसी क प्रार्थना-पत्र किन व्यापारियों ने दिया और उनमें से किन लोगों को धन वापस किया गया और किन व्यापारियों का धन अभी तक शेष है? यदि हां, तो क्यों?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

जिला सीतापुर :

समाप्त हुई सस्ते गल्ले की दूकानों के ८५ दुकानदारों ने जमानत के धन की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये। इनमें से ५८ दुकानदारों को जमानत का धन वापस कर दिया गया है। २३ दुकानदारों की जमानत वापस की जा रही है और शेष ४ में १ दुकानदार की जमानत जब्त हो गई है, १ की मृत्य के बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है, १ के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और १ विचाराधीन है।

जिला हरदोई :

समाप्त हुई सस्ते गल्ले के १८ दुकानदारों ने जमानत के धन के वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये, इनमें से १७ दुकानदारों के जमानत का धन वापस कर दिया गया है और शेष एक दुकानदार की जमानत का धन वापस करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री परमाईलाल—

क्या माननीय मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि उन २–३ दुकानदारों की जमानत कब तक वापस करने का विचार है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

बहुत जल्दी वापस कर दी जायगी, एक आध हफ्ते में ही वापस हो जायगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

जो २–३ दुकानदारों की जमानत अबतक वापस नहीं की इसका कारण क्या है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय वापस की जा रही है, मैंने कहा कि एक-आध हफ्ते में वापस हो जायगी।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि इस प्रकार से जिन दुकानदारों का जमानत का रुपया जमा है वह वापस कर दिया जाय इसके लिये उनकी कोई निश्चित नीति है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अभीतक तरीका यही रहा है कि जिसका जमानत का रुपया जमा होता है अगर उसके बाद उसकी दुकान कैन्सिल हो गयी है और उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो वह दरख्वास्त देता है फिर वह रुपया वापस हो जाता है।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन तीन दुकानदारों की जमानत अभी वापस नहीं हुई उन्होंने कब दरख्वास्त दी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद की मांगें

**२—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि उन्हें बीड़ी उद्योग कर्मचारी यूनियन, इलाहाबाद की ओर से १० जून, सन् १९६६ को १२ अगस्त, १९६६ तक अपनी मांगें पूरी न होने के कारण डाइरेक्ट ऐक्शन और भूख हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ है ? सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां। १२ अगस्त, १९६६ नहीं बल्कि १० जुलाई, १९६६ के पहले यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो यूनियन ने११ जुलाई, १९६६ से जिलाधीश, इलाहाबाद के कार्यालय के सन्मुख अनशन करने और १२ जुलाई, १९६६ को जलूस निकाल कर सहायक श्रमायुक्त, इलाहाबाद और जिलाधीश, इलाहाबाद के कार्यालयों के सन्मुख शान्तिमय प्रदर्शन करने का निश्चय प्रकट किया था। इस संबंध में सरकार को यूनियन ने एक पत्र भी २२ जून, १९६६ को भेजा था। सरकार की ओर से यूनियन के मंत्री को सलाह दी गई कि वह किसी प्रकार का अवैधानिक कार्य न करें और न जिलाधीश के सामने ११ जुलाई, १९६६ से कोई अनशन किया जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा है कि उन्होंने बीड़ी मजदूर यूनियन के सेक्रेटरी और कर्मचारियों को यह सलाह दी है कि वे अवैधानिक कार्य न करें, तो क्या वे बतायेंगे कि जब इलाहाबाद बीड़ी कर्मचारी यूनियन की जानिब से भूख हड़ताल का नोटिस ११-७-६६ को मिल गया था तो उनकी मांग पूरी कराने के लिये उन्होंने क्या किया?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जहां तक उनकी मांगों का सवाल है ऐसी हैं जो प्रदेशीय सरकार पूरा नहीं कर सकती है। जैसे कि वेज बोर्ड की स्थापना करना, यह विषय केन्द्रीय सरकार का है। अभी जब श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था तो यह प्रश्न विचाराधीन था और वेज बोर्ड केन्द्रीय सरकार नियुक्त करती है। उनकी दूसरी मांग यह थी कि बीड़ी बनाने की मजदूरी बढ़ा दी जाय। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि १ जुलाई, १९६५ को बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की मजदूरी रिवाइज की गई थी। इसके बाद यह मांग की गई है। यह उद्योग ऐसा है जिसका सीधा संबंध मध्य प्रदेश तथा अन्य सूबों से है। इससे माननीय सदस्य ने सहमति प्रगट की थी कि यदि दूसरे प्रदेशों से हमारे समान मजदूरी नहीं होगी तो हमारे यहां का उद्योग बंद हो जायेगा। इसलिये जब तक केन्द्रीय स्तर पर गौर न किया जाय तब तक यह सम्भव नहीं है। जहां तक बोनस देने का सवाल है उसके लिये हमने आज्ञा दे दी है। साप्ताहिक छुट्टी के लिये भी हमने आदेश दे दिये हैं और जहां उल्लंघन किया जाय वहां प्रासीक्यूशन किया जाय। जहां यूनियन श्रम विभाग के सामने यह चीज लायेगा तो उसको पूरा करने का जरूर प्रयास किया जायगा। एक मांग उनकी यह थी कि बीड़ी का पत्ता खोलकर दिया जाय। इसके लिये भी आदेश दे दिये हैं कि पत्ता उनके सामने खोल कर दिया जाय। एक मांग उनकी यह थी कि जो बीड़ी रिजेक्ट हो जाती हैं उसकी मजदूरी उनको दी जाय। सेवा आयोजकों ने इससे इंकार किया है कि रिजेक्टेड बीड़ी वे इस्तेमाल करते हैं। सारी मांगों के संबंध में यूनियन के प्रतिनिधियों को बता दिया गया है। जो भी गवर्नमेन्ट कर सकती थी बराबर उनकी मांग पर विचार किया गया। जैसा कि मैंने बताया कि १ जुलाई, १९६५ को उनकी मजदूरी रिवाइज की थी जिसमें सेवा आयोजक और मजदूरों के प्रतिनिधि भी शामिल थे और रिपोर्ट सर्व सम्मत थी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात का हवाला दिया है कि जब वे दिल्ली गये थे और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में बात हुई थी तो क्या उन्होंने हमारी मांग बीड़ी की मजदूरी प्रति हजार

३.५० रुपये करने के संबंध में बातचीत की थी और जो बीड़ी मजदूरों के संबंध में बिल राज्य सभा में पास हो गया है और लोक सभा में आने वाला है उसके संबंध में उनको जानकारी है कि मजदूरों के लिये क्या किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

बिल आनेवाला है इसकी जानकारी यह नहीं करा सकेंगे ।

श्री बनारसीदास—

३.५० रुपये प्रति हजार बीड़ी की मजदूरी के बारे में बातचीत हुई थी । इसके बारे में वेज बोर्ड मुकर्रर किया जाय । केन्द्रीय सरकार एक सा कानून बनाये । इस पर उन्होंने कहा था कि यह प्रश्न उनके विचाराधीन है कि तमाम प्रदेशों के मजदूरों के लिये एक सा वेतन निर्धारित किया जाय ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि उन्होंने जो मांगें की थीं, उसमें यह भी था कि सन् ६२ के बोनस ऐक्ट में संशोधन किया जाये और रिजेक्टेड बीड़ी की मालिक मजदूरी मजदूरों को नहीं देते हैं, लेकिन मालिक उसको मार्केट में बेंच लेते हैं, उन्हें रिजेक्टेड बीड़ियों की मजदूरी दी जाये । तो इस संबंध में मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की कि बोनस ऐक्ट में सुधार किया जाये और रिजेक्टेड बीड़ी का उनको दाम दिलाया जाये ?

श्री बनारसीदास—

यह कानून में परिवर्तन करने का सवाल तो है नहीं । रिजेक्टेड बीड़ी के बारे में मालिक तो कहते हैं कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं । यदि इस संबंध में कोई विशेष प्रश्न होगा और उनका इस्तेमाल होता हुआ पाया जायेगा तो उनकी मजदूरी मजदूरों को जरूर दिलाई जायेगी । कानून में बना हुआ है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि एक रुपया बारह आना और एक रुपया चौदह आना प्रति हजार बीड़ी का रेट तय किया गया है, किन्तु उसके अनुसार हमारे जिले झांसी में बीड़ी मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है, जिसकी शिकायत मैंने कई बार लिखकर दी है । यही नहीं, बीड़ी की तम्बाकू उनको खराब और कम दी जा रही है और उन्हें घटे सड़े हुये दिये जा रहे हैं । उन्हें किसी भी हालत में १ रुपया आठ आना से ज्यादा मजदूरी नहीं दी जा रही है । तो क्या इन दोनों कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपने कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो इलाहाबाद का सवाल है ।

श्री लखपतराम शर्मा—

झांसी में ही नहीं वहां भी यह शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष—

रिजवी साहब, क्या आपके यहां भी यह शिकायत है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

जी हां ।

श्री बनारसीदास—

यह सही है कि विज्ञप्ति के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र और कैन्टूनमेंट एरिया में १ रु० ८७ पैसे और दूसरी जगह पर १ रु० ७५ पैसे का प्रति हजार बीड़ी का रेट है। यदि कानून के अनुसार कार्य नहीं होता है तो उनको शिकायत देनी चाहिये उनका प्रासीक्यूशन किया जाएगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जौनपुर में भी बीड़ी का बड़ा कार्य होता है और हजारों कार्यकर्त्ता इसे करते हैं, लकिन वहां पर भी आज तक १ रु० ८७ पैसे प्रति हजार का रेट नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी उन बीड़ी कार्यकर्त्ताओं को १ रु० ८७ पैसा प्रति हजार दिलवाने का कष्ट करेंगे? जहां पर भी इस प्रकार की शिकायत है तो बीड़ी मजदूरों को चाहिये ऐसे सेवायोजकों के खिलाफ शिकायत करें, उनका प्रासीक्यूशन किया जायेगा। यदि माननीय सदस्य भी इस प्रकार की शिकायत देंगे तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या माननीय मंत्री जी को अपना वह आश्वासन याद है जो उन्होंने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि जो कारखानेदार राष्ट्रीय छुट्टी सवेतन और बोनस आदि नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? तो मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री के निधन के अवसर पर उनको दो दिनों की सवेतन छुट्टियां दी गईं? क्या उनको जानकारी है कि पूरे प्रांत में किसी कारखाने में किसी कारखानेदार ने इस समय पर सवेतन छुट्टी दी है? यदि नहीं, तो क्या उन्होंने किसी मालिक के खिलाफ कार्यवाही की है?

श्री बनारसीदास—

जहां तक स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री के निधन पर छुट्टियों के आदेश का प्रश्न है, वे गवर्नमेंट कार्यालयों और कारखानों तक ही सीमित थे और यह भी थी कि कोई इसके अतिरिक्त अपने कारखाने या कार्यालय में इस प्रकार का कार्य न करे तो कोई ऐक्शन नहीं लिया जा सकता था। इसलिये अगर किसी ने छुट्टी नहीं दी तो वह ऐक्शनेबिल नहीं है। जहां तक साप्ताहिक छुट्टी का सवाल है उसके लिये विज्ञप्ति में दिया है कि जो पूरे दिन काम करते हैं उनके लिये साप्ताहिक छुट्टी का विधान है। उसके लिये कानून मौजूद है। अगर उसका उल्लंघन किसी ने किया है तो मशीनरी जो उसके लिये नियुक्त है उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी ने काम नहीं किया है उनके खिलाफ सरकार से शिकायत की जा सकती है लेकिन मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आयी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[५वें सोमवार को प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थान्तरित किया गया।]

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर में विज्ञान शिक्षा

*२—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ११ लाख आबादी वाले जिला फतेहपुर में किसी सरकारी या गैर-सरकारी हाई स्कूल या इंटरमीडियेट स्कूल में

कन्याओं को विज्ञान पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है ? क्या राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर में विज्ञान कक्षायें भी चालू करने के लिये प्रश्नकर्त्ता ने शिक्षा मंत्री महोदय को लिखा था ? यदि हां, तो उक्त कक्षायें क्यों नहीं खोली गईं ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

फतेहपुर जिले में बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिये वैज्ञानिक वर्ग में हाई स्कूल एवं इंटर कक्षाओं में विज्ञान वर्ग के विषयों की शिक्षा के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं।

जी हां। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फतेहपुर में इस वर्ष कक्षा ९ में वैज्ञानिक वर्ग के समावेश के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मंत्री जी मेरी इस जानकारी को सत्य मानते हुए कि फतेहपुर जिले के किसी भी यहां तक कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी किसी छात्रा को इंटरमीडियेट और हाई स्कूल में विज्ञान की शिक्षा के लिये भर्ती नहीं किया गया है, इसकी कोई जांच करावेंगे और कम से कम राजकीय विद्यालय में कन्याओं को भरती कराने के लिये सुविधा देंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने तो निवेदन कर दिया कि राजकीय विद्यालय में नवीं कक्षा में विज्ञान की कक्षा प्रारम्भ कर दी गयी है।

श्री दीपनारायणसिंह—

मेरा प्रश्न यह है कि आप किसी विद्यालय का नाम फतेहपुर जिले में बता दीजिये जहां लड़कियों को हाई स्कूल और इंटर में विज्ञान की शिक्षा दी जा रही हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूची तो मेरे पास नहीं है लेकिन पाबन्दी कहीं किसी बालिका को बालकों के विद्यालयों में पढ़ने की नहीं है।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बहुवा और विन्दकी में जहां राजकीय कन्या विद्यालयों की स्थापना की है वहां भी कन्याओं के लिये विज्ञान की शिक्षा की सुविधा दिलायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विचार करके ही ९वीं कक्षा में आरम्भ किया है।

श्री दीपनारायणसिंह—

माननीय मंत्री जी की कृपा के लिये तो आभारी हूं लेकिन मैं उनको यह जानकारी दिलाना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सूचना दी है कि इंटरमीडियेट में विज्ञान की भरती के लिये सुविधा रोक दी गयी है, क्या उसकी जानकारी कराकर आदेश भेजेंगे कि फतेहपुर जिले में लड़कियों की भरती की जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्यों की जानकारी में जो बातें हैं अगर वह लिख कर देंगे तो मैं जानकारी कराऊंगा।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की मांग

*३—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पूर्वी जनपदों से यह मांग उनके सामने उपस्थित की गई है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जावे जिससे कि उसे सीमा क्षेत्र में कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोले जा सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां ।

*४—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोले जाने की रुकावट के कारण उसके अन्तर्गत वे जनपदों के शिक्षार्थियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई आ गई है, क्योंकि गोरखपुर और वाराणसी के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षाओं में प्रवेश पाना कठिन हो गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

*५—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री उपरोक्त स्थिति में गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में ऐसा संशोधन करने का विचार कर रहे हैं जिससे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज उसके अन्तर्गत डिग्री क्लासेज खोले जा सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो जनपद डिग्री कालेज है उनमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज की अनुमति न होने के कारण उच्च शिक्षा में कठिनाइयां पड़ रही हैं। पूर्वी जनपद में तो उनके इस उत्तर का क्या आधार है ? मेरी सूचना है कि ५२ और साढ़े ५७ प्रतिशत विद्यार्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं पा रहे हैं इसलिये इतनी अधिक भीड़ है ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, यह जो प्रवेश की कठिनाई है यह तो और क्षेत्रों में भी है केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय क्षेत्र की बात नहीं है किन्तु यह उत्तर देने का आधार यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में २ वर्षों में हमने सीट की बढ़ौत्तरी दुगुनी कर दी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन कितने पोस्ट ग्रेजुएट के लिये सीट सुरक्षित हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं में फिजिक्स की २० से ४०, कैमिस्ट्री की ३० से ६०, बोटनी की २० से ४० और जुलाजी में २० से ४०, सीट कर दी हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वाराणसी और फैजाबाद डिवीजन के सभी जनपदों के जो डिग्री कालेजेज हैं उनका एफिलियेशन करने का अधिकार रखता है और यह अपने प्रदेश की लगभग ३ करोड़ की आबादी हो जाती है, यह एफिलियेशन इस यूनिवर्सिटी से इसलिये रखा गया है कि इन सारे पूर्वी जनपदों में उच्च शिक्षा का विस्तार हो सके ? तो क्या मंत्री जी को यह अनुभव नहीं होता कि उच्च शिक्षा की पूर्वी जनपदों में कमी हो रही है और उसका स्तर प्राप्त नहीं हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के विषय में दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि उनका स्तर अच्छा होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि उसकी उपलब्धि भी होनी चाहिये। अब इन दोनों चीजों के बीच पहली का होना आवश्यक रहता है। यह बात माननीय सदस्य की जानकारी में होगी कि पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ऐसी नहीं है जैसा कि शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि जो प्रत्येक के लिये उपलब्ध हो।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यदि ऐक्ट के संशोधन में देर हो तो उस अवधि में जौनपुर में ऐसे विद्यालय जहां पर ३ हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको कानपुर विश्वविद्यालय से एफिलियेट करने की कृपा करेंगे जिससे पोस्ट ग्रेजुएट कक्षा खुल सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसमें बहुत सी बातें हैं जो अधिनियम में संशोधन के बिना मुश्किल हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

जैसा माननीय मंत्री जी ने शिक्षा शास्त्रियों की जानकारी के विषय में बताया कि उनकी भी यह राय है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा शास्त्रियों की जानकारी की सावधानी गोरखपुर, बनारस, और फैजाबाद डिवीजन में ही बरतने के लिये है या दूसरी जगह के लिये भी है और क्या दूसरी जगह स्नातकोत्तर कक्षाय खोली गई हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—

सभी जगह बरती जानी चाहिये लेकिन यह विषय भी विचाराधीन रहता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

यह देखते हुए कि विश्वविद्यालय में भर्ती का प्रश्न हर जगह एक गम्भीर प्रश्न है, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालयों में वही छात्र भरती किये जायं कि जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हों और क्या सरकार विचार करेगी कि नीचे की शिक्षा प्राप्त कर आये हुए विद्यार्थियों में से जो सेकेंड डिवीजन में आये हों केवल उनको ही विश्वविद्यालयों में भर्ती किया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं वे महत्वपूर्ण हैं, गम्भीर हैं और विचार करने योग्य हैं।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कालेजेज का स्तर काफी अच्छा है, जिन का परीक्षाफल और अध्यापकों का स्तर भी काफी अच्छा है उनमें वे पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे क्षमा किया जाय, मैं इतना लम्बा प्रश्न समझा नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव—

कोई निश्चित मापदण्ड है जिसके आधार पर आप पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं यह कानून के खिलाफ नहीं हो सकता ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वह तो अधिनियम ही उसके लिये आज्ञा नहीं देता और जिन विश्वविद्यालयों में अधिनियम आज्ञा देता है वहां के विश्वविद्यालय अपना मापदण्ड रखते हैं, वे उन कालेजेज का निरीक्षण कराते हैं और तब उपकुलपति महोदय को सिफारिश करते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

जिस प्रकार मेरठ और कानपुर विश्वविद्यालय कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति देकर आशा रखते हैं कि उनका स्तर बना रहेगा, उसी प्रकार क्या पूर्वी जनपद में कालेजों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति सरकार प्रदान करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि वास्तव में स्नातकोत्तर शिक्षा का विषय काफी विचारणीय है और यह बात अपनी जगह ठीक नहीं प्रतीत होती कि एक तरफ के विश्वविद्यालयों को अनुमति हो और दूसरी तरफ के विद्यालयों को न हो । किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया, यह शिक्षा के सिद्धांत का प्रश्न है और एक यूनिवर्सिटी कमीशन बैठा था, जिसकी रिपोर्ट तमाम देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली है, उसकी रिपोर्ट आने पर, उस पर विचार करने के उपरान्त कोई कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने केवल सेकिंड क्लास वालों को विश्वविद्यालयों में लेने की बात कही है, तो क्या थर्ड क्लास वाले एम०एल०ए० बनाये जायेंगे अथवा कहां जायंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट में इस बात की व्यवस्था है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी रहे और उसके कैरेक्टर को किसी तरह से छिन्न-भिन्न न किया जाय । इसके बारे में गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव ने भी अपना मत व्यक्त किया है । मैं जानना चाहता हूं कि आप उसके बाद इसके रेजीडेंशियल को कायम रखते हुए भी क्या दूसरे कालेजेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की अनुमति देंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो स्पष्ट प्रश्न ५ के उत्तर में कह चुका कि यह सब बात विचाराधीन है कि उसमें संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा और यह भी कह चुका हूं कि जो रिपोर्ट आ रही है वह सभी चीजों पर प्रभावी होगी ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आगरा यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्षेत्रों के अन्तर्गत कितने कालेजेज में पोस्ट-ग्रेजुएट की शिक्षा के लिये क्लासेज खोले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो मानते हैं कि क्लासेज खोले हैं और खोलते रहेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि यह असंगत मालूम होता है कि एक यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत जो कालिज हैं उनमें एम० ए० की शिक्षा न दी जाय और दूसरी यूनिवर्सिटी में दी जाय—असंगति वह मानते हैं।

श्री ऊदल—

असंगति है तो मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्षेत्र के अन्तर्गत १४ जिले आते हैं और उसके अन्दर बहुत से कालेजेज हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर क्यों नहीं विचार करते हैं कि प्रदेश के स्तर पर इस को देखें।

श्री अध्यक्ष—

वह विचार करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञान है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लगभग ५० डिग्री कालेजेज हैं और उनमें प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के ग्रेजुएट होने की तादाद हजारों के करीब है जिसमें चूंकि यूनिवर्सिटी केवल एक है पोस्ट-ग्रेजुएट्स के लिये तो ५५ फीसदी हमको जानकारी है कि दाखिल नहीं हो पाते हैं और पश्चिमी जिलों में भी विद्यार्थी जाते हैं और भटक कर चले आते हैं। क्या इस प्रकार की व्यवस्था यथाशीघ्र करेंगे कि ४५, ५० या ६० फीसदी पर पास हुए ग्रेजुएटों को पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा सुलभ हो सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, कुछ कठिनाइयां हैं इसलिये इस बात पर विचार हो रहा है, इसीलिये प्रश्न ५ का उत्तर इसी तरह दिया गया वरना यह उत्तर दिया जाता कि कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

*६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

राज्यकर्मचारियों की मांगें

*७—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस समय राज्य कर्मचारियों का जो आन्दोलन महंगाई भत्ता तथा छटनी के संबंध में चल रहा है उसकी मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राज्य कर्मचारियों की मांग यह है कि इनका महंगाई-भत्ता उतना बढ़ा दिया जाय जितना कि भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये बढ़ाया है। इस विषय में सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा सदन में अगस्त ४, १९६६ को कर दी है जिसके अनुसार २९९ रु० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ५ रु० प्रति माह और ३०० रु० से ९०० रु० प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ८ रु० प्रतिमाह की तदर्थ वृद्धि महंगाई भत्ते में १ अगस्त, १९६६ से दी गई है।

राज्य कर्मचारियों की यह भी मांग है कि उनकी कोई छंटनी न हो। सरकारी खर्च में कमी करने के लिये जो निर्णय लिये गये हैं उनके फलस्वरूप कुछ पद अनावश्यक हो गये हैं। पर छटनी से आने वाले कर्मचारियों के कष्ट का ध्यान रखते हुए सरकार ऐसे कर्मचारियों को यथा संभव अन्य नये या खाली हुए पदों पर रखने का प्रयत्न करती रहती है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस उत्तर के देखने से यह लगता है कि जो यह महंगाई का भत्ता बढ़ा है वह न तो न्याय-संगत है, न तर्क-संगत है। ५ रुपया जो बढ़ा २९९ तक वालों के लिए वह कुछ नहीं है और ९०० वालों तक के लिए जो ८ रुपया बढ़ा है कोई अर्थ नहीं रखता। दूसरे छटनी भी करना चाहते हैं और असंतोष बढ़ रहा है और सरकारी कर्मचारी जैसा कि रोज पढ़ने में आ रहा है शायद इसे स्वीकार भी न करें। साथ ही माननीय चरणसिंह जी की रिपोर्ट भी सामने है तो इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि नीचे के कर्मचारियों से ऊपर चलते हुए महंगाई-भत्ता इस प्रकार बढ़ाया जाय जोकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाय या उन्हें संतोष हो जाय?

और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार छटनी को एव्वायड करने के लिए ऊपर की सर्विसेज को कम कर के और खर्चों में कमी करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस बारे में माननीय सदस्यों को बहुत स्पष्ट कर दिया गया है जिस वक्त इस भत्ते का निर्णय यहां किया गया था। कठिनाइयां हो सकती हैं और हैं, किन्तु प्रदेश के साधनों को भी देखना पड़ता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय वित्त मंत्री को यह अहसास हुआ है कि सरकार ने जो महंगाई-भत्ता बढ़ाया है उसे कर्मचारियों ने पहली सितम्बर को लेने से इनकार कर दिया है और यदि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया तो २८ सितम्बर से वे फिर अपना आन्दोलन शुरू कर देंगे?

श्री कैलाशप्रकाश—

सम्भव है सचिवालय में इसकी कोई सूचना हो, मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

इस महंगाई-भत्ते से राज्य कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या सरकार सन् १९६१ की कीमतों को लाने का प्रयास करेगी जिस से कि यह महंगाई-भत्ता न देना पड़े?

श्री कैलाशप्रकाश—

केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार दोनों इस चेष्टा में हैं कि कीमतें अधिक न बढ़ने पायें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार के भत्ते में और राज्य सरकार के भत्ते में क्या अन्तर है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, काम जब कि रोज बढ़ता जा रहा है तो सरकार कैसे यह कहती है कि बहुत से पद अनावश्यक हो गये हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

कई बार इस माननीय सदन में कहा गया है कि बचत होना चाहिये। बचत करने का ही प्रयास किया जा रहा है और उस में कुछ पदों का समाप्त करना भी हो सकता है।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अदीक्षित अध्यापकों का वेतन

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़), श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के अधीन काम करने वाले लगभग ७०० अप्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन फरवरी, १९६५ से आज तक बाकी है और जिला परिषद् कार्यालय पर कई सौ अध्यापकों द्वारा २८ जून को २४ घंटे का वेतन के लिये अनशन भी हुआ था?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां, लगभग ४०० अदीक्षित अध्यापकों का वेतन फरवरी, १९६५ से नहीं दिया जा सका है।

२८ जून, १९६६ से २९ जून, १९६६ तक २४ घंटे लगभग १०० अध्यापकों ने अनशन किया था।

*९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री दौलतलाल, श्री मंगलदेव तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कई सौ अप्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा जिला परिषद्, आजमगढ़ के कार्यालय पर ५ जुलाई से १५ जुलाई, १९६६ तक घेरा बन्दी की गयी थी और फलस्वरूप परिषद् का सारा काम ठप रहा और माननीय मुख्य मन्त्री जब वे आजमगढ़ १५ जुलाई को गई थीं तो उनके आश्वासन पर घेरा बन्द समाप्त हुई, पर अब तक वेतन नहीं दिया गया है? वेतन न मिलने के कारण अध्यापकों के घरों में उपवास हो रहा है?

श्री कैलाशप्रकाश—

लगभग १५० अध्यापकों द्वारा ५ जुलाई, १९६६ से १२ जुलाई, १९६६ तक परिषद् के कार्यालय की घेराबन्दी रही।

घेराबन्दी के प्रथम तीन दिन कार्यालय का काम सुचारु रूप से न चल सका। तत्पश्चात् ९ व १० जुलाई को छुट्टी रही और ११ व १२ जुलाई को कार्यालय में काम हुआ।

घेराबन्दी १२ जुलाई को समाप्त हो गई थी। अतः मुख्य मन्त्री के आश्वासन पर घेराबन्दी समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री दौलतलाल, श्री मंगलदेव तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रकार के अध्यापकों के वेतन के सम्बन्धित कागजात सरकार के विचाराधीन महीनों से हैं? यदि हां, तो अब तक निर्णय न दिये जाने का कारण क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। चूंकि संबंधित अध्यापकों की नियुक्ति में अनियमिततायें बताई गई हैं ऐसी स्थिति में इनके वेतन देने में कानूनी अड़चनें हैं जिन पर अभी भी विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५-४-१९६६ को उन्होंने सदन में उत्तर दिया था कि चार सौ अध्यापकों का आठ महीने का बिल बन चुका है और शेष महीनों का बिल बन कर शीघ्र ही वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि हां, तो आज जो उत्तर दिया गया उस को सही मानें या इसको सही माना जाय?

श्री कैलाशप्रकाश—

कोई बहुत असंगति तो इसमें नहीं मालूम होती। यहां जो उत्तर दिया था वह यह था कि ये चेष्टा की थी कि इनका बिल बने और भुगतान हो जाय लेकिन जब चीज पूरी होती है और शासन का काम आप जानते हैं एक दूसरे का उत्तरदायित्व होता है। यह नियमित है या अनियमित है। यह नहीं कहा जा सकता। जब यह काम होता है तो पता चलता है कि यह अनियमित हो रहा है। उसी के लिये यह चीज कही गई है कि इस अनियमितता को हटा कर काम पूरा किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन अध्यापकों की नियुक्ति में कौन-कौन सी अनियमिततायें हुई हैं जिनके द्वारा १८-१९ महीनों का वेतन उनका रोक रक्खा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कितनी बड़ी संख्या है अध्यापकों की उसका पूरा ब्यौरा नहीं है। अनियमिततायें ये हैं कि जितनी कम से कम अर्हता होनी चाहिये थी किन्हीं में वह नहीं है। कुछ न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिये उससे भी नीचे है और कुछ जो अधिकतम रक्खी जाती है उससे भी अधिक है। इस तरह की अनियमिततायें बढ़ती गई हैं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जब यह स्वीकार करते हैं कि अध्यापकों को वेतन नहीं मिला तो इस बात के औचित्य को देखते हुए क्या अपने द्वारा जिला परिषदों को दी गई ग्रान्ट्स को काट कर अध्यापकों का वेतन देने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, वह तो ठीक है ही लेकिन एक अधिनियम भी होता है उसके अन्दर जिसको अधिकार होता है। सब से बड़ी परेशानी यही है कि ये अनक्वालिफाइड शिक्षक रक्खे हुये हैं वे काम करते चले जाते हैं। उनकी योग्यता है या उम्र ज्यादा है या कम है, ठीक तरह से नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि उसमें यह अधिकार अध्यक्ष का होता है तथा माननीय सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है कि शासन ने जब यह बात अनियमित देखी तो अध्यक्ष को मुअत्तल किया। लेकिन वे हाई कोर्ट चले गये। हाई कोर्ट में रिट लगी है। उनको वहां फिर बना दिया गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो अनियमिततायें हैं उनको दूर कर के किस तरह से मामले को सुलझायें। उनके मानने की भी तो बात है नहीं।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जिन अध्यापकों को अध्यक्ष ने रखा उनसे अधिक योग्यता के प्रार्थी मौजूद थे मगर वे उनकी पार्टी के नहीं थे इसलिये नहीं रखे ।

श्री अध्यक्ष—

वह स्वयं कहते हैं कि रखे हुए अप्रशिक्षित हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि १५ अगस्त को मुख्य मंत्री आजमगढ़ गईं, अध्यापकों ने उन्हें प्रार्थना-पत्र दिया और उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कराने का आश्वासन दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

यह ठीक है किन्तु वैधानिक कठिनाइयों को दूर करके ही कुछ हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[६ ठें बुधवार के लिये प्र० सं० १३–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हैदरगढ़-महाराजगंज मार्ग का सर्वेक्षण

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप सचिव सा० नि० विभाग के पत्र संख्या ५०९२-ई०/२३१-पी० डब्लू० डी०, दिनांक २८ जनवरी, १९६६ को प्रश्नकर्ता को सूचित किया था कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़-महराजगंज का सर्वेक्षण कर, आगणन तैयार करने का आदेश दे दिया गया है तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस मांग का सर्वेक्षण कर आगणन तैयार किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कितना धन व्यय होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

जी नहीं। अभी सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् आगणन तैयार किया जायगा। आगणन के तैयार हो जाने पर ही इस मार्ग के निर्माण कार्य की लागत बताना सम्भव होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

किन बातों का सर्वेक्षण हुआ और किन का बाकी है और वह कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सर्वेक्षण में सड़कों की लम्बाई, अलाइनमेंट इत्यादि होते हैं। आशा है कि अगले महीने के मध्य तक सर्वेक्षण का काम खत्म हो जायगा और उसके बाद २ महीने में आगणन तैयार हो जायगा।

शिवली-विधनू सड़क

*४—सर्वश्री रघुनाथ (जिला बलिया), झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), रामसुन्दर शास्त्री तथा रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री चौथी पंचवर्षीय योजना में कानपुर जिलान्तर्गत शिवली से विधनू जाने वाली सड़क को पक्की सड़क में परिवर्तित करने के लिये प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सरकार द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकता के सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह सड़क पहली प्राथमिकता के योग्य नहीं है। जिला परिषद् कानपुर ने भी इस सड़क को कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की है।

रायपुर कठार ग्राम में गलत इन्दराज के विरुद्ध कार्यवाही

*५—सर्वश्री दीपनारायण सिंह, झारखण्डे राय (अनुपस्थित), प्रेमसिंह तथा रघुवीर राम—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांव रायपुर कठार, परगना व जिला कानपुर की गांव सभा की आराजी संख्या ३०७/२, २३, १०१ पर प्रधान, लेखपाल, सुपरवाइजर कानूनगो ने मिल कर सन् १३७३ फसली में भ्रष्टाचार के बल पर दोषपूर्ण अध्यासन कराकर सरकारी लगान की आय की क्षति पहुंचाई है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारियों को पदच्युत करने की कृपा करेगी?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

जी नहीं। केवल इतनी जानकारी है कि लेखपाल तथा सुपरवाइजर कानूनगो ने इस ग्राम के कुछ खेतों पर जिनमें खेत नं० २३ व १०१ भी सम्मिलित हैं। १३७३ फ० की परताल में नियम विरुद्ध इन्दराज किये थे जिन्हें परगनाधिकारी ने खारिज कर दिया है। लेखपाल तथा सुपरवाइजर कानूनगो के विरुद्ध परगनाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रेमसिंह—

जो उत्तर मिला है वह पढ़ा नहीं जाता। दूसरे से पढ़वाया था।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके जो प्रति दी जाय वह स्पष्ट होनी चाहिये।

श्री प्रेमसिंह—

जिन्होंने गलत इन्दराज किये, यानी पटवारी व कानूनगो, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

लेखपाल को निलम्बित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही हो रही है। सुपरवाइजर के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रेमसिंह—

पटवारी के खिलाफ २१८ का केस चलाया गया या नहीं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

निलम्बित किया गया और विभागीय कार्यवाही जारी है।

श्री प्रेमसिंह—

कानूनगो को मुअत्तल किया गया या नहीं? यदि हां, तो कब और उनका तबादला करेंगे या नहीं?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अभी तो विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

पटवारी ने पड़ताल गलत की या कैफियत के खाने में गलत नाम लिखा?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इंदराज गलत साबित हुआ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

२१८ का मुकदमा चलाने में सरकार को क्या हिचक है ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि वह निलम्बित कर दिया गया, आगे कार्यवाही हो रही है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

गांव सभा की सम्पत्ति को उन्होंने क्षति पहुंचाई तो उन्हें बरखास्त क्यों नहीं किया गया ? यह निलम्बित कुछ नहीं हैं, अध्यक्ष जी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

गलत इंदराज को तो खारिज कर दिया गया। जांच के बाद अगर बरखास्तगी के लायक जुर्म पाया जायगा तो बरखास्त भी हो सकता है।

सैदपुर का पैण्टून ब्रिज

*६—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सैदपुर मुकाम पर कोई पैण्टून का पुल मंजूर हुआ है? यदि हां, तो कब और कितनी लागत से कब तक बन जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस पुल का निर्माण-कार्य अगस्त, १९६४ में १४,३०,१०० रु० (चौदह लाख, तीस हजार एक सौ रुपए) की लागत पर स्वीकृत हुआ था। इस कार्य के दिसम्बर, १९६७ तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

*७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार गाजीपुर जिले में जो सैदपुर भीतरी रोड है उसको शादियाबाद तक बना कर गाजीपुर-बहरियाबाद रोड से मिलाने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि पीपे का पुल बनने में विलम्ब क्यों है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

एम० एस० प्लेट्स का हिन्दुस्तान स्टील को आर्डर दिया गया था। वह नहीं मिल पाये और इसलिये पीपे नहीं बन पाये।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि इलाहाबाद में हजारों पीपे बेकार पड़े हैं ? इन्हें काम में क्यों नहीं लाया जाता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

बेकार तो एक भी पीपा नहीं पड़ा है।

शिवराम गोपीराम प्रतिष्ठान, बलिया का बिक्री-कर असेसमेंट आर्डर

*८--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मन्त्री को पता है कि बलिया शहर के शिवराम गोपीराम नामक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बिक्री-कर का असेसमेंट आर्डर सन् १९५६-५७ का अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों?

*९—क्या वित्त मंत्री को उपर्युक्त प्रतिष्ठान से बिक्री-कर कार्यालय, बलिया और बिक्री-कर विभाग के अधिकारियों की इस धांधली के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र अप्रैल, १९६६ के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गाजीपुर सिटी हाई स्कूल के रिटायर्ड अध्यापक का प्राविडेंट फण्ड

*१०--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर सिटी हाई स्कूल के सन् १९५४ और १९५५ में रिटायर्ड अध्यापकों के प्राविडेंट फण्ड का मामला, जिसमें राजकीय अंश भी होता है, अभी निर्णीत नहीं हुआ है? यदि हां, तो कितने व्यक्ति कब-कब रिटायर हुये और अभी तक इन मामलों का निपटारा क्यों नहीं हुआ और कब तक हो जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। केवल एक अध्यापक का।

यह अध्यापक जून ३०, १९५५ को रिटायर हुये।

अध्यापक के प्रोविडेन्ट फण्ड के राजकीय अंश के सभी कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ने महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दिया। महालेखाकार ने इन कागजातों को कुछ आपत्तियों के निवारणार्थ जिला विद्यालय निरीक्षक को वापस भेज दिया जो उनके यहां प्राप्त नहीं हुये। अतः सभी कागजात पुनः तैयार करके महालेखाकार को फिर से भेजा गया है। मामले के निपटारे की निर्धारित तिथि बताना सम्भव नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर ने ये कागजात महालेखापाल को पहली बार कब भेजे और दूसरी बार कब भेजे?

श्री कैलाशप्रकाश—

पहली बार १२-१-१९६२ को और दुबारा ६-७-१९६६ को भेजे गये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आपत्तियों के निवारण के लिये महालेखापाल ने कब ये कागजात जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर को भेजे और उन्होंने फिर उसको किस तारीख को वापस किया?

श्री कैलाशप्रकाश—

महालेखापाल के कार्यालय से कागजात वापस कर दिये गये लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां आये नहीं, इसीलिये दुबारा कागजात भेजे जाने की आवश्यकता पड़ी।

विद्यालयों से संबंधित सहायक उपस्थिति अधिकारियों का पद

*११—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नगर महापालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण कार्य एस० डी० आई० गणों द्वारा होता है, तो सहायक उपस्थिति अधिकारियों का पद अनावश्यक होने के कारण क्या सरकार उसे समाप्त करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि इसका उत्तर मुझको नहीं मिला है फिर भी मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब अनिवार्य शिक्षा के बाल-गणना का कार्य और बच्चों के अभिभावकों को नोटिस देने का कार्य नगरपालिकायें अध्यापकों से ही ले लेती हैं तो फिर अटेंडेंस आफीसरों के रखे जाने की क्या आवश्यकता है ? खर्चा कम करने के लिये उनकी पोस्ट्स को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश —

जहां कहीं खर्चे की बचत हो सरकार ऐसे सुझावों का स्वागत करती है। लेकिन इस केस में कठिनाई यह है कि अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिये ही उपस्थिति अधिकारियों की आवश्यकता होती है। एस० डी० आई० का कार्य बिलकुल ही दूसरा है। अगर उपस्थिति अधिकारी की पोस्ट को कम कर दिया जायगा तो एस० डी० आई० की पोस्ट्स को बढ़ाना पड़ जायगा क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी उपस्थिति अधिकारियों की।

श्री नाथूराम शिक्षक—

श्रीमन्, और जिलों की बात तो मैं जानता नहीं, इलाहाबाद जिले में १४-१५ एस० डी० आई० मौजूद हैं और सारे कामों का निरीक्षण करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहायक उपस्थिति अधिकारी के कर्त्तव्य क्या-क्या हैं और इनको किस लिये रखा गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा कि उनके पद से ही संकेत है उनका काम यह है, कि जहां अनिवार्य शिक्षा लागू होती है वहां इस बात की व्यवस्था होती है कि एक निर्धारित आयु के तमाम बच्चे विद्यालयों में आने चाहिये यदि कोई माता-पिता, अभिभावक या संरक्षक अपने बच्चों को नहीं भेजता है तो यह उपस्थिति अधिकारी उस क्षेत्र में इस बात की जांच करते हैं कि वहां ऐसे बच्चे तो नहीं हैं और यदि ऐसे बच्चे हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी, आप माननीय रामसुन्दर जी को उत्तर नहीं सुनने दे रहे हैं।

श्री कैलाशप्रकाश—

तो उनका काम यह है कि वह देखें कि उक्त क्षेत्र में कोई उस कानून की अवहेलना तो नहीं हो रही है जो अनिवार्य शिक्षा का कानून है उसकी।

श्री नाथूराम शिक्षक—

आप व्यवस्था दें कि उनके जिम्मे कोई काम नहीं होता । लड़के आते हैं या नहीं, वह ६ साल के हुये या साढ़े ५ साल के हुये या सारा काम वहां के अध्यापक और चपरासी करते हैं और इन लोगों को नाजायज पेंशन दी जा रही है । इसलिये आप व्यवस्था दें कि जब यह उनके कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते तो उनको क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता ?

श्री अध्यक्ष —

मैं क्या बताऊं, अगर मैं शिक्षक होता तो व्यवस्था दे देता ।

लाल्हेपुर गांव सभा के प्रधान के विरुद्ध आरोप

*१२—श्री रघुनाथ, श्री झारखन्डेराय, श्री रामसुन्दर शास्त्री तथा श्री रघुवीर—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर जिलान्तर्गत ग्राम लाल्हेपुर के सार्वजनिक तालाब संख्या १५३ व १५४।३ पर गांव सभा के प्रधान ने अपने भाई का नाम बतौर असामी दर्ज करा के यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट की धारा २९-सी का उल्लंघन किया है, और नियमानुसार गांव सभा को लगान न जमा कराके सरकारी आय को क्षति पहुंचाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कार्य करने वाले प्रधान को पदच्युत करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

देवरिया जिले में अग्निपीड़ितों की सहायता

*१३—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में १ जनवरी, १९६६ से २५ मई, १९६६ तक कितने अग्निकान्ड हुये ? प्रत्येक में कितने धन-जन और पशु एवं मकानात का नुकसान हुआ ? कितने परिवार क्षतिग्रस्त हुये और प्रत्येक को क्या प्राथमिक सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

(१) देवरिया जिले में १ जनवरी से २५ मई, १९६६ तक ३६३ अग्निकान्ड हुए । परिणाम-स्वरूप लगभग २६ लाख रुपये की क्षति हुई । अग्निकान्ड से ५ व्यक्तियों व १४७ पशुओं की मृत्यु हुई तथा २,७२२ मकानों को क्षति पहुंची । क्षतिग्रस्त मकानों को लगभग १२,५२,२०९ रु० का नुकसान हुआ । क्षतिग्रस्त परिवारों की संख्या २,७०१ है ।

(२) १,३८६ व्यक्तियों को १७,००५ रु० की अहेतुक सहायता दी गई व १२७ व्यक्तियों को १३,१७५ रु० तकावी भी दी गई ।

(३) प्रत्येक ग्राम में अग्निकान्ड संबंधी विस्तृत सूचना मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

नोट —तारांकित प्रश्न ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

रुद्रपुर क्षेत्र में मालगुजारी की वसूली

*१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के देवरिया तहसील के रुद्रपुर के बाढ़ के इलाके में १९६४ में बाढ़ आयी थी ? यदि हां, तो किन-किन गांव की सोलह आना खरीफ की फसल का नुकसान हुआ था ? जिन गांव का सोलह आना फसल का नुकसान हुआ था उन गांव के खेतों की खरीफ की मालगुजारी माफ होने के बाद क्यों इस साल वसूल की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जी हां, संबंधित ग्रामों की तालिका संलग्न है । इन ग्रामों की १३७२ फसली की खरीफ की मालगुजारी माफ नहीं की गई थी बल्कि १३७२ फसली की रबी की वसूली देय होने तक स्थगित की गई थी । स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद वसूली होना तो नियमानुसार है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९९ पर)

[१२ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी —

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४-५—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये]

कुंवर दयाशंकर इंटर कालेज, बरेली का स्पेशल आडिट

*६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कुंवर दया शंकर इन्टर कालेज, बरेली की प्रबन्धक समिति में १९६० से तीव्र झगड़ा चल रहा है । जिला विद्यालय निरीक्षक मास्टरों और कर्मचारियों की तनख्वाहें बांट रहे हैं और जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ने अपने पत्र संख्या EI/1140/XII—8,65-A—65-66, dated 20-7-65 दिनांक २० जुलाई, १९६५ द्वारा तुरन्त प्रशासक की नियुक्ति के लिये संचालक, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद को लिखा ? यदि हां, तो अब तक प्रशासक नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां । विद्यालय के हिसाब का स्पेशल आडिट कराया गया और आडिट रिपोर्ट की जांच निदेशालय में हो रही है । तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही हो सकेगी ।

*७-८—श्री कल्याणचन्द मोहिले —

[५ वें शुक्रवार के लिये प्र० सं० ४१-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*९-१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१२—श्री नाथूराम शिक्षक —

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये ।]

टिहरी जिले की मालगुजारी

*१३—श्री झारखन्डेराय—

क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि अभी कुछ महीने पहले गत फरवरी-मार्च में टिहरी का जो सर्वदलीय शिष्ट मण्डल उनसे इस सार्वजनिक मांग को लेकर मिला था कि टेहरी जिला का सदर मुकाम नरेन्द्र नगर न होकर टेहरी ही रहे और उनकी लगान की एकरूपता को पुराने (ब्रिटिश) गढ़वाल के समान कर दिया जाय, और जब तक इस पर निर्णय न हो जाये, तब तक बढ़ी दर से लगान वसूली स्थगित कर दी जाय ? इस पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय किये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

जिला टिहरी गढ़वाल का सदर मुकाम नरेन्द्र नगर से टिहरी ले जाना इस समय सम्भव नहीं है।

मालगुजारी की प्रचलित दरों को घटाने का प्रश्न विचाराधीन हैं। फिलहाल नये बन्दोबस्त के फलस्वरूप बढ़ी हुई मालगुजारी की वसूली रोक दी गई है।

*१४–१५—श्री कमलासिंह यादव—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१६—श्री कमलासिंह यादव—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्र० सं० १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७—श्री ऊदल—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१८—श्री दीपनारायणसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये प्र० सं० १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

[५ वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०—श्री कल्पनाथसिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया।]

*२१–२२—श्री कल्पनाथसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२३–२५—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२७—श्री नाथूराम शिक्षक—

[४ थे बुधवार को प्र० सं० २० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।)

कानपुर में आई०टी०आई० के होस्टल का ठेका

*२८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में आई० टी० आई०, कानपुर के प्रशिक्षार्थियों के लिये होस्टल व किचन ब्लाक निर्माण हेतु मार्च, १९६५ में ठेका पी० डब्लू० डी० विभाग द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो किसको और कितने रुपये में ? तथा कब कार्य पूरा करने की तिथि थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां । यह ठेका श्री वंशी लाल ठेकेदार को ५,३४,३०८.४३ रुपये पर दिया गया था । कार्य पूरा करने की तिथि २ जून, १९६६ थी।

*२९—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त निर्माण-कार्य किस भूमि पर बनाने को दिया गया, उसमें कितनी भूमि खाली थी तथा कितनी भूमि पर कितने परिवार अनधिकृत रूप से बसे हुये थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें ४,००० वर्ग गज भूमि खाली थी तथा ४,५०० वर्ग गज भूमि पर ५७ परिवार अनधिकृत रूप से बसे हुए थे ।

*३०—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१-३२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६†

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर० (एम) ३४४३-टी० एम/३०-बी-८६-पी-६४, दिनांक १९ मई, १९६६ द्वारा प्रख्यापित यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६†

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर (ए० एम०)-२१८७ टी० एम०/३०-ख-४५-पी-६३, दिनांक १८ अप्रैल, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टेक्सेशन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९६६ के, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का १८वां एवं १९वां प्रतिवेदन†

श्री केशभान (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से मैं उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६५–६६) का हरिजन सहायक तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित अट्ठारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से मैं उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६–६७) का आय-व्ययक के रूप में सुधार से संबंधित उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के विद्यार्थियों की हड़ताल तथा पुलिस द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय ऊदल और माननीय ब्रह्मदत्त मायर का आया है और उसी संबंध में तीन नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आई हैं। श्री शिव नाथ सिंह का नियम ५२ के अन्तर्गत आया है कि कानपुर में छात्रों ने जलूस निकाला। वह डी० ए० वी० कालेज के छात्रों का एक शांतिपूर्ण जलूस था, किन्तु उसको पुलिस ने रोका और जो कामरोको प्रस्ताव है उसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि "घेरा डाल कर पुलिस ने रोका"। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि "नियम १४४ भंग करने के फलस्वरूप ये लोग गिरफ्तार किये गये हैं"। ऐसी स्थिति में कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठता....

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि मैं कल शाम को कानपुर में था और मैंने वहां पर उस घटना को देखा। कालिज का जो झगड़ा हुआ है वह तो अपने स्थान पर है, लेकिन वहां पर सब संस्थायें बन्द हो गयी हैं। दफा १४४ लगने से उत्तेजना फैल रही है। एक छात्र, राम चन्द्र शुक्ल, अनशन पर हैं। ६ विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां पर स्थिति विषम हो गयी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप कम से कम माननीय मंत्री महोदय से एक वक्तव्य दिला दीजिये ताकि इस पर कुछ वाद-विवाद हो सके इसीलिये मैंने इसको रखा था।

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह था कि साधारण प्रशासनिक कार्यवाही जो ला ऐंड आर्डर शांति और व्यवस्था भंग करने के सिलसिले में की जाती है उस साधारण प्रशासनिक कार्यवाही के संबंध में साधारणतया कामरोको प्रस्ताव नहीं आता है। अब इसी संबंध में माननीय शिवनाथसिंह, माननीय श्री उग्रसेन, माननीय हरिनाथ तिवारी, माननीय रक्षपाल और माननीय जगन्नाथ राव जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें दी हैं। इन तीनों सूचनाओं को मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। विशेष ध्यान के लिये, ताकि यह प्रयत्न किया जाये कि वहां पर स्थिति शांतिमय हो जाय।

आपका जो कामरोको प्रस्ताव है उसको भी मैं उनके पास भेज रहा हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, इससे काम नहीं चलने वाला है। वहां पर स्थिति क्या है कम से कम इस विधान सभा और प्रदेश की जनता को तो मालूम हो जाय। आप इस पर वाद-विवाद करा दीजिये। विशेष ध्यान देंगे या नहीं देंगे। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते हों तो मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि उनसे आज ३ बजे एक वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या कानपुर के बारे में आपकी कोई जानकारी है?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

श्रीमन्, इस समय तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय चन्द्रबलीसिंह, लखीसिंह, और शिव चरन लाल की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश भर में कृषि बी० एस-सी०, ए० जी० के प्रवेश में छात्रों की संख्या आधी कर दी गयी है। मैं इसको माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास भेज रहा हूं ताकि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे।

एक माननीय कमला सिंह जी की सूचना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ तथा अन्य शहरों में साइकिल बिक्रेताओं की दुकानें कई दिनों से बन्द हैं क्योंकि उनके पास (बाईसिकिल टायर और ट्यूब की) कोई मूल्य सूची नहीं है। बाईसिकिलों की दुकानें बन्द होने के कारण उनको जिनके पास साइकिलें हैं, कठिनाई हो रही है। इसलिये कुछ शीघ्र प्रबन्ध हो। मैं उनसे सहमत हूं और इसको खाद्य मंत्री जी के पास विशेष ध्यान देने के लिये भेज रहा हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस आपको दूंगा। अभी प्रश्न १३ के लिखित उत्तर में यह उत्तर दिया गया कि देवरिया तहसील के रुद्रपुर के बाढ़ के इलाके में १९६४ में ३७ गांव डूबे जिनमें एक सरिया गांव भी दिखाया गया है जो कि बांगर में है। पूरे १५० गांवों में से केवल ३७ गांवों के नाम छापे गये हैं ताकि मालगुजारी माफ न की जाय। इसलिये मैं यह नोटिस दूंगा ताकि जब कभी भी विधान सभा का सत्र हो आप उस पर उत्तर दिला सकें।

श्री अध्यक्ष—

यह न भूल जाइयेगा कि आप की मौखिक सूचना से काम पूरा हो गया। कृपया आप लिख कर दे दीजियेगा। आपको यह भ्रम न रहे कि आपने जो सदन को सूचना दे दी वह पर्याप्त है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता था।

मैंने दो प्रश्न बहुत दिनों से आप के यहां दिये थे। एक तो माननीय खाद्य मंत्री के विरुद्ध कई दिनों से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। दूसरा नियम ५३ का है जिस में जिला परिषद्, फतेहपुर के एक प्राइमरी अध्यापक अनशन पर हैं, उन की चिट्ठी आयी है, उन से जबरन गुप्ता कोष में रुपया वसूल किया गया। उसने नहीं दिया तो उन को निकाल देने की धमकी दी है श्री हर प्रसाद को जिला परिषद् के अध्यक्ष ने। तो बड़ी विषम परिस्थिति है, उस पर भी कार्यवाही हो क्योंकि आज सदन उठ रहा है, वह बेचारा भूखा मर रहा है। वह पत्र भी नत्थी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण सिंह ने एक विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना दी थी खाद्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में, मैंने उसे माननीय खाद्य मंत्री के पास भेज दिया है और मैं आशा करूंगा कि वह शीघ्र ही हमें उसके उत्तर से सूचित करेंगे।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने उठाया है नियम ५३ के अन्तर्गत तो वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि परिस्थिति ऐसी है जो विचारणीय है और ध्यान देने योग्य है इसलिये मैं इसको मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

प्रदेश में अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

कतिपय माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश में आई हुई बाढ़ स्थिति के संबंध में आकृष्ट किया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मैंने २९ जुलाई, १९६६ को देहरादून और सहारनपुर में बाढ़ के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। विगत दिनों में वर्षा के कारण प्रदेश की नदियों में बाढ़ के कारण निम्नलिखित जिले प्रभावित हुये :—

गंगा	..	टेहरी, गढ़वाल, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, एटा, बिजनौर, बदायं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, उन्नाव।
यमुना	..	देहरादून, सहारनपुर।
घाघरा	..	बस्ती, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी।
बड़ी गंडक	..	देवरिया।
राम गंगा	..	मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद।
कोसी	..	मुरादाबाद, रामपुर।

इसके अतिरिक्त कुछ और छोटी नदियों में बाढ़ के कारण ऊपर जिसे जिलों के अतिरिक्त नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, खीरी प्रभावित हुये।

(इस समय १२ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ के कारण, १,९८२ ग्राम तथा २,३०,३२१ व्यक्ति प्रभावित हुये। बाढ़ के कारण ३,९८,४७० एकड़ भूमि जिसमें १,५५,३९० एकड़ कृषि भूमि है, प्रभावित हुई। ५,०३२ कच्चे व पक्के मकानों को मुख्यतः आंशिक क्षति पहुचने की सूचना प्राप्त हुई है। मुझे सदन को सूचित करते हुये दुख है कि प्राप्त सूचना के अनुसार १९ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इनमें जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में सूचित किया था ७ व्यक्ति देहरादून जिले की बाढ़ में बह गये थे। इसके अतिरिक्त बिजनौर जिले में ३ व्यक्ति की, १ व्यक्ति की मृत्यु अल्मोड़ा जिले में हुई। जिला टेहरी-गढ़वाल में ८ व्यक्तियों की मृत्यु अतिवृष्टि से मकान गिरने के कारण हुई। ४७ पशु भी बह गये अथवा मर गये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम जी ने बदायूं जिले में खैरे कटरा बांध तथा श्री बेदराम जी ने उसावा ब्लाक में स्थित बांध के टूटने की सूचना दी थी। जिलाधिकारी, बदायूं की सूचना के अनुसार तहसील बातागंज के उसावा ब्लाक में स्थित खैरे कटरा (उतहट) बांध टूटा नहीं है। गंगा नदी का पानी सरेली गांव से लेकर कटरा सम्राबतगंज तक बांध के ऊपरी भाग तक आ पहुंचा है। इसकी रक्षा के लिये सिंचाई विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। श्री गिरवर प्रसाद जी तथा श्री जगन्नाथ राय जी ने एटा जिले के उडहर बांध के टूटने की सूचना दी थी। यह बांध २६ जुलाई को टूटा था। जिसके कारण दो गांव प्रभावित हुये। लोगों ने छोटी-छोटी बंधियां बना कर अपने घरों की सुरक्षा का प्रयास किया है। सिंचाई विभाग को बांध की मरम्मत के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया है।

[श्री रामकुमार शास्त्री]

श्री लखी सिंह जी एवं श्री राधेश्याम शर्मा जी ने मथुरा जिले की छाता तहसील में जलप्लावन होने का जिक्र किया है। कलेक्टर, मथुरा की सूचना के अनुसार जिले में ३१ जुलाई से लगातार वर्षा हो रही है, जिसके फलस्वरूप ४ ग्रामों के निचले क्षेत्र में कुछ पानी का जमाव हो गया है। परन्तु इस समय स्थिति सामन्य है। स्थिति को मद्देनजर रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, उग्रसेन तथा मंगलदेव जी ने आजमगढ़, बलिया, देवरिया तथा अन्य कई जिलों में पानी न बरसने के कारण फसल सूखने का जिक्र किया है। इस वर्ष जून, १९६६ में उत्तर प्रदेश में १७६.९६ मिलीमीटर वर्षा हुई है जो कि प्रदेश की सामान्य वर्षा से ७९.८६ मिलीमीटर से अधिक है। जुलाई, १९६६ में १७८.९९ मिलीमिटर वर्षा हुई है जो कि सामान्य वर्षा से ११५.७१ मिलीमिटर कम है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोंडा, बहराइच के जिलाधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई के पहले पखवारे में वर्षा की कमी के कारण बुआई के पिछड़ जाने की आशंका थी। परन्तु बाद की वर्षा से स्थिति में सुधार हो रहा है और सूखे की कोई आशंका नहीं है। कृषि कार्य सामान्य रूप से चल रहे हैं।

शासन बाढ़-पीड़ितों की यथाशक्ति सहायता के लिये सदैव प्रयत्नशील रहा है और आयुक्तों तथा जिलाधिकारियों की निम्नलिखित धनराशियां बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदा पीड़ितों की सहायता के लिये दी जा चुकी हैं जिससे वे पीड़ितों की सहायता के लिये उचित व्यवस्था कर रहे हैं—

		रु०	
(१)	अहेतुक सहायता	२१,९८,०००	
(२)	अन्य प्रकीर्ण कार्य	३,०४,०००	
(३)	तकावी	१,००,००,०००	राजस्व परिषद् को दिया गया।
(४)	गैर खेतिहरों को मकान बनाने के लिये ऋण	१०,००,०००	
(५)	गृहनिर्माण हेतु वन– उपज की सप्लाई का प्रबन्ध	१,३०,०००	

चारे की कमी को दूर करने के लिये एक सरकारी ठेकेदार की नियुक्ति कर दी गई है जो रु० १२.१२ पैसे प्रति क्विंटल की दर से जिलों को मांगने पर भूसा भेजेगा।

माननीय सदस्यों को विदित है कि शासन ने अभी २० लाख रुपये की धनराशि अनुपूरक अनुदानों द्वारा प्राप्त की है। बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिये शासन हर संभव प्रयत्न करेगा कि उन लोगों की जो भी सहायता की जा सके अवश्य की जाये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह बिलकुल अधूरा है, नहीं के बराबर है। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह जो बाढ़ आई, देवरिया में सूखा पड़ा उसमें कितने लाख एकड़ जमीन बाढ़ में डूबी, कितने लोग बाढ़ में डबे, कितने मकान डूब गये और कितने करोड़ की जन धन की हानि हुई ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपको संभवतः यह स्मरण होगा कि जब माननीय सदस्य ने चाहा था कि वक्तव्य दिया जाय तो समय बहुत कम था। इतने कम समय में जितना संभव था ब्योरेवार सूचना मंगा ली गयी है और पूरे जिले देवरिया, जिसका जिक्र किया गया, उसके संबंध में एक प्रश्न चन्द्रबली सिंह जी ने किया था उसका ब्योरा हमारे पास था, लेकिन उस प्रश्न का समय ही नहीं आया। अब भी प्रदेश के जितने जिले हैं, आयुक्तों के पास लाखों रुपया जमा कर दिया। गोरखपुर के आयुक्त को एक लाख रुपया सेंक्शन किया है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब यह सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि कुछ समय लगेगा। लेकिन फिर उनसे कहा कि १२ तारीख तक जो सूचना आये, वह ही दे दी जाय। तो जो सूचना उनके पास है उसे वह दे रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

इसके माने तो यह हैं कि कोई क्षति हुई ही नहीं। माननीय मंत्री इसे बतलावें कि बाढ़ से क्या क्षति हुई और क्या सहायता दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ से हुई क्षति के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो बतला दें।

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाढ़ से हुई क्षति के बारे में ही ब्योरेवार तो मैंने अभी बतलाया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि गाजीपुर के जिलाधीश ने सूचना दी है कि वहां शुरू में कुछ सूखा पड़ा था लेकिन अब स्थिति में सुधार हो रहा है, तो क्या वे कृपया गाजीपुर के जिलाधीश से इस बात की जानकारी भी प्राप्त करने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जहां बहुत काफी धान होता है वहां जड़हन धान की बुआई-रोपाई बिलकुल नहीं हो पायी है क्योंकि अभी तक उतना पानी नहीं बरसा और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, तो अब वहां धान की रोपाई हुई है या नहीं और अन्य फसलों की क्या हालत है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गाजीपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने जो सूचना दी है उसी के आधार पर सरकार ने ५७ गांवों की रिपोर्ट दी है कि वहां पहले पानी नहीं बरसा, लेकिन जब अगस्त से वर्षा होने लगी है तो स्थिति सुधर रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत मांट तहसील और मथुरा के संबंध में दिया था जहां के १०० ग्रामों के सम्बन्ध में मुझे सूचना मिली है कि वे गर्की से बिलकुल समाप्त हो गये हैं, १० गांव तो शायद मथुरा जिले के नक्शे से ही समाप्त हो गये हैं और अकेले मांट तहसील के ३६ गांव जो चारों तरफ से पानी से घिर गये हैं, उनके संबंध में तो माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कोई जिक्र ही नहीं किया है। कल ही मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत यह सूचना दी थी कि मांट तहसील के ३६ गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इस तरह से यह रिपोर्ट बिलकुल अधूरी है। मेरी यह निश्चित सूचना है कि मथुरा जिले के १०० गांव जलमग्न हैं और वहां की करीब २० हजार जनता जलप्लावित है, तो क्या माननीय मंत्री जी पूरी सूचना मंगा कर देने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिला मैजिस्ट्रेट से जो मुझे सूचना मिली है वह नन्दगांव के पास वाले ड्रेन के संबंध में है, जहां पानी आने से नुक्सान जरूर हुआ है, उस पानी को हमने गोवर्द्धन ड्रेन में डाल दिया है और अब दोनों ड्रेन काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका सिर्फ यह कहना है कि इसके अतिरिक्त जो सूचनायें उनके पास हैं, उनको वे आपके पास भेज देंगे, आप कृपा करके उन पर ध्यान दे दें।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उसको वेरीफाई करा लेंगे ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जिन गांवों को बाढ़ से क्षति हुई है उनके नाम भी मने नियम ५२ के अन्तर्गत लिख कर दिये थे, लेकिन मुझे तकलीफ है कि उसका जिक्र तक भी वक्तव्य में नहीं आया है ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कांग्रेस पार्टी में २७५ और उधर १५६ सदस्य हैं, इसलिये एक उधर से बोले, तो दो को इधर से बोलने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे मुझे कोई सन्तोष नहीं है, ऐसा लगता है कि मैजिस्ट्रेट के यहां से लकवामार लंगड़ी सूचना आयी है । नन्दगांव का जो जिक्र किया गया है उस संबंध में आश्वासन समिति से पूछा जाय, आश्वासन समिति के चेयरमैन से पूछा जाय । बठेन ड्रेन जो सिंचाई विभाग की है उसी के कारण करीब ५०गांव डूब गये हैं और वहां की फसलें बर्बाद हो गयी हैं । मैंने लिख कर दिया था और छाता तहसील के नन्दगांव के पास वाले ड्रेन के संबंध में भी पूछा था । उस ड्रेन से पानी नहीं निकलता है, इसकी भी जांच करायी जाय और जो फसल बर्बाद हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिये क्या माननीय मंत्री जी किसानों को सहायता पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मथुरा जिले की हालत ऐसी है कि आये दिन वहां जल प्लावन की शिकायत होती है और उसकी शक्ल ऐसी है जैसे सासर की । पिछले वर्ष भी वहां बड़ी बाढ़ आयी थी । पिछले वर्ष शिकायत यह थी कि राम झील पंजाब में पानी आया था । इस वर्ष पंजाब से नहीं आया है । तो अगर कोई और गांव रह गया हो और उसकी जानकारी माननीय सदस्य कराना चाहते हों तो कृपया लिख कर भेज दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी उन इलाकों में, जिनमें बाढ़ आयी है लगान और सरकारी मतालबात सस्पेंड करने के आदेश देंगे या दे दिया है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अभी तो फसल उग रही है और पिछले का तो हाल यह है कि जैसा नुकसान होता है उसके जैसे नियम और कायदे बने हुये हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

जौनपुर जिले में भी पिछले वर्ष कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां अनावृष्टि के कारण बहुत व्यापक क्षति हुई थी । इस वर्ष भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मड़ियाहूं, केराकत वगैरह । तो क्या मंत्रीजी जौनपुर के जिलाधीश से जानकारी करा के सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

माननीय सदस्य लिखें, अगर वहां की स्थित ऐसी है तो उसकी जांच करा के अवश्य सहायता देने की कोशिश की जायगी ।

श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में उड़हर बांध जो पिछले दस वर्ष से हमेशा टूटता है उसको स्थायी करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो बांध टूट गये हैं या जिनके टूटने का सन्देह है, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स देख रहे हैं और सतर्क हैं।

श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिलाधीशों से यह सूचना मिली है कि कहां कितनी वर्षा हुई, कहां बाढ़ आयी है। तो क्या जिलाधीश देवरिया और आजमगढ़ की रिपोर्ट में यह भी है कि भटनी से बेल्थरा रोड और बैल्थरा रोड से मधुबन तक कितना पानी पड़ा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

कानपुर के पास हरिहरपुर गांव जहां से शुरू होता है गंगा का कटाव उन्नाव जिले की तरफ होता चला जा रहा है जिससे कितने ही गांव डूब जाने का खतरा है। तो इस खतरे से रक्षा के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मान्यवर, आपने समाचार-पत्रों में भी देखा है और मेरी जानकारी है कि गंगा नदी का कटाव विशेषतया उन्नाव जिले की तरफ होता है। तो जो वहां के जिलाधीश हैं वह जो सहूलियत वहां हो सकती है, उसके प्रति जागरूक हैं।

श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

बलिया के जिलाधीश ने यह रिपोर्ट दी है कि बलिया में पहले पखवाड़े में पानी नहीं पड़ा और बाद में पड़ा है। मेरे खयाल में यह रिपोर्ट सही नहीं है। बलिया की रसड़ा तहसील में पानी पड़ा है जहां धान की रोपाई शुरू हो गयी है, लेकिन बलिया के दूसरे हिस्सों में खरीफ की सारी फसल सूख गयी है और वहां धान का रोपना नहीं हो सका। तो क्या मंत्री महोदय जिलाधीश को आदेश देंगे कि इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करें ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बलिया की रिपोर्ट हमारे पास है। यह सत्य है कि पिछले पखवाड़े में वर्षा कम होने की वजह से वहां की फसल को क्षति पहुंची थी, लेकिन अगस्त में वर्षा हो गयी है और अब स्थिति सुधर रही है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १५ जून से हमारे यहां वर्षा शुरू होती है और काश्तकार खरीफ की फसल की बुआई शुरू कर देते हैं ? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने जो रिपोर्ट भेजी है उनमें कौन से ऐसे जिले हैं जहां १५ जून से वर्षा शुरू हो गई और किसानों ने बुआई शुरू कर दी है ? अगर नहीं की है तो वर्षा कब से हुई है और जो किसानों को क्षति हुई है उसके लिये सरकार ने क्या सहायता दी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह सही है कि १५ जून से हमारे यहां वर्षा शुरू होती है और सौभाग्य से हमारे यहां जून में वर्षा अच्छी हुई। लेकिन जुलाई के तीसरे पखवारे तक पानी का अभाव रहा और सूखा पड़ने का सन्देह हो गया था। सौभाग्य से अगस्त में काफी वर्षा हो गई और जो सन्देह था वह दूर हो गया।

श्री जे० पी० मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, हरदोई का जिला इतना बदकिस्मत है कि उसकी एक तहसील बिलग्राम की ढाई लाख एकड़ जमीन जलमग्न है और गंगा नदी ने २८ गांव नम्बरी और मजरे काट दिये हैं। पिछले साल को छोड़कर हर साल यह इलाका सैलाब से पीड़ित रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बिलग्राम सब डिवीजन को फ्लड डिवीजन डिक्लेयर करने के लिये तैयार हैं? और जो गांव कट गये हैं और काश्तकार आबाद नहीं हो सके हैं उनको आबाद करने का इन्तजाम करने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष—

पारसाल की बाढ़ का जिक्र है या इस साल की?

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, इस साल का जिक्र है। ६७/६८ गांव डूब गये हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

हरदोई जिला बदकिस्मत है, मैं नहीं कह सकता। जहां यह पैदा हुये हैं वह खुशकिस्मती जिला है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, गोंडा जिला में बलरामपुर और गोंडा तहसील में अभी तक बारिश नहीं हुई और जो फसल बोई गई थी वह बिजली की गड़बड़ी से सूख गई है क्योंकि ट्यूबवेल नहीं चल सके। वह रबी की फसल भी नहीं बो सकेंगे। इसके लिये सरकार क्या तजवीज कर रही है?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि गोंडा जिले के उत्तरी इलाके में जड़हन की ज्यादा खेती होती है और उसके लिये पानी की ज्यादा जरूरत होती है और वहां पानी का अभाव है। अब वहां थोड़ी वर्षा हुई है और सुधार होने लगा है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

श्रीमन्, मैं पूछ रहा हूं कि जो क्षति हुई है उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा अब आप कृपया बैठिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद जिले की तीन तहसील हसनपुर, ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद पानी से घिरी हुई हैं और तीन नदियों से इनमें कटाव हुआ है। परसों मुख्य मंत्री जी से वहां का डेपुटेशन मिला था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया और क्या सहायता देने का प्रबन्ध किया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, मैंने वहां के डी० एम० से बात करवाया और पता चला कि वहां के डी० एम० ने, जो अभी हाल ही में उस जिले में पहुंचे हैं, दौरा कर लिया है और तकावी में छूट देने और असेसमेंट करने आदि का आवश्यक कार्य वह कर रहे हैं ।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि बाराबंकी के राम सनेही घाट में इतना बड़ा सैलाब आया कि जिसमें ८५ गांव जलमग्न हो गये और उसकी बाढ़ से १६–१७ गांव अब तक कट गये हैं । इसके लिये क्या मंत्री जी कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि यदि बाढ़ से नहीं तो कटाव से गांवों की रक्षा हो सके ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

बाराबंकी जिला जो है वह घाघरा नदी के किनारे है । लेकिन उसके कटने की मुझे जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं देख लूंगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय देवदत्त जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि गंगा नदी का कटाव उन्नाव की तरफ हो रहा है और इस पर जिला अधिकारी जागरूक हैं । उनकी जागरूकता और उनके जिला अधिकारियों की जागरूकता के प्रति मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गंगा का कटाव जो उन्नाव की तरफ हो रहा है और जिससे हर साल ८–९ गांव बह जाते हैं, तो इसको रोकने के लिये भी सरकार के पास कोई योजना है ? सरकार के पास फरियर बांध की एक इस निमित्त योजना थी, लेकिन उसको भी अमल में नहीं लाया गया । तो अब और दूसरे आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

इस कटाव के मसले में इस सदन में बहुत बार चर्चा हुयी है । हमारे प्रदेश में ५–७ दरिया बहुत बड़े ह । यह मसला एक बार सेन्ट्रल पावर कमीशन के सामने भी उनकी राय के लिये रखा गया था । इन सबके लिये जितना पैसा होगा वह सैकड़ों करोड़ होगा और इतना रुपया खर्च होने के बाद भी दरियाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । तो कोई भी सरकार के लिये इतना अधिक रुपया मुहय्या करना संभव नहीं हो सकता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

इस बात को जानते हुये कि सहारनपुर नगर में ७० लाख रुपये का नाज खराब हो गया और एक लाख रुपया का नाज तो सरकार का ही खत्म हो गया और नगर में सैलाब में २०० आदमी बह गये, लस्कर के इलाके में १६/१७ गांव बह गये और इस पर भी आपने केवल १० हजार रुपया जिलधीश को सहायतार्थ भेजा है, क्या इसके ऊपर भी आप विचार करेंगे और उन्हें दूसरी अधिक सहायता भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, जितने आयुक्त हैं उनके पास में काफी रुपया है, देहरादून और सहारनपुर के हवाले में कहा है । अब जो सहायता होगी, मांग पेश करने पर भेजवा दी जायगी ।

श्री एस० जी० दत्ता (जिला कानपुर)—

कानपुर में गंगा जी से बिठूर और नवाबगंज के बीच में बहुत सा हिस्सा कटकर हमारे गांव का बह गया, जिससे बिजली का संकट पैदा हो गया है । मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार इसके बारे में क्या बन्दोबस्त कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल बिजली का नहीं है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी के पास गाजीपुर जिले से कोई रिपोर्ट आयी है कि अवर्षण की वजह से वहां सूखा पड़ा था और वहां सामान्य वर्षा भी नहीं हुई है । नहरों से २५ जुलाई तक पानी नहीं आया जिसके कारण रोपनी पिछड़ गयी । मैं पूछना चाहता हूं कि वे जिलाधीश के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिन्होंने वक्त पर वहां पानी नहीं पहुंचाया ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

गाजीपुर में वर्षा के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स से मानसून चलता है और धीरे-धीरे वहां भी पहुंचा है और वहां वर्षा हुई है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मेरा प्रश्न यह था कि रोपनी जो वहां पिछड़ गयी....

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये जो सूचना उनके पास थी वह उन्होंने दी ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

उन्नाव जिले में जो गांव इस साल भी प्रभावित हुये हैं, उनकी पूरी-पूरी फसल बरबाद हो गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उन फसलों के लिये खरीफ का लगान माफ करेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

नियमों के हिसाब से स्थगन हो सकता है, अगर १६ आना फसल बरबाद हो तब । इस तरह माफी का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

पिछले सप्ताह नजीबाबाद, जिला बिजनौर, में बाढ़ में ९ आदमी डूब गये, २५ गांव बह गये और १० लाख की लागत का एक सरकारी पुल बह गया, क्या सरकार को इसकी सूचना है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

हमारे पास तो सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विषय समाप्त । आध घंटे से ज्यादा हो चुका है ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने पहली अगस्त को नियम ५२ के अन्तर्गत एटा जिले के बारे में सवाल दिया था और आपने उस पर आदेश दिया था कि ध्यान आकर्षण के लिये तुरन्त कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज दिया जाय । तो क्या मंत्री जी ने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है और उस पर अभी तक कार्यवाही ही नहीं की गयी, और अगर नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ? मुझे सवाल भी नहीं पूछने दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम इस पर नहीं था, इसलिये रह गया ।

श्री उग्रसेन—

झारखंडे राय जी और रामसुन्दर पांडेय जी का नाम तो था, वे १३ बार खड़े हुये, लेकिन आपने उन्हें नहीं बोलने दिया। अब उनको दो सवाल करने का तो मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आध घंटे से ज्यादा हो गया, अब विषय मैंने समाप्त कर दिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैंने जब १ अगस्त को नियम ५२ की सूचना दी थी तो उस पर आपने जो आदेश दिया था वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो क्या आपके दफ्तर से मंत्री जी के पास वह भेजा गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसको तो मैं देखकर ही बतला सकता हूं।

मन्त्रियों के लिए आचरण कोड

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में एक बात मैं निवेदन कर दूं। मुझे इस बात का खेद है कि कल मैं फैजाबाद चला गया। मेरे जाने के कारण कुछ साथियों के हृदय में यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि मुख्य मंत्री और अध्यक्ष की किसी साजिश के कारण ऐसा हुआ है। ऐसी बदगुमानी हुई। मैं समझता हूं यह बदगुमानी न होती अगर मैं एक गलती यह न करता कि मैं लिखकर किसी को दे जाता कि मैं किन परिस्थितियों में जा रहा हूं। मुझे इस बात का खेद है और खेद इस वजह से है कि मैंने परसों कहा था विशेष विषय के संबंध में जिसका चर्चा इस आदरणीय सदन में हुआ था कि फिर मैं उस पर सुनूंगा। इस वजह से कदाचित यह विवेकानुरूप होता यदि मैं इस बात को लिखकर सदन को दे जाता ताकि भ्रम पैदा न होता। मुझे इस बात का खेद है। वास्तविकता यह है कि २ अगस्त को मेरे पास एक आमन्त्रण आया कि मैं एक समारोह का उद्घाटन करूं। हमारी एक नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल बनी है। उसकी एक शाखा उत्तर प्रदेश में भी है। उस प्रोडक्टिविटी कौंसिल के एक श्री सक्सेना सेक्रेटरी हैं जिन्होंने २ अगस्त को मुझे लिखकर भेजा था कि वह चाहते हैं कि मैं उसके समारोह का फैजाबाद में उद्घाटन करूं। मेरे क्षेत्र में एक मिल है, मसौड़ा शुगर फैक्ट्री। वहां पर अनशन के परिणामस्वरूप एक बड़ा कठोर वातावरण पैदा हो गया था। मालिक और मजदूरों के बीच में एक संघर्ष था जिसके कारण अनशन हो रहा था। मुझे उस रोज यह बात मालूम हुई कि समझौते की बातचीत हो रही है और संभव है तय हो जाय। वह उसी जमाने में था जब मुझे आमन्त्रण मिला था। यह जरूर है कि इस सदन की बैठक के समय अध्यक्ष कदाचित न जाय तो अच्छा है। इस कारण मैंने आमन्त्रण के बारे में उनको कोई वचन नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं सोचूंगा। १० तारीख को जब सदन के सामने नियम ३०१ के अन्तर्गत प्रश्न उठा था तो मैंने कहा था कि सदन के सामने प्रस्तुत विषय पर बहस करने दूंगा। उस समय कुछ मित्रों का खयाल हुआ कि मैं समय टाल रहा हूं और एक विशेष सूची-अंकित विषय को इस सदन के सामने आने में विलम्ब करा रहा हूं। अतः माननीय विरोधी दल के नेता ने जब मुझसे कहा कि प्रस्तुत विषय को स्थगित कर दूं तो मैंने उसको दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया। उस समय तक मैं निश्चय नहीं कर सका था कि मैं फैजाबाद जाऊंगा अथवा नहीं। ४ बजे मेरे कक्ष में उस मिल के मालिक आये और उन्होंने सारी परिस्थिति मेरे सामने रखी और आग्रह किया कि मैं अवश्य आऊं। उसके थोड़ी देर बाद श्री सक्सेना मेरे पास आये और उन्होंने कुछ साहित्य दिया कि इसको पढ़ लें और अवश्य आयें इस वास्ते कि हमारे राष्ट्र की मांग है कि उत्पादन का संवर्द्धन किया जाय। इसका नाम ही है प्रोडक्टिविटी कौंसिल, और उन्होंने कहा कि आप इसमें अवश्य आइये। इस पर भी मैंने निश्चय नहीं किया। मैंने माननीय बनारसीदास से शाम को साढ़े पांच बजे, जब वह मेरे पास आये, पूछा कि मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप न जाइये, कल तो एक

[श्री अध्यक्ष]

ऐसा विषय है, उपाध्यक्ष महोदय के संबंध में, कि जिसमें आपको रहना चाहिये; आप न जाइये । मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र की बात है, मजदूरों की बात है और उत्पादन की बात है । आप कह रहे हैं, मैं विचार करूंगा । मैंने मुख्य मंत्री जी को सूचना नहीं दी, जब मैंने यह तय किया सबेरे कि मुझे जाना चाहिये । मैंने उनसे पूछा नहीं इसलिये कि कहीं वह यह न कह दें कि आप न जायें । मुख्य मंत्री जी को पहले कोई बात इस संबंध में मालूम नहीं थी । मैंने उनसे कोई बात नहीं की । माननीय नेता विरोधी दल से मैं कहना चाहता हूं कि उनको मुख्य मंत्री जी को इसमें नहीं सानना चाहिये था । यदि गलती थी तो मेरी थी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इतनी बात कहने की आपको जरूरत नहीं थी । इतना काफी था कि आप अपने क्षेत्र के काम से चले गये थे और यहां नहीं रह सके, चाहे वह मिल मालिक का काम हो या मजदूर आपको बुला ले गये हों ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यहां तो इतनी लम्बी बात हो गयी ।

श्री उग्रसेन—

हम यह समझे कि उपाध्यक्ष महोदय का मामला है, मुख्य मंत्री जी ने कहा होगा और आप भाग गये होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने व्यक्तिगत काम से नहीं गया था । मैं समझता था कि यह मेरा सार्वजनिक कर्त्तव्य है, इसलिये मैं वहां गया था ।

दूसरी बात यह है कि जगदीशशरण जी यहां नहीं हैं । उन्होंने, मालूम नहीं कहा या नहीं, मैंने उनसे कहा था कि जो विषय प्रस्तुत है उस संबंध में मैं अपना निर्णय आकर अवश्य दूंगा और मैं आज रात तक किसी न किसी समय आ जाऊंगा और १२ तारीख को उस संबंध में अपना निर्णय दूंगा । किसी बात को मैं छिपाना नहीं चाहता था । एक ऐसी अवस्था आ गयी थी कि जिसमें मैं गया था । यह मेरी गलती कही जा सकती थी कि मैंने आपको सूचना नहीं दी और इसके लिये मुझे खेद है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, इस सदन की, पार्लियामेंट की और हाउस आफ कामंस की, यह परिपाटी है कि सदन जब चलता हो तो उसके मुकाबले में कोई काम हो ही नहीं सकता ।

श्री अध्यक्ष—

बहुत धन्यवाद । मैं आशा करता हूं कि आप भी इस नियम का पालन करेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हम करते हैं तो निकाल दिये जाते हैं । आप करते हैं तो कुछ नहीं होता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो परिस्थिति थी उसकी जानकारी मुझे नहीं थी और आपने जो कहा वह मुझे मालूम नहीं था । मुझे इसका बड़ा खेद है । मैं इससे अधिक नही कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात को और कहूंगा कि चूंकि मुझे परिस्थितियों का पूरा ज्ञान नहीं था इसलिये यदि मैं कटु शब्दों का प्रयोग कर गया होऊं तो उसके लिये मुझे खेद है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न आपके सामने है और हम समझते हैं कि वह एक महत्व का प्रश्न है। उस संबंध में मेरा विचार है कि अच्छा हो उसका प्रारम्भ भी अच्छा हो और उसका उपसंहार भी अच्छा हो। आज विरोधी दल आपसे यह आशा करता था कि किसी भी परिस्थिति में आप उसके हितों की रक्षा करेंगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची मैंने आपके सामने रखी और विरोधी दल ने शुरू से अंत तक उसके लिये हैमर किया कि हम उनसे त्राण नहीं पा सकते। वह हमारे साथ सहयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं। वह विषय जिन पर हम विचार करना चाहते हैं वह सारे समाज से, सारे राज्य से, संबंध रखता है और हमारे पूरे प्रशासन से संबंध रखता है। उससे हम बिलकुल महरूम रह जायेंगे अगर उस पर विचार नहीं होगा। लेकिन सरकार ने उस पर विचार नहीं होने दिया।

मुझे लगता है कि सरकार कभी मुद्रा में ही नहीं आती कि वह विचार कर पावे। अगर हम आपसे भी रक्षा नहीं पाते तो बड़ा दुख होता है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि कोई चीज रिजेक्ट करनी होती है तो तुरन्त कर दी जाती है और अक्वीटल में सब प्रास एंड कोन्स देखने होते हैं, इसलिए हमें विश्सास है कि आप विवेक से काम लेंगे। आज उपसंहार हो रहा है, इस सरकार से आप इस उपसंहार में हम लोगों की रक्षा करें। जो हमने सूची दी है उसके अनुसार हमें अवसर दें, अपने विशेषाधिकार को प्रयोग करके, और हमें निराश न करें।

श्री अध्यक्ष—

इस आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में कभी यह बात नहीं आती, हो सकता है कि मेरी कुछ ऐसी गलतियां हों जिनके कारण आपके हृदय में यह शंका पैदा हो गयी हो कि मैं आपको दबाना चाहता हूं या आपको बात नहीं कहने देना चाहता हूं। मैं तो यह प्रयत्न करता हूं और मेरी इच्छा रहती है कि सब बातें सामने आयें ताकि अगर राज्य सरकार सही रास्ते पर है तो उसे अवसर मिले बतलाने का कि सही बात क्या है; यह मेरी भावना रही है।

प्रश्न पहले तो यह है कि जो बात माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने ३०१ के अन्तर्गत कोड के सम्बन्ध में, संहिता के सम्बन्ध में उठायी है, उसका निर्णय हो। उसमें उन्होंने जो प्रश्न उठाया था ४ तारीख को वह था कि ऐसी दशा में प्रश्न यह पैदा होता है कि उक्त कोड को कार्यान्वित कराने का दायित्व किसका है। कोड सदन की संपत्ति हो चुका है। उसमें अनेक संशोधन भी किये जाने की आवश्यकता है। उसके अधीन जो भी वृत्त माननीय मंत्रियों द्वारा दिया जाता है उसे इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसको मैंने स्वीकार किया था और माननीया मुख्य मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्ध में जो सारी बातें हैं उनको सामने रखें और अपना वक्तव्य दें। उन्होंने बयान दिया और यह कहा कि सुझाव आप दे सकते हैं और सुझाव जो आप देंगे वह भेज दिये जायंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

कहां भेज दिया जायगा और सोर्स क्या है उसका?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। इस संबंध में माननीय भानुप्रतापसिंह ने प्रश्न उठाया कि इसकी सैंक्शन क्या है। मैं समझता हूं कि यह चीज सदन की मेज पर आ गयी। हमारे सामने प्रश्न आया कि जिसका दायित्व है, मुख्य मंत्री उस सम्बन्ध में क्या कहती हैं, सरकार का क्या कहना है। उन्होंने जब कह दिया कि हम इसके पाबन्द हैं, इस सम्बन्ध में हमारी पान्बदी इस वजह से है कि केन्द्र से यह तैयार हुआ है और हमने अपने आपको पाबन्द कर लिया है। उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसमें परिवर्तन करने का हमें अधिकार नहीं है, अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम वहां भेज देंगे। यह उनका कहना था। हम ऐसे सुझाव को वहां केन्द्र भेज देंगे, क्योंकि यह एक सार्वदेशिक प्रश्न है और सार्वदेशिक प्रश्न और संहिता यद्यपि हमे मान्य है, किन्तु उसमें संशोधन करना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो मैं तो यह चाहता हूं कि चूंकि माननीय मुख्य मंत्री ने ऐसी बात कह दी इस वास्ते ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा सुझाव आयें।

श्री कमलासिंह यादव—

असली चीज नहीं बतायी कि किसने कोड आफ कंडक्ट को भेजा और क्यों हम जो सुझाव देंगे वह कांग्रेस पार्टी के पास भेजेंगे ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मुख्य बात यह है कि क्या कोई कोड आफ कंडक्ट जो भारत सरकार बनाती है वह उत्तर प्रदेश की सरकार पर लागू हो सकता है । यदि हो सकता है, तो कांस्टीट्यूशन की कौन-सी धारा के अनुरूप है वह ?

मैं एक मूल प्रश्न उठा रहा हूं कि कोई भी निर्णय जो भारत सरकार करे वह स्वतः उत्तर प्रदेश पर लागू हो सकता है या नहीं। अगर नहीं हो सकता और उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है कि उसको स्वीकार करे या नहीं, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है कि वह उसमें कोई संशोधन भी कर सके। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का कोई निर्णय एक दम यहां लागू नहीं हो जाता है । जब उत्तर प्रदेश सक्षम है संशोधन करने के लिये तो हमारा यह अधिकार हो जाता है कि हम उसमें कोई संशोधन पेश कर सकें । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह रखा क्यों गया । यह, श्रीमन्, दो प्रकार से हमारे सामने आ सकता है—एक तो नियमावली के अनुसार या दूसरे फिर संविधान के किसी आर्टिकिल के अनुसार । तीसरा कोई तरीका मैं नहीं जानता जिसके अनुसार वह यहां आ सकता हो । आप यह मुझे बताने की कृपा करें कि यह नियमावली के किस नियम अथवा संविधान के किस आर्टिकिल के अन्तर्गत है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं कानून मंत्री जी से पूछूंगा लेकिन मैं समझता हूं कि नियमावली का नियम १७२ ही ऐसा है जिसके अन्तर्गत कोई नियम आदि आ सकते हैं अगर वे किसी अधिनियम के अन्तर्गत बने हों तो। उसमें शर्त यह है कि कोई नियम जो किसी अधिनियम के अन्तर्गत न बने हों वह १७२ में नहीं आ सकते । माननीया मुख्य मंत्री ने यह कहा कि केन्द्र के आदेशानुसार हमने इसको रखा है; अब और कुछ कहना है तो वह कहें ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न तो चल ही रहा है । माननीय कानून मंत्री को मैंने बुला लिया है, इसके बाद आप रखें ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मान्यवर, यह जो कोड आफ कान्डक्ट हाउस में रखा गया है यह केवल इत्तिला के लिये रखा गया है । जहां तक मिनिस्टर्स के कान्डक्ट का ताल्लुक है उसके लिये पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है और किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ उसकी यदि कोई गलती है, कोई बेईमानी या लापरवाही या भ्रष्टाचार आदि की उसके खिलाफ शिकायत है तो उसके लिये रेमेडी है और वह यह कि मिनिस्ट्री के खिलाफ यहां वोट आफ नो कान्फीडेन्स आ सकता है । इस सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं उनका व्यवहार कैसा हो, वे कोई गलती आदि न करें, किसी कम्पनी के यदि वे हिस्सेदार हैं तो मिनिस्टर न रह सकें, आदि कुछ बातें हैं जिनके लिये एक मारेल और वालन्टरी तौर यह नियम बनाये गये हैं । यह नियम भारत सरकार ने बनाये हैं । इसके लिये एक संथानम कमेटी भी मुकर्रर हुई थी । उसके बाद यह बने हैं । वहां पर भी हाउस की मेज पर यह रखे गये और वहीं से यह डाइरेक्शन आया कि इसकी इत्तला नहीं लेजिस्लेचर को भी दे दी जाय । और महज इसलिये इसका सर्कुलेशन और इसको आप लोगों की इत्तला के लिये पेश कर दिया गया । आप लोगों को

अगर इसके अलावा आपको इतिफाक हो तो और रूल बनाना चाहते हों या आप इसको नाकाफी समझते हों तो उसके लिये और रेमेडीज हैं। रेजोलूशन बिल या और जो कोई भी रेमेडीज हों वे कानून में हो सकती हैं। लेकिन जहां तक कोड आफ कांडक्ट का ताल्लुक है वह तो महज हाउस की इत्तला के लिये है। सेन्टर ने बनाया था और कहा था कि अपनी लैजिस्लेचर की इत्तला के लिये आप भी हाउस में रख दें। इसलिये हमने इसे रख दिया। इसकी न अहमियत है और न इम्पार्टेन्स है। आपकी रेमेडीज अपनी जगह पर हैं और वे कायम रहेंगी।

श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय के अविश्वास प्रस्ताव पर जब मैंने एक दिन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था तो आपने कहा कि विषय समाप्त कर चुका हूं। और मुझे डांटा भी और आपने यह भी कहा था कि समाप्त कर लिया तो क्या आप मेरी कुर्सी पर बैठकर करेंगे। आपने अब भी विषय समाप्त करने के उपरान्त माननीय भानुप्रताप सिंह और न्याय मंत्री को बोलने का अवसर दे दिया। आप जब व्यवस्था इस कुर्सी से देते हैं तो आप निष्पक्ष क्यों नहीं रहते। मुझे तो कह दिया कि समाप्त कर चुका हूं और भानुप्रताप सिंह जी और न्याय मंत्री को बोलने दिया। ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

मैं भानुप्रताप सिंह जी से भी कह रहा था कि विषय समाप्त कर दें तब आप बोलें। उन्होंने कहा कि मुझे इसी सम्बन्ध में बोलना है। जहां तक आपका सम्बन्ध था, जब विषय समाप्त हो गया मैंने अपना निर्णय दे दिया तब यह हुआ। अभी तो मैं निर्णय दे नहीं चुका था कि समाप्त करना चाहता हूं, आप कहें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, जबकि आपने कहा कि नियम १७२ के अनुसार सदन की मेज पर रखा जा सकता है तो श्रीमन् १७२ को देखें। १७२ में स्पष्ट है कि सदन की मेज पर रखा जायेगा लेकिन कब सदन की मेज पर रखा जायेगा। तो १ को देखें, दो को देखें और १७३ को देखें। स्पष्ट है कि सदन की मेज पर रख दिया जायगा। जो भी नियम या विनियम हों, सबके सम्बन्ध में हर माननीय सदस्य का कर्त्तव्य है कि वे संशोधन देंगे, उन संशोधनों पर विचार होगा और यह भी नियम है और परिपाटी है कि सदन में जो नियम रखे जायेंगे वे चौदह दिन तक पटल तक रहेंगे और चौदह दिन के अन्दर अगर असेम्बली बन्द हो जाती है तो भी रखे हुए माने जायेंगे। यह नियम है और ऐसा परिचालन होता है और इस नियम के अनुसार अधिकार है कि संशोधन रखें और बहस करें। १७३ के अनुसार आपका कहना गलत है कि इसके अनुसार सदन की पटल पर रखा ही नहीं जा सकता।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जिस नियम का हवाला दिया है वह १७२ है। मैं माननीय पांडेय जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस नियम का दोबारा अध्ययन करें। मेरे पास नियमावली की अंग्रेजी प्रति है . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ दूंगा। "संसद या विधान मंडल द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाये गये विनियम, नियम, उपनियम उपविधि आदि सदन के सामने रखे जांय तथा सम्बद्ध अधिनियम में उल्लिखित कालावधि जिसके लिये उसके रखे जाने की अपेक्षा हो सदन के निश्चित काल के लिये स्थगित होने तथा बाद में सत्रावसान होने के बाद पूरा किया जायेगा"।

श्री ब्रजभूषण शरण—

मैं यह कह रहा था कि इसमें क्या-क्या चीजें सदन की मेज पर रखी जाती हैं उसमें यह संशोधन हाउस कर सकता है वह बिल्कुल गलत है। उसमें यह है कि—

"The regulations or rules framed in pursuance of the legislative functions delegated by Parliament or Legislature to subordinate authority.

मेरी गुजारिश यह है कि यह जो कोड आफ कान्डक्ट बनाया गया है और जो हाउस की मेज पर रखा गया है वह किसी नियम के अधीन अथवा किसी अधिनियम के अधीन नहीं बनाये गये हैं और न उनसे किसी लेजिस्लेटिव फंक्शन का डेलीगेशन ही होता है। यह तो केवल सेल्फ रेस्ट्रेन्ट, सेल्फ डिसिप्लिन के लिये बनाये गये थे, इसलिये इनको नियम १७३ के अधीन इस सदन की मेज पर नहीं रखा गया है। यह सदन की मेज पर गवर्नमेन्ट की सफरेंस से रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब पहले समय निश्चित कर दीजिये वरना कठिनाई होगी।

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा है कि यह तो प्राइवेट कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखे गये हैं...

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री ने नहीं, यह तो माननीय मिश्रा जी ने कहा था कि यह पार्टी का मामला है।

श्री कमलासिंह यादव—

दो बातें हो सकती हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो सकता है, लेकिन वह सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वह पार्टी में रखा जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी दो हैसियतें हैं—एक एम० एल० ए० की ओर दूसरे मिनिस्टर की। एम० एल० ए० की अवस्था में वे न डिसमिस किये जा सकते हैं और न उनको रिमूव ही किया जा सकता है। इसलिये एम० एल० ए० के ऊपर यह चीज लागू ही नहीं होती। १९५८ में और १९६४ में इस बारे में रूलिंग्स हो चुकी हैं। जहां तक उनके मिनिस्टर होने की बात है, उनका एप्वाइन्टमेन्ट गवर्नर के द्वारा होता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विधि मंत्री ने सब चीज स्पष्ट कर दी है, आप उसी के प्रकाश में बोलिये। यहां अब कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मिनिस्टर की एप्वाइन्टिंग आथोरिटी और डिसमिसिंग आथोरिटी गवर्नर है, अतः गवर्नर उनके बारे में नियम ३०९ के अधीन रूल्स बना सकता है और ३०९ में प्रेसीडेन्ट बना सकता है। ३०९ के अन्तर्गत मिनिस्टरों के लिये रूल्स बन सकते हैं और उसी प्रकार से गवर्नमेन्ट सरवेंट्स रूल्स भी बन सकते हैं ३०९ में।

श्री अध्यक्ष—

क्या ३०९ में मिनिस्टरों के लिये रूल्स बनाये जा सकते हैं?

श्री कमलासिंह यादव—

जी, गवर्नर बना सकते हैं और प्रेसीडेन्ट भी बना सकता है, क्योंकि गवर्नमेन्ट सरवेन्ट वे भी हैं। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १०२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --

कृपया जो बात रेलेवेन्ट हो वही कहें। १०२ में तो यह लिखा है कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य चुने जाने के लिये क्यों अनर्ह होंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

१०२(१) तो आफिस आफ प्राफिट है, उसमें लिखा है कि मिनिस्टर का आफिस आफ प्राफिट नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कोड आफ कंडक्ट पर बोलें। आफिस आफ प्राफिट पर न बोलें।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपसे ज्यादा तो वह कानून पढ़े हैं, जब कानूनी सवाल आता है तो आप उन्हीं को खड़ा करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

यह १९४५ में प्रिवी कौंसिल की १५७ वीं रूलिंग हुई है एम्परर वर्सेज शिवनाथ। उसमें प्रिवी कौंसिल ने होल्ड किया है कि जितने मिनिस्टिर्स हैं वह आफिसर्स सबार्डिनेट टु गवर्नर हैं। इसलिये उन के बारे में गवर्नर ही नियम बना सकते हैं। सन् ३५ के ऐक्ट में भी आपने देखा होगा कि...

श्री अध्यक्ष--

मुझे निवेदन करना पड़ेगा कि आप बिलकुल असंगत बोल रहे हैं। क्षमा कीजिये, यहां आफिस आफ प्राफिट की या रूल्स बनाने की बात नहीं है, आप के सामने बात यह है कि वहां एक आचार संहिता रखी गई, उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। लेकिन वह किन परिस्थितियों में आई, इसको माननीय विधि मंत्री जी ने बता दिया।

श्री कमलासिंह यादव--

अब मैं नियम १०६ की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा कर के अब इसे समाप्त करें।

श्री भानुप्रताप सिंह--

श्रीमन्, आप हमें एक मिनट दे दें तो सारी कठिनाई हल हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--

आप यह समझ लें कि एक विषय पर कोई एक बार ही बोल सकता है, अधिक नहीं।

श्री भानुप्रताप सिंह--

आप एक मिनट मुझे कहने दें तो सारी कठिनाई दूर हो जायगी।

श्री कमलासिंह यादव--

तो यह आफिसर्स सबार्डिनेट टु गवर्नर हैं, गवर्नर ने रूल्स बनाये हैं। जब यह चीज मेज पर रखी गई तो उस पर बहस हो सकती है और मैं आपका ध्यान नियम १०६ की तरफ आकृष्ट करूंगा जिसमें दिया हुआ है कि "संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़ कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।"

श्री अध्यक्ष—

यह सब बिलकुल असंगत है जब तक यह सिद्ध न हो कि यह आचार संहिता गवर्नर ने बनाई है ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में यह निवेदन करूंगा कि आपने भी यह राय जाहिर की कि यह चीज अपनी नियमावली के अनुसार नहीं आ सकती थी। आपने भी और विधि मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया और माननीय विधि मंत्री जी ने भी कोई कानूनी प्वाइंट नहीं रखा, केवल उन्होंने नैतिकता की बात कही। यह तो स्पष्ट है कि यह नियमानुकूल नहीं आ सकता। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीया मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह इसको वापस ले लें। यह चीज गलती से आ गई है। गलती अगर किसी से हो जाय तो इसमें कोई बात नहीं है, वह इसको वापस ले लें क्योंकि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह पढ़ रहा था कि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में यह दिया हुआ है कि अगर गलती से कोई पेपर्स सदन में रख दिये जायं तो वह विदड्रा हो सकते हैं। यह तो उनके अधिकार की चीज है।

श्री उग्रसेन—

यह तो मंत्रियों के प्रचार की चीज है।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो संहिता सदन के सामने रखी गई उसके सम्बन्ध में आप नियमावली का नियम ३१० देखें, उसमें लिखा है कि "सदन की मेज पर कोई पत्र या लेख्य अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जायगा।" यह ठीक है कि आपकी आज्ञा के बिना कोई कागज यहां नहीं रखा जा सकता, लेकिन किन कागजात पर बहस यहां हो सकती है उसके बारे में यहां अभी शरण जी ने बताया कि अगर किसी लेजिस्लेचर के कानून के मातहत या सेन्ट्रल पार्लियामेंट के कानून के मातहत जैसे डेलीगेशन होता है, वैसे ही वह आये, उस पर सदन बहस कर सकता है। नियम १०५ के अन्दर संकल्प द्वारा आप पेश कर सकते हैं, जैसा कि अभी माननीय विधि मंत्री जी ने बतलाया। मेरे पहले माननीय कमला सिंह जी ने भी कहा कि एम० एल० ए० के लिए लागू नहीं कर सकते। इस तरह से सेन्टर ने यह सोचा कि आचार संहिता भेजी जाय। हमको अधिकार था कि हम स्वीकार करते। हमने अपने ऊपर केन्द्र का जो सुझाव था इस जिम्मेवारी को भी अपने ऊपर लादा है। यदि सदन को कोई शिकायत है तो किसी भी मोशन द्वारा वे इस सदन में ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

विधि मंत्री जी ने इसको साफ कर दिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, हमने नियम ३१० को तो देख लिया है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ने नियम ३११ को भी देखा है? जब आप किसी पत्र या लेख्य को रखने की आज्ञा देंगे तो आपको संशोधन की भी आज्ञा देनी पड़ेगी।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जरा नियम ३११ को पढ़ कर आप बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

नियम ३११, ३१२ को मैंने नहीं देखा है। जहां तक मैं समझता हूं, वे नियमों के संशोधन से सम्बन्ध रखते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, इतनी बड़ी पार्टी के बहुत दिनों से माननीय बनारसीदास प्रतिनिधि हैं। वे बड़ी खोज करते हैं...।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, एक निवेदन करना चाहता हूं। कानूनी प्वाइन्ट्स आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन विधि मंत्री जी ने एक मोरल प्वाइंट उठा दिया जो कि डिबेटेबिल है। जब एक नैतिकता का प्वाइंट उठा दिया तो उस नैतिकता का कितना आचरण किया, यह भी डिबेटेबिल है। माननीय बनारसी दास जी ने भी स्वीकार किया है कि डिबेट हो सकती है। तो आप इस नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार कर लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय मन्त्रियों से सम्बन्धित है और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा गम्भीर प्रश्न इसके पहले कभी नहीं आया होगा, जिसका निर्णय, श्रीमन्, आपके हाथ में है। यह केवल मंत्रियों के कन्डक्ट का प्रश्न नहीं है बल्कि सारे प्रान्त की जनता आपकी ओर निहार रही है कि क्या आप विरोधी पक्ष को अवसर देंगे कि वे भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। आप स्वयं इसको ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। अगर कोई लीगल क्वीबिल है तो आपको निर्णय करना होगा कि आपका विवेक किधर जाय। उस विवेक का निर्णय करने में इंसाफ आपके सामने है, जन समाज का हित आपके सामने है और मौरेलिटी अर्थात् नैतिकता भी आपके सामने है। उसमें मैं समझ सकता हूं कि आप एक बड़ी कसौटी के सामने उपस्थित हैं।

श्रीमन्, माननीय विधि मंत्री ने हमारे सामने एक बड़ी थोथी दलील दी है। आपने जो कुछ कहा है उससे हमारी आंखों में धूल झोंकी है। आप कहते हैं कि यह तो यों ही इत्तिला के लिए रख दिया गया है। अगर इत्तला के लिये ही रखना था तो यह काम तो आप चिट्ठी भेज कर भी कर सकते हैं, और अखबार द्वारा और पत्र द्वारा इत्तला देना, दोनों में अन्तर है। जब सदन में कोई चीज रखते हैं तो वह हाउस की प्रौपर्टी हो जाती है। मतलब यह कि वह अकेले मंत्रि-मंडल या कांग्रेस दल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि विरोधी पक्ष और सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों की प्रौपर्टी है। और जैसा वह कहते हैं कि हमारी यह आपस की चीज है, मैं इसको नहीं मानता। अगर इनकी आपस की चीज होती तो ऊपर से आया होता कि कांग्रेस के जो मेम्बर हों उनको इसका पालन करना पड़ेगा। ऐसा आया नहीं। आया इसलिये कि कैबिनेट के मेम्बर की हैसियत आचरण के बारे में क्या होगी। जिस वक्त कैबिनेट के मेम्बर की बात करते हैं तो वह इमीडियेटली पब्लिक सर्वेन्ट हो जाता है। और सारे प्रदेश की जनता से संबंधित हो जाता है। इसलिये उनका यह कहना असंगत है कि हमने आपकी जानकारी के लिये यह भेज दिया है। यह तो केवल मोरल कोड हमने अपने ऊपर लगाया है। मैं ऐसा नहीं समझता। वह पब्लिक सर्वेन्ट हैं, जितनी भी परिभाषा कैबिनेट मिनिस्टर की लेंगे, आप पायेंगे कि वह पब्लिक सर्वेन्ट माना गया है। पब्लिक सर्वेन्ट के कंडक्ट का निरीक्षण अगर यह सदन नहीं करेगा तो कौन करेगा? यही एक ऐसा स्थान है जहां पर मिनिस्टर को देखा जा सकता है। इसलिये मैं आपके विवेक को खींचने के लिये कह रहा हूं कि अगर आपका विवेक ढुलमुल हुआ तो पब्लिक सारी देखेगी कि आपका निर्णय जनहित में हुआ कि नहीं।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात यह है कि बड़ी आसानी से मोरेलिटी की बात माननीय न्याय मंत्री ने कही। इनको यह लज्जा नहीं आयी कि आप का ऐक्ट मोरेल है या इम्मोरल। इसका जज कौन करेगा? आप स्वयं होंगे या पब्लिक होगी? यह हो सकता है कि कांस्टीट्यूशन या रूल्स की टैक्नीकैलिटीज पर यह चीज न आये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह सदन की प्रौपर्टी हो गई तो आप अवसर दें उस पर डिस्कशन करने का। यह तरीका नहीं है कि हम संशोधन लिखकर दें और आप उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दें और जब संशोधन पर बोलें तो वह संशोधन लिपिबद्ध होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि टैक्नीकैलिटीज में न जा कर न्याय की दृष्टि से आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा मत है उसको स्वीकार करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक एक्सप्लेनेशन नेता विरोधी दल से चाहता हूं। परसों के एजेन्डा में, जहां तक मुझे पता है, डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र आया था और वह पिजन होल में भी रखी गयी थी। तो क्या उस रिपोर्ट पर हम लोग कोई संशोधन रख सकते हैं या सदन में बहस कर सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से जैसे डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गयी, एजेन्डे पर आयी और उस पर संशोधन नहीं ला सकते, उसी प्रकार यह कोड आप कंडक्ट भी रखा गया है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

ला में प्रौहिबीशन होता है, इलस्ट्रेटिव ला होता है। कहता है यह काम नहीं करेगा, बाकी चीजें विवेक पर छोड़ी जाती हैं जो की जाती हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

किस ला में प्रौहिबीशन है?

श्री अध्यक्ष—

अगर आप स्पष्टीकरण चाहेंगे तो बैठ जायें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इन्होंने जो कहा उसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह परिपाटी है कि कोई चीज सदन में आयी तो उस पर डिस्कशन होना चाहिये। माननीय न्याय मंत्री ने कहा यह क्या समझते हैं कि इधर के आदमी बिल्कुल बुद्धू हैं? यह कहते हैं कि बिल के जरिये से, रिजोल्यूशन के जरिये से, लाइये।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोड आफ कांडक्ट बना और आपने उसे इस सत्र के अन्त में रखा ताकि डिस्कशन करने का अवसर न मिल सके, इससे पहले क्यों नहीं रखा। आप इसे रखकर यह चाहते हैं कि हमारे मंत्री निष्कलंक निकलें और यह नहीं चाहते कि हमारी जांच हो।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। आप नियम ३१७ देखें "ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा, जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निर्देश दें। तो विवेक की इंटेंसिव पावर दी गयी है, यह बहुत पवित्र पावर दी गयी है और जनकल्याण आपके हाथ में इस पावर के द्वारा है और जन समाज कल्याण में जो बात हो वैसा निर्णय आप दें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई पत्र परिपत्र जिसमें हस्ताक्षर न हों, उसको स्वीकार किया जा सकता है ? ३१० नियम का, जिक्र किया गया। ३१० में यह आवश्यक है कि अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जा सकता। इसके मानी यह हैं कि उसके रखने के पहले आप की आज्ञा ले ली गयी। तो क्या आप बतलायेंगे कि जिस पत्र में किसी के हस्ताक्षर नहीं है, गुमनाम पत्र को कैसे यहां रख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

रखना नहीं चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं और एक आचरण संहिता मंत्रियों के सम्बन्ध में बनाई गयी और वह इस सदन की मेज पर रखी गयी। सवाल यह उठाया जा रहा है कि चूंकि सदन की मेज पर एक आचरण संहिता रख दी गयी इसलिये सदन को इस बात का अधिकार है कि उस संहिता में चाहे संशोधन करे अथवा विचार करे। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जो कुछ नियम उद्धरित किये जा रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। १७२ और १७३ नियम जिनमें संशोधन करने का अधिकार सदन को है उनमें साफ कहा गया है कि अगर यह सदन कोई कानून इस किस्म का बना चुका था और उसके अन्तर्गत नियम, उपनियम बनाये जायं तो यह सदन उन पर विचार करेगा। अब माननीय अध्यक्ष को यह भी अधिकार प्राप्त है कि यदि आप आवश्यक समझें सदन के कार्य-,संचालन के लिये तो कोई भी दस्तावेज इस सदन की मेज पर रखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स में प्रिविलेज के सवाल उठाये गये हैं जिनमें कुछ प्राइवेट लेटर्स इनवाल्ड थे। माननीय अध्यक्ष ने आवश्यकता समझी तो वहां उनको सदन की मेज पर रखा गया ताकि सदस्यों के काम में सुविधा हो। इसका मतलब यह नहीं होता कि जो कुछ सदन में नियम १३१ के मुताबिक पेश हो, कोई बिल के सदन के सामने पेश हो उस पर कुछ संशोधन हो रहा है और माननीय सदस्य चाहें तो उस संशोधन से सम्बन्धित तमाम बिल तथा दस्तावेज मांग सकते हैं और वे सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं। इसके यह माने नहीं ह कि जो भी दस्तावेज सदन की मेज पर रखी जाय उस को बहस का विषय बनाया जाय और उसमें कुछ संशोधन रखा और लाया जाय। इसलिये इस प्रश्न को उठाना कि चूंकि सदन की मेज पर इसे रखा गया है इसलिये हम उस पर बहस करना और संशोधन करना चाहते हैं, इसके लिये किसी नियम के अनुसार हमें अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसा कि माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि यहां डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट हाउस में रखी गयी थी। साथ ही इसी सदन की बनायी हुई जो प्राक्कलन समिति है उसका प्रतिवेदन जब हाउस के सामने रखा जाता है तो उस पर हम बहस नहीं करते। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नियम ३११–३१४ तक तो केवल नियमों में संशोधन के लिये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय न्याय मन्त्री बोलें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, आपने मेरे व्यवस्था के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि क्या किसी गुमनाम पत्र या प्रपत्र को सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैंने स्वयं सरकार से पूछा कि इस पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है।

कुंवर श्रीपाल सिंह—

नियम ३१० के अनुसार इसको सदन की मेज पर रखने के लिये आपसे उन्होंने अनुज्ञा ली होगी अगर उन्होंने आप से आज्ञा ले ली तो मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूं कि क्या कोई गुमनाम पत्र इस सदन की मेज पर रखा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

अगर इसका उत्तर दिया गया तो इस संहिता को खारिज करना पड़ेगा और वह निकल जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इस बात को आप समझ लें, श्रीमन्, कि अगर इस तरह से गुमनाम पत्र सदन की मेज पर रखे जाने की अनुमति आपने दे दी तो आगे चल कर आप उसे किसी प्रकार से रोक नहीं सकेंगे और यह बड़ी खतरनाक बात हो जायगी।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैंने माननीय न्याय मंत्री को बुला लिया है।

(व्यवधान)

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बाद में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण करा लीजियेगा। माननीय नेता विरोधी दल बोल लिये और अब मैंने न्याय मंत्री को बुला लिया है।

श्री सैयद अलीजहीर—

अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है। सिर्फ यह कहना है...

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आपने यह कहा था कि किसी को दो बार नहीं बोलने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय न्याय मंत्री सम्बद्ध मंत्री हैं, वे दो बार बोल सकते हैं। विधि मंत्री भी वही हैं।

श्री सैयद अलीजहीर—

अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता विरोधी दल ने जो बहस की है उससे यह मालूम होता है कि वह यह समझते हैं कि हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि मिनिस्टरों के कंडक्ट के ऊपर यहां कोई बहस हो, लेकिन उनका यह खयाल बिलकुल गलत है। हम चाहते हैं कि जो बहस हो, जो हमारे कायदे व रूल्स में बने हुए हैं, उनके मातहत यह बहस होनी चाहिये। इस पर बहस की बात माननीय सदस्य इस स्टेज पर उठाये हैं जबकि ५ वर्ष पूरा होने को आता है। अगर वे यह समझते थे कि मिनिस्टरों के लिये कोई कोड आफ कांडक्ट होना चाहिये या कोई इस किस्म का रूल होना चाहिये तो उनके लिये बराबर रास्ता खुला हुआ था, वे इस बात को

किसी भी स्टेज पर ला सकते थे और उसके बाद यहां पर बहस होती और अगर हाउस मंजूर करता तो उस किस्म का रूल बनता। यह कहा गया कि इसे आखिरी वक्त में लाया गया है। आखिरी वक्त में तो इसे हम अपनी खुशी और रजामन्दी से लाये हैं और एक दफा सन् १९६५ में बाज मेम्बरान की तरफ से सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में बतलाया गया था, यह सही है कि हाउस की मेज पर नहीं रखा गया था, लेकिन उस वक्त भी इसके मुतल्लिक यह कोई छिपी हुई चीज नहीं थी कि बन गये थे और इसको हमने पेश किया। तो अब इस तरह की बातें करना कि हम छिपाना चाहते हैं या डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं यह गलत है। अगर आप चाहते हैं तो आपको हमेशा अधिकार है। अभी आपने नो-कान्फीडेन्स मोशन पर बहस की, उसमें आप यह चीज ले आते। अब हाउस ने उसको ऐक्सेप्ट नहीं किया, थ्रो आउट कर दिया, यह बिल्कुल एक दूसरी चीज है, लेकिन किसी का इन रूल्स के ऊपर इसरार करने से कि इसके ऊपर बहस नहीं होनी चाहिये हमारा हर्गिज यह इरादा नहीं है कि हम किसी चीज पर पर्दा डालें। जैसा कि अभी बताया गया, ३१० में आपकी इजाजत से ये मेज पर रख दिये गये और इसमें न तो कोई तरमीम की गुन्जायश है, न बहस की गुंजायश है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं निवेदन कर दूं। यह बात कि प्रत्येक पत्र जो सदन की मेज पर रखा जाय वह बहस का विषय हो जाता है, इतनी विस्तृत बात स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन जैसा कि विधि मंत्री कहते हैं कि यह कोड हमने स्वयं अंगीकार किया। अगर आप चाहते हैं इसमें संशोधन करना, तो नियमों के अन्दर कहीं आता हो तो आप कर सकते हैं। एक सूचना आप को दे दी गयी। तो मेज पर रखे गये किसी पत्र पर पूरी तशरीह बिना उस पर बहस करना तो उचित नहीं होगा। बल्कि यह हो सकता है कि आप का कोई सुझाव आये। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय काशीनाथ जी का एक इस प्रकार का सुझाव आया है, लेकिन उसका स्वरूप संकल्प का है। लेकिन संकल्प का स्वरूप होते हुये भी जिस रूप में उन्होंने दिया है, मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री की बहस की दृष्टि से वह स्वीकार्य है और वह चूंकि संकल्प के रूप में है इस वजह से वह हमारे नियमों के अन्तर्गत शलाका का मोहताज है। उनका कहना है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की निश्चित धारणा है कि मन्त्रियों का आचरण कोड जो केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ है बहुत ही सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर लागू किया जाय। जब जीवन का नतिक स्तर ऊंचा उठाने तथा राजनैतिक जीवन से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये इस सभा की यह निश्चित राय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मन्त्री शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के अन्दर अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की चल और अचल सम्पत्ति का विवरण, जैसा कि आचार संहिता में निर्दिष्ट है, पेश करें क्योंकि ऐसा करने के बाद ही इस आचरण कोड पर अमल हो सकता है।"

इसको मैं स्वीकार करता हूं। बैलट द्वारा अगर यह आ जायगा तो इसको ऊपर विचार यह सदन करेगा।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उस समय भी वह कह देंगे कि कान्फीडेंशल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक बात जो आपने कही कि वह कह देंगे कि कान्फीडेंशल है, तो जब इस आदरणीय सदन का यह निश्चय हो जायगा कि सदन में विवरण प्रस्तुत हो और इस पर बहस हो, तो फिर कान्फीडेंशल का प्रश्न नहीं उठेगा। यहां पर हमें यही विचार करना है। माननीया मुख्य

[श्री अध्यक्ष]

मंत्री ने कहा था कि आप सुझाव भेजें, हम उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर आप प्राइवेटली सुझाव दे दें तो दूसरी चीज है, लेकिन बाबू श्री काशीनाथ जी का सुझाव मैं समझता हूं और माननीय विधि मंत्री के कहने के अनुसार भी बिल्कुल विनिमित है और इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये माननीय कमलासिंह जी, एक मोटी बात है कि अध्यक्ष के निर्णय पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। मुझे खत्म कर लेने दीजिये। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने एक बात कही कि यह एक ऐसा पत्र है जिसकी कोई लागत सेवशन नहीं है। लेकिन हम सारी परिस्थितियों को सामने रखें और इस बात को जो बात माननीय विधि मंत्री जी ने कहा है कि हम अपना मोरल ड्यूटी समझते हैं कि इस संहिता से सदन को अवगत करायें। तो सदन के सदस्य मंत्रियों को सुझाव देने के अधिकारी हो जाते हैं। जब यह मारेलिटी की बात कह रहे हैं तो उसमें इतना और जोड़ देना चाहिये।

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोरल प्वाइंट के इंटरप्रेट करने का आपका काम नहीं है। आपका काम लीगल प्वाइंट को इंटरप्रेट करना है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपने इस कुर्सी की निष्पक्षता को नहीं निभाया है। इस सदन में बहुत वाक आउट हुये हैं। लेकिन आज मैं इस सदन से जाना चाहता हूं।

(स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

जो बात यहां कही गई उसके स्वीकार करने पर भी आप कहते हैं कि निष्पक्षता नहीं हुई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर ऐसा निर्णय देंगे, ऐसी मुझे आशा नहीं थी। इससे हमें बड़ी निराशा हुई और मैं समझता हूं कि सारे प्रांत की जनता के साथ यह अन्याय हुआ है। इसलिये मैं अपने दल के साथ ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं। मुझे सदन से कोई आशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी आधारहीन बात आप लोग करने लगे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इस समय आपने गैर कानूनी चीज को प्रोत्साहन दिया है।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय—

आपने मसले पर अपनी राय दी है और जिस रूलिंग को आपने पेश किया है। उससे हमें असंतोष है। मैं थोड़ी देर के लिये सदन का त्याग करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित था और वाद विवाद हो रहा था और हमें विश्वास था कि आप पक्ष में या विपक्ष में कोई स्पष्ट व्यवस्था देंगे, स्वीकार करते या अस्वीकार करते, आपको स्पष्ट रूप से व्यवस्था देनी चाहिये थी। लेकिन आपने मसले को टाल दिया।

श्री अध्यक्ष—

जो नियम है वह मैंने निवेदन किया है।

श्री झारखंडेराय—

आपने निष्पक्षता नहीं निभाई है। मैं सदन से बाहर जाता हूं।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं जानना चाहता हूं कि शलाका के लिये आपने ले लिया। शलाका में तो वह वैसे ही आ जाता। इसमें आपकी बुद्धि और विवेक की क्या बात थी?

श्री अध्यक्ष—

अगर यह बात आप कह रहे हैं तो जिस प्रकार से लिया जा सकता था उसी प्रकार तो लिया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये हैं वे आपकी आज्ञा के बिना दिये हैं और जो आपकी आज्ञा के बिना भाषण किये जायं वे अनियमित हैं। इसलिये यह कार्यवाही से निकाल दिये जायं।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

इसमें औचित्य का प्रश्न तो नहीं आता। हम अध्यक्ष की किसी व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते परन्तु अपना मत अवश्य प्रकट कर सकते हैं। इसलिये हम रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी दो मिनट के लिए वाक आउट करते हैं।

(रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने स्वीकार कर लिया है। जहां तक इनका ताल्लुक है, यह तो अव्यवस्था रखना चाहते हैं। इनको तो कुछ न कुछ रास्ता चाहिये।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

इस पर चर्चा करने पर ऐतराज क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आपके निर्णय के खिलाफ पांच मिनट के लिये वाक आउट करती है।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने काशीनाथ जी का संकल्प स्वीकार किया है। क्या मैं यह समझूं कि यह शलाकाम नहीं जायगा? और आपने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार कर लिया है तो कोई दिन आपने निश्चित किया है जब संकल्प सदन में आयेगा?

श्री अध्यक्ष--

क़ायदे के मुताबिक जो होता है वह होगा ।

श्री केशरी प्रसाद पाडेय--

क़ायदे के मुताबिक यही था कि शलाका में जाय । किस नियम के मुताबिक आपने संकल्प को स्वीकार किया ?

श्री अध्यक्ष--

जिस नियम के मुताबिक संकल्प लिये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको हटाने के लिए हम लोगों ने आपके पास प्रस्ताव भेजा है । उसके लिए कौन-सी तारीख नियत कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप अभी चाहते हों तो अभी या कल कर लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप तो रूलिंग दे चुके हैं कि १४ दिन पर होगा ।

श्री अध्यक्ष--

आप १४ दिन के पहले नहीं चाहते तो ठीक है । उस पर विचार किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

तो निर्णय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय दे दूंगा । १४ दिन के अन्दर मुझे निर्णय देना है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मुझे पूछने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष--

कल बता दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

कल तो असेम्बली रहेगी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने अभी रखा गया है । मैंने देखा नहीं है । मैं देख लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

आप बताइये कि कब बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अगर अनियमित न होगा तो शाम तक बता दूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अनियमित क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं देख तो लूं।

विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति का प्रतिवेदन तथा सदन के अवशेष कार्य

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दूसरी बात यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने ८ अगस्त को प्रार्थना-पत्र दिया और आपके आश्वासन पर दिया था। आपने हाउस में हमारे सवाल पर कहा था कि नेता विरोधी दल और सरकार से कहा जाय कि जो विधान सभा के कार्य में हैं उन कार्यों को संचालित करने के लिये विधान सभा आगे बुलायी जाय या चालू रखी जाय। उन्होंने आपको कुछ सूचनायें भी दी थीं कि अमुक अमुक बातों पर विचार होना चाहिये। आपने यह भी कहा था कि माननीया मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है, उनका उत्तर आ जाय तो मैं विचार करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री का उत्तर आपके पास आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप क्या फैसला करते हैं ? विधान सभा का जो कार्य है, विधान सभा जिसके लिये बैठनी चाहिये, उसके लिये आप निर्णय क्या लेते हैं ? सरकार तो चाहती है कि यह सदन न चले लेकिन आप तो उस पर अपनी राय दें ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त १८ जुलाई को यह सदन यहां पर मिला था, उसी समय यह घोषणा कर दी गयी थी कि यह सदन १२ अगस्त तक चलेगा, उसके कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी गयी थी। जो कार्य आवश्यक समझे गये थे वह ले लिये गये थे और यह कार्यक्रम आवश्यक नहीं समझे गये इसलिये इस सत्र में नहीं लिये गये। अब जिस वक्त में सत्र होगा उस वक्त में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे हैं, उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी निर्णय लेने की कोशिश करेगी। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी तभी यह बात सोचनी चाहिये थी कि क्या विषय अनिवार्य हैं। १२ अगस्त तक के कार्यक्रम की हमने सूचना दी थी। अब उसके बाद और भी बहुत काम हैं। इसलिये यह बढ़ाया नहीं जा सकता। आज यह सदन अनिश्चित काल के लिये उठेगा, जैसी कि सूचना दी जा चुकी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी दो प्रश्न माननीय रामसुन्दर पांडेय ने किये। एक प्रश्न तो है विधान सभा सचिवालय पुनस्संगठन समिति के बारे में। मैंने इस संबंध में कहा था कि उस दिन मैं माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत कर लूं और यदि वे बातचीत नहीं करेंगी तो मैं महामहिम राज्यपाल की सेवा में भेज दूंगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपसे बातचीत करना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे माननीय बनारसीदास जी के द्वारा बातचीत की। सूरत यह है कि यह विषय इस आदरणीय सदन में माननीय रामसुन्दर जी ने एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया था। मैं जानता था, और वह स्वयं भी जानते थे, कि उस समय यदि उस संकल्प पर सदन की राय ली जाती तो वह गिर जाता। परिणामस्वरूप मैंने यह सोचा कि मैं उस विषय को सदन के निर्णय पर न छोड़ूं। मैं चाहता था अगर और सुझाव दिया कि यह एक कमेटी के सुपुर्द हो जाये। माननीय बनारसीदास जी ने उसे मंजूर कर लिया। अब कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सदन के माननीय सदस्यों की एक विचारधारा प्रकट हो गयी। इस पर माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गयी है और इस पर अंतिम

[श्री अध्यक्ष]

निर्णय लेने के लिये हम लोग बैठ जायें, जिसमें मैं होऊं, वे हों और सरकारी सचिव भी हों, और इस प्रकार से आप हमारे भी विचार समझ लें, तब कुछ निश्चय लें। मैं समझता हूं जब कमेटी बनाने का मेरा सुझाव सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था क्योंकि अगर वह प्रस्ताव के रूप में सदन में आता तो स्वीकृत न होता, मैंने सरकार से निवेदन किया और उन्होंने मान लिया तो हमें सरकार की इस बात को मान लेना चाहिये और इसमें कोई एतराज की बात भी नहीं है।

दूसरी चीज हमें यह समझ लेनी चाहिये कि संविधान की धारा १८७ के अधीन गवर्नर महोदय नियमों का निर्णय करेंगे और वह हमसे सिर्फ राय लेंगे। सरकार का दृष्टिकोण जान लूं ताकि मैं गवर्नर साहब को उचित परामर्श दे सकूं। अन्तोगत्वा तो वही नियमों का निर्माण करेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन यह है कि माननीय बनारसीदास जी हमसे बातचीत कर लें और उसके बाद जैसा उचित समझेंगे, हम करेंगे। यह सारा विषय अगले सत्र में अवश्य आ जायेगा।

दूसरा प्रश्न यह है। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने एक लम्बी चौड़ी सूची मेरे पास भेजी थी और कहा था कि इन पर विचार हो जाये। वह इस प्रकार से है, आप इसे स्वयं देख लें कि आप इसको कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। सबसे पहले विशेषाधिकार समितियों के प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में निवेदन किया है। २१ सितम्बर, १९६५, की कार्यसूची में यह सब सम्मिलित की गयी थी। परन्तु उस दिन विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग होने के कारण वह प्रस्ताव नहीं लिया गया। दूसरे सतर्कता आयोग के बारे में लिखा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप जरा सुन लें। हम लोग नहीं थे, लेकिन माननीय कमलासिंह जी थे और उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि आज विचार न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वही तो मैं भी कह रहा हूं कि आपकी ही तरफ से यह हुआ कि जब आप चले गये तो यह विषय भी नहीं आ सका।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कमलासिंह जी बैठे थे, हमारी तरफ के लोग थे।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आप लोग नहीं थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कार्यवाही मंगा कर देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग ११ मई सन् ६६, को सदन में आया, परन्तु किसी माननीय सदस्य के बोलने के लिये न खड़े होने के कारण वह समाप्त किया गया। अब तीसरी बात चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में है। माननीय बनारसीदास ने कहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का अभी स्वरूप स्वीकार नहीं हो पाया है, हम उसको स्वयं नहीं बना सके हैं और इसलिये हम उसको सदन के सामने नहीं प्रस्तुत कर सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियम समिति का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

तीसरी बात में आदरणीय सदन के सामने जरा इससे पढ़ दूं। इस विषय के संबंध में पहले मुझे रिपोर्ट दी गई कि इस सूची को कार्यमंत्रणा समिति के सामने भेज दिया जाय। मैंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति में इस प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि पूर्व इसके कि कार्य मंत्रणा समिति को आहुत किया जाय यह तय होना आवश्यक है कि यह सरकारी कार्य है जैसा कि नियम २२५, खंड १, में लिखा है। जिन विषयों को प्रशासन सदन में प्रस्तुत करने के लिये आकांक्षित हो और सरकारी कार्य या विषय हों वही रखे जा सकते हैं अन्य विषय सदन में विवाद के लिये नेता सदन और विरोधी दलों के नेताओं के बीच में वार्ता द्वारा तय होना चाहिये। (व्यवधान) अध्यक्ष तथा विधान सभा सचिवालय सदन के अधिवेशन-काल में सरकारी अथवा अस कार्य सूचनायें जो प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के अन्तर्गत नियमित रूप से प्राप्त होती है और नियमित रूप से स्वीकृत होती हैं तब उनको क्रम देकर हाउस में रखते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आप यह क्या पढ़ रहे हैं?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संक्षिप्त में बताइये कि क्या कहना चाहते हैं। आप इस स्थिति में नहीं है कि सरकार ने जो लिखकर दिया है उसको पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

आपके नेताओं ने बार-बार कहा है कि मैं भिन्न विषयों पर बहस नहीं होने देना चाहता।

श्री उग्रसेन—

माननीय बनारसीदास जी ने जो लिखा है वही बात आप यहां पढ़ रहे हैं। हम तो पहले ही से उम्मीद रखते थे कि आप बहस नहीं कराने देंगे, वही आप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप तो मोटी बातों पर भी विचार नहीं करना चाहते।

श्री उग्रसेन—

यह तो टालू मिक्सचर है। जो आप ले रहे हैं और कह रहे हैं, वह सब टालने वाली बात है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, तो अब यह विषय समाप्त।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नियम समिति के संबंध में आपने नहीं बताया कि किस तारीख को लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

नियम समिति की रिपोर्ट इस सदन के सामने अब छपकर आ गयी है, वह बट जायेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

कब बहस होगी, उत्तर प्रदेश विधान सभा में कब लागू होगी?

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

अध्यक्ष जी, आपके ऊपर हमारा चार्ज यही है कि आप भी उपाध्यक्ष की तरह उनसे डर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष

यदि आप वापस नहीं लेते हैं तो सदन को छोड़िये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सदन नहीं छोड़ेंगे। सदन आप छोड़िये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य के व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और उनको इंगित करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं प्रस्ताव करती हूं कि माननीय सदस्य श्री रामसुन्दर पांडेय को सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय को सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(शोर)

(प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी श्री रामसुन्दर पांडेय सदन से बाहर नहीं गये। बाद में श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल हाऊस गार्ड्स् के साथ माननीय सदस्य के पास जाने पर वह सदन से बाहर चले गये।)

श्री उग्रसेन—

हम यह कहते हैं कि जब अध्यक्ष गुस्से में हो जाता है तो वह अध्यक्ष नहीं रहता है। आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है। आप भी सदन छोड़िये हम यह मांग करते हैं। (व्यवधान) आप उस कुर्सी पर बैठकर गुस्से में हो जाते हैं तो आप भी कुर्सी छोड़ें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

अगर रामसुन्दर जी पांडेय इस सदन को छोड़ते हैं तो आप भी छोड़िये सदन को।०

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़ें।

श्री उग्रसेन—

हम नहीं छोड़ेंगे। आप सदन छोड़ें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य के व्यवहार के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और इंगित करता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं प्रस्ताव करती हूं कि माननीय उग्रसेन को सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन को सदन की सेवा से दो दिन के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री उग्रसेन सदन से बाहर नहीं गये। श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल श्री उग्रसेन को हाऊस गार्डस् की सहायता से सदन के बाहर ले गये।)

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि जो बात साधारण रूप से सुलझ सकती थी उसके लिये आपने यह कदम उठाया। अनेक बार ऐसा हुआ है कि आपने इस प्रकार के तरीके निकाले हैं जिससे कि सदस्य को इंगित करने का प्रश्न सामने नहीं आया या किसी को निकालने का अवसर नहीं आया। इस तरह की घटनायें प्रायः रोज हुआ करती हैं मगर उसके लिये दूसरे तरीके अख्तियार किये जाते हैं। आज भी उस तरीके को अख्तियार किया जा सकता था और कुछ समय के लिये सदन को स्थगित किया जा सकता था.....

श्री अध्यक्ष—

इसका मतलब यह है कि आप उनके व्यवहार का समर्थन करते हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हम यह समझते हैं कि आपकी नजर में विरोधी दल की कोई कदर नहीं रह गई है। इसलिये हम यहां पर बैठकर हम क्या करेंगे। अगर सारा वातावरण यहां पर अशान्त रहता है तो विरोधी दल अपने कर्त्तव्य का क्या पालन कर सकता है? आप बैठे रहें और सरकारी पक्ष बैठा रहे और जो चाहें, जिस तरह से चाहें, उस चीज को पास करे।

(व्यवधान)

इसलिये हम भी ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, प्रायः ऐसा होता है कि जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं और आप के विरोध में कोई बात आती है तो आप अपने आपे से बाहर हो जाते हैं . . . . ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अशिष्ट बात करते हैं और उसकी कोई सीमा नहीं रखते। आप कोई शिष्टता नहीं बरतते और दूसरों को कहते हैं, दूसरों पर आक्षेप करते हैं। आप सदन छोड़ें।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय—

आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया है। आप उससे बचने की भावना से हम लोगों के प्रति दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बिलकुल गलत है। आप सदन छोड़िये।

(तत्पश्चात् श्री केशरीप्रसाद पांडेय सदन त्याग कर चले गये।)

श्री तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो अशिष्टता आप लोग बरतते हैं उसकी सीमा होनी चाहिये। जितनी आपकी बात को सहन किया जाता है उतना ही आप बढ़ते हैं। यह कोई बात लिखी नहीं जायगी। आप सदन छोड़िये।

श्री तेजभान सिंह—

आप हमको समय दीजिये उस पर विचार करने का. . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िये।

(श्री तेजभानसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अगर आपका क्रोध शान्त हो गया हो तो मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

क्रोध शान्त होने का सवाल नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब रामसुन्दर जी ने आपके प्रति जो बातें कहीं उसके बाद आप एक दम से आपे से बाहर हो गये और क्रोध में आ गये। ऐसा लगता था कि आप अपना संतुलन खो बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

जो बातें रामसुन्दर जी ने कही हैं उनको आपने सुना नहीं था। आप उनको बरदाश्त कर सकते हैं तो ठीक है। यहां वह बरदाश्त नहीं होंगी। आप सदन छोड़िये।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मैं सदन छोड़ दूंगा, किन्तु मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता था कि आपने क्रोध में जो कार्यवाही की है वह सही है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

वह व्यवस्था मैं दूंगा आप कृपा कर सदन छोड़ें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि जो मैंने किया, वह ठीक किया है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

इस विरोध में मैं खुद ही सदन का त्याग करता हूं । (मार्शल से) आपकी आवश्यकता नहीं है ।

(श्री सत्यनारायण पांडेय सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

अब जो भी मेरी आज्ञा बिना बोलेगा, अव्यवस्थित होगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

यह क्या मामला है, मैं यहां नहीं था ?

श्री अध्यक्ष—

(मार्शल से) उनको निकालिये । हटाइये । (श्री लखीसिंह से) आप सदन छोड़ें ।

श्री लखीसिंह—

यह क्या कोई बीमारी है, सदन छोड़ें, सदन छोड़ें, आप हर एक के लिये कह देते हैं । क्यों सदन छोड़ें ?

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से श्री लखीसिंह मार्शल द्वारा सदन के बाहर ले जाये गये ।)

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

यह चेयर की मर्यादा है कि जब चेयर के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय और कोई सदस्य जानना चाहता हो उस पर कब विचार किया जायगा तो उसको आपके लिये उचित है कि समय बता दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जिस तरह से वह बोल रहे थे वह ठीक नहीं था । जिस विषय पर बोल रहे थे वह दूसरा था ।

श्री दौलतलाल—

आपने उस विषय को टाल दिया । आपको समय बताना था । आपकी मर्यादा यह थी कि ४–५ बजे तक कोई समय निर्धारित करते ।

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास प्रस्ताव पर दिन निश्चित होगा, घबराइये नहीं ।

श्री दौलतलाल—

समय बता दीजिये सदन उठने के पहले ।

श्री अध्यक्ष—

सदन के उठने के पहले बता दूंगा ।

श्री दौलतलाल—

लेकिन आपने कहा कि मैं बताऊंगा ही नहीं । आपने मर्यादा का उल्लंघन किया मैं इसके विरोध में सदन छोड़ रहा हूं ।

(श्री दौलतलाल ने सदन का त्याग किया।)

श्री नत्थूसिंह (जिला इटावा)—

इस तरह की व्यवस्था आपको नहीं करनी चाहिये । आपकी यह बात बरदाश्त नहीं की जा सकती है। यह बहुत ही गलत है, इस तरह का व्यवहार अन्याय है ....

श्री अध्यक्ष—

ये जितनी बातें हैं सब अनियमित हैं । आप सदन त्याग कीजिये ।

(श्री अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल की सहायता से श्री नत्थूसिंह बाहर ले जाये गये ।)

श्री मुल्तानसिंह (जिला आगरा)—

आपकी आज्ञा से अविश्वास का प्रस्ताव आया और हमारे नेता ने भेजा, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया, यह बड़ा गलत है ।

श्री अध्यक्ष—

ये बातें अनियमित हैं । आप सदन त्याग करें ।

श्री मुल्तानसिंह—

आपसे पूछा जाता है कि निर्णय दीजिये, लेकिन कोई निर्णय नहीं देते और हमको दबाया जाता है कि बैठ जाइये, सदन छोड़ दीजिये ।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल हाउस गार्डस् की सहायता से श्री मुल्तानसिंह को सदन से बाहर ले गये ।)

प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उसके दो पहलू हैं । पहली चीज तो यह कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो । दूसरी, उनके संकल्प की चीज यह है कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो । श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा हमारे लिये राष्ट्रीय महत्व का विषय है और उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना हमारा एक नैतिक कर्त्तव्य है । जहां तक मैं समझता हूं, सरकार ने शिक्षा की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किये हैं, उसके लिये सरकार और

†२९ जुलाई, १९६६ की कार्यवाही से ।

मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमें यह भी विचार करना है कि अभी हमें इस दिशा में कितना करना शेष है। शिक्षा की नीतियां, यह सत्य है कि जितनी अंग्रेजी शासनमें डाली गयी थीं उन्हीं नीतियों पर आज हमारे शिक्षा के सिद्धान्त चल रहे हैं। श्रीमन्, किसी भी देश की शिक्षा वहां की सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस बात की परम आवश्यकता थी कि हमारी शिक्षा में परिवर्तन होता, वह हमारी संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होती। डेमोक्रेटिक सेट-अप में राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह हमारी मारल और स्प्रीचुअल वैल्यूज की रक्षा करे। चूंकि हमारा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है, इसलिये हमारी शिक्षा भी उसी के अनुरूप होनी चाहिये। समाजवाद की स्थापना का सबसे अच्छा माध्यम शिक्षा ही हो सकती है। जब तक हम शिक्षा-क्षेत्र में उचित सुधार नहीं करेंगे, समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य हम पूरा नहीं कर सकते। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और जो हमारे उच्च शिक्षा शास्त्री हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

जहां तक, श्रीमन्, प्राइमरी शिक्षा का संबंध है, वह अंग्रेजी हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथों में थी, आज वह जिला परिषदों के हाथों में है जो उसी का एक बदला हुआ नाम है। जिला परिषदों के हाथों आज प्राइमरी शिक्षा की बड़ी दुर्दशा हो रही है। हमारे यहां जो भी प्राइमरी स्कूल खुलते हैं वे पार्टीबंदी के आधार पर खुलते हैं। बहुत से ऐसे गांव मिलेंगे जहां आबादी बहुत कम है, वहां पर यह स्कूल खुलें हैं, और जहां उसकी बहुत आवश्यकता है, आबादी भी बहुत है, वहां नहीं खुले, इसलिये कि वहां के लिये जिला परिषद् के अध्यक्ष इन्टरेस्टेड नहीं थे। अध्यापकों की नियुक्तियां भी पार्टीबन्दी के आधार पर होती हैं। उनके ट्रान्सफर भी पार्टी बन्दी के आधार पर ही होते हैं। जो अध्यापक अध्यक्ष की इच्छानुसार कार्य नहीं करते उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। जो उनकी हां में हां मिलाते रहते हैं वह मजा करते हैं। आज बहुत से अध्यापक जिला परिषदों के अध्यक्षों का शिकार हो रहे हैं। मेरा इसके लिये सुझाव है कि जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद् है उसी तरह से प्राइमरी और जूनियर शिक्षा परिषदों का भी निर्माण किया जाय। आज हमारे नवयुवकों को यह पता ही नहीं रहता कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। उसको यह पता नहीं चलता कि प्राइमरी शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका क्या भविष्य होगा। यह हमारी शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी है। शिक्षा में इस तरह का सुधार होना चाहिये कि जिसकी जिसमें रुचि हो वह उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सके, न कि इस प्रकार की शिक्षा श्रीमन्, इसके पाठ्य क्रम में परिवर्तन हो। आज हम देखते हैं कि हजारों और लाखों की संख्या में उद्देश्यहीन शिक्षित युवक इधर-उधर ठोकरें खातें हैं क्योंकि उनके पढ़ने लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है। शिक्षा की नीतियों, उद्देश्यों और इसके पाठ्यक्रम में इस बात की आवश्यकता है कि इसमें आमूल परिवर्तन हो और इस तरह का परिवर्तन हो जो हमारी प्रजातान्त्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। देश को जिन बातों की आवश्यकता हो उसका समावेश हो सके। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर श्रीमन्, कई बातें हैं। वहां पर हमारी जो परीक्षा प्रणाली है वह दोषपूर्ण है। वहां भी अध्यापकों की दशा में, हालांकि हमारे शिक्षा मंत्री ने बहुत ही सुधार किया उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिये वह आज तक नहीं हो पाई है। तो श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि माध्यमिक स्तर के जो अध्यापक हैं उनकी दशामें भी सुधार की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में भी वही बात है। वहां पर भी हमारे परीक्षाक्रम और पाठ्यक्रम में उद्देश्य की कमी है। तो आवश्यकता इस बात की है और मैं नहीं समझता कि किसी कमेटी की या किसी समिति की नियुक्ति के द्वारा वह हल हो लेकिन मैं इस बात की आवश्यकता अवश्य समझता हूं कि अगर सरकार द्वारा इस तरह के कदम उठाये जायं जो कि हमारी प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्चस्तरीय शिक्षा का स्तर दोषपूर्ण है और जो परीक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली

[श्री सूबेदारसिंह]

है उसमें परिवर्तन आये तभी हम समझेंगे कि हमने वह रास्ता अख्तियार कर लिया है जिसके द्वारा हम प्रजातन्त्र के मार्ग पर चलकर समाजवादी व्यवस्था को कायम कर सकेंगे ।

श्रीमन्, इसके अलावा प्राइमरी शिक्षा का जो हमारा लक्ष्य था और आजादी से पहिले जो हम कहा करते थे कि हर एक बच्चे का यह अधिकार है और उसको कम्पलसरीली प्राइमरी शिक्षा मिलनी चाहिये । आज हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं । इस संबंध में हमारी कठिनाइयां हो सकती हैं । हम सरकार पर इसके लिये दबाव नहीं डाल सकते लेकिन फिर भी सरकार की ओर से सुधार की आवश्यकता है कि इस तरह का वातावरण तैयार करे जिससे कि जनसाधारण कम से कम प्राइमरी शिक्षा प्राप्ति के लिये तैयार हो और अपने बच्चे को भेजे । श्रीमन्, जब शिक्षा की निश्चित सीमा होगी तो लोग उस दिशा में जागृत होंगे और प्रजातन्त्र की जो हमारे देश में पद्धति है वह भी सफल हो सकेगी ।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विवादार्थ तिथि निर्धारण

श्री अध्यक्ष---

श्री रियासत हुसैन, पूर्व इसके कि आप बोलिये, कौन-सी तारीख मुकर्रर हो सकती है पहिले यह निर्णय ले लें । चूंकि २९ अगस्त को और कोई सरकारी काम नहीं है इसलिये उस दिन केवल इसलिये कि मेरे विरुद्ध जो प्रस्ताव आया है उस पर अनुज्ञा मांगने और अनुज्ञा प्राप्त हो गई तो उस पर विचार.....

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

तोस कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

तीस अगस्त मुकर्रर की जाती है । उस दिन कोई और काम नहीं होगा मुझे इस बात का खेद है कि जब मुझसे पूछा, मैंने उस वक्त तिथि नहीं देखी थी और मैंने कहा भी कि देख लूंगा लेकिन जिस तरह से बातचीत होती है जिस तरह से चेयर के प्रति अशिष्ट रूप से व्यवहार किया जाता है, उससे यह मालूम होता है कि केवल अल्पमत होने के नाते वे अपना संरक्षण नहीं चाहते बल्कि अल्पमत होकर भी वे बहुमत को टिरैनाइज करें और इस तरह से अशिष्ट बात करें, ऐसी बात करने पर मजबूरी हो जाती है । उनको कम से कम इतना समझना चाहिये कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र यहां प्रतिष्ठित हो, लेकिन उसका तरीका यह नहीं है जिस तरीके से माननीय रामसुन्दर पांडेय हम लोगों पर दोष आरोपित करना चाहते हैं । मैं तारीख इसलिये नहीं बता सका था कि मैं यह निश्चित नहीं कर सका था कि छुट्टी है या नहीं । अगर २९ तारीख आपको ठीक नहीं लगती है तो ३० अगस्त केवल एक ही काम के लिये, अनुज्ञा मांगने के लिये, और अनुज्ञा प्राप्त होने पर इस के ऊपर बहस होगी एक दिन ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया है उनको वह तिथि ठीक पड़ती है या नहीं,? तो यह भी आप का निश्चय, जहां तक हम समझते हैं, उचित नहीं है ।

खैर, मैं तो दूसरी ही बात कहना चाहता था । खादी उद्योग बोर्ड के लिये १० तारीख क आपने यहां निश्चित किया था कि यह अनिश्चित काल के लिये चले । कार्य मंत्रणा समिति ने एक हफ्ते का कार्य-क्रम निश्चय किया था । खादी बोर्ड के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने कोई समय निश्चित नहीं किया था । १० तारीख को ही उस पर विवाद समाप्त कर दिया..

श्री अध्यक्ष—

वह तो चल रहा है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

कल बीच में ही प्रस्ताव किया गया, वह आज ही उसे ५ बजे के बाद ले लिया जाय । आज है असरकारी दिवस । उसके लिये भी ढाई बजे आपने एक माननीय सदस्य को बुलाया असरकारी दिवस अब आधा चलेगा । खादी बोर्ड केवल १ दिन और २ घंटे चलेगा । तो ये जो अप्रजातांत्रिक ढंग अपनाये जा रहे हैं इस बात से रोष उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कम से कम चेयर को तो नाराज नहीं होना चाहिये । बहुमत वाले जो कुछ भी पशुबल पर कर रहे हैं यह क्या है ? उसके बाद आप उठ जायेंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय कह देंगे कि वह निश्चिय अध्यक्ष महोदय को ही करना था ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री रामभूति)—

३० तरीख का तो रक्षा-बन्धन है । बजाय ३० के ३१ रखें चूंकि रक्षा-बन्धन के दिन लोगों के लियें आना मुश्किल होगा ।

श्री अध्यक्ष—

तो पहली सितम्बर कर दीजिये । पहली सितम्बर तय हुआ ।

प्रदेश में प्राइमरी एवं उच्च शिक्षा के स्तर तथा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस सदन के अन्दर जो दुखद घटनायें अभी घटीं, उन पर जितना भी अफसोस जाहिर किया जाय, थोड़ा है ।

बहरहाल, मैं अब इस संकल्प पर आता हूं । हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठे और जो लोग शिक्षा में लगे हुए हैं, जिनका जीवन सारा एजूकेशन के मामलात में बीत गया, उनकी आर्थिक दशा कैसे सुधरे, ये दो बड़े अहम प्रश्न हैं जिन पर विचार हो रहा है । बावजूद सरकार के यह कहने के कि हमने छठे दर्जे तक लड़कों की और १०वें दर्जे तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त करदी और जो सहूलियतें उसने तालीम के लिये दी हैं, इन सबके बावजूद भी मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की तालीमी हालत कुछ सुधरी नहीं है । और प्रदेशों के मुकाबले में हम इस मामले में अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकते हैं जिससे यह कह सकें कि हमने शिक्षा में तरक्की की है । अगर हम यह देखें कि यहां का शिक्षा का स्तर क्या है और वह बात हमारे विद्यार्थियों में है या नहीं जिसकी कि हम सब उम्मीद करते हैं, यानी डिस्पिलिन, तंजीमी कुव्वत, अनुशासन, तो हमें यह कहनें पर मजबूर होना पड़ता है कि जो विद्यार्थी हमारे स्कूलों से निकल कर आ रहे हैं वे नेशन के ऊपर लाइबीलीटी हैं, असैट नहीं कहे जा सकते हैं । यह कहना कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है ।

जहां तक एजूकेशन के स्टैंडर्ड का सवाल है, अभी पिछले दिनों में अपने लड़के के लिये किताबें खरीदने के लिये जब बाजार गया तो मैंने नाम ले दिया कि जब मैं १९४० में हाई स्कूल में था और फर्स्ट ईयर में गया तो उस समय फिजिक्स की किताब ऐस० डी० मुराद की चलती थी, अब दूसरी किताबें हैं । जब मैंने मुराद का नाम लिया तो दूकानदार ने बड़े ताज्जुब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

के साथ कहा कि अरे साहब, आप किन लोगों का नाम ले रहे हैं, कितने ऊंचे लिखने वालों का नाम ले रहे हैं, अब तो उनके पैर की खाक के बराबर भी लिखने वालों में काबलियत नहीं है। मुझे यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जितने भी अब लिखने वाले हैं उनकी किताबों को मान्यता सरकार देती है। रिकगनीशन सरकार से मिलता है। स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं तालीम को तीन हिस्सों में बांटता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्टडीज। प्राइमरी एजूकेशन आजकल जिला परिषदों के हाथ में है। परिषद् का काम है कि वह अपने जिले में स्कूल खोले, तालीम का प्रबन्ध करे। छोटे दर्जे तक के बच्चों की मुफ्त तालीम को भी देखना है। यह भी है कि जिस किसी मदर्से में उर्दू के पढ़ने वाले हों वहां उर्दू के पढ़ने की सुविधा भी मिलनी चाहिये। यह भी उम्मीद की जाती है कि ५वें दर्जे के बाद में देहात के लड़के जब शहरी लड़कों के मुकाबले में ऊपर पढ़ने जावेंगे तो अच्छी तरीके से तरक्की करेंगे, इसलिये उनकी तालीम का स्टैंडर्ड भी ऊंचा होना चाहिये। लेकिन अगर आप देहात में जाकर देखें या जिला परिषदों में देखें कि क्या उनके जरिये जो स्कूलों में तालीम दी जाती है वह इस चीज को सामने रखकर दी जाती है कि बच्चों को तालीम दिलाना है और क्या पढ़ने वाले बच्चों को यह समझ कर पढ़ाया जाता है कि उनको आगे चल कर ऊंची तालीम हासिल करना है और आगे चल कर राष्ट्र के बोझ को संभालना है। वहां पर तो मास्टरों को सिर्फ यह देखकर मुकर्रर किया जाता है कि यह मेरा रिश्तेदार है। वह अपना दूसरा काम करता है और साथ ही उसको स्कूल का मास्टर भी बना दिया जाता है, तो १०० रुपया का उसको स्कालरशिप हो जायगा और इस तरह से सोचा जाता है कि वह हमेशा के लिये उसका ताबेदार हो जायगा। प्राइमरी स्कूलों में सभी जगह यह देखा जाता है कि एक मील के फासले पर स्कूल है, वहीं वह पढ़ता है और घर पर अपना काम भी करता है। हो सकता है आप विश्वास न भी करें, मैंने तीन स्कूलों का लगातार मुआयना किया और पांचवीं क्लास के बच्चों से, जो प्राइमरी स्कूलों का [* * * *] सबसे ऊंचा दर्जा है, पूछा कि [* * * *]

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा जानता है कि सीता जी कौन थीं, राम चन्द्र जी कौन थे, इसके लिये उनको किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं यह इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं! यह बिलकुल निरर्थक बात है। मैं इसका विरोध करता हूं। इसको रिकार्ड में नहीं आना चाहिये। मुहम्मद साहब कौन थे, रामचन्द्र जी कौन थे, इस तरह की बातें इन प्रासीडिंग्स में नहीं आनी चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिये। यह प्रासीडिंग्स में से निकाल दी जायंगी।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

इस प्रकार की बातें सब कपोल कल्पित हैं। ऐसी बातें यहां नहीं होनी चाहियें जो किसी की धार्मिकता को ठेस पहुंचायें। माननीय सदस्य को कोड आफ कंडक्ट की परवाह तो करनी चाहिये।

नोट—(* * * *) यह अंश माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी इसको निकालने की रूलिंग ठीक है । मैं तो एक मिसाल बता रहा हूं, स्कूलों का नाम तक बता सकता हूं । मैंने पूछा कि मास्टर साहबान कहां के रहने वाले हैं । तीनों स्कूलों के मास्टर स्कूलों से एक मील के अन्दर के ही निकले । मैंने जिला परिषद् में इस चीज को रखा ।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं । इसमें स्त्रियों का अपमान है । जो चीज उनको मालूम नहीं है, उसको लेकर इस तरह किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस उनको नहीं पहुंचानी चाहिये । उन्हें अपने इन शब्दों को वापस लेना चाहिये और इसके लिये क्षमा मांगनी चाहिये ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरे कहने का मतलब यह हरगिज नहीं था । मैं तो सिर्फ एक वाकया बता रहा था । अगर उससे किसी को दुख पहुंचा है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं ।

मैंने जिला परिषद् में इस सवाल को रखा कि जब हम मास्टरों के लिये कहते हैं कि उनको १०० से कम तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये और होते होते वह नौबत आ गई है कि सौ रुपये से ऊपर का वेतन उनको मिलता है, तो हमें अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिये कि मास्टर को इसीलिये अप्वाइंट करते हैं कि वह स्कालरशिप की बात करते हैं । हम चाहते हैं कि हर मास्टर को अपने रहने के स्थान से दस, पंद्रह मील दूर रखा जाय ताकि वह अपना पूरा समय और तवज्जह बच्चों को पढ़ाने और उनमें अनुशासन पैदा करने में लगाये और वह पूरे तरीके से इसी चीज पर निर्भर करे और अपने घर के दूसरे कामों में वक्त ज्यादा न दे सके ।

प्राइमरी एजूकेशन की एक दूसरी बात यह है कि आपके यहां ६ठे दरजे की फीस माफ है, कोई खर्च नहीं लगता, केवल १ आना खेल का देना होता है । लेकिन बहुत अफसोस की बात यह है कि आप जरा देहात के स्कूलों में जाकर देखें तो वहां नाम के लिये तो कहा जाता है कि फीस माफ है, लेकिन वहां प्रथा यह पड़ गई है कि जिन मास्टरों के पास बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, मास्टर दस-दस, बीस-बीस बच्चों को इकट्ठा कर के ट्यूशन लेते हैं और कहते हैं कि जो बच्चे ट्यूशन लेंगे वह तो पास होंगे और बाकी की जिम्मेदारी वह नहीं लेते और वह उन सब से ट्यूशन फीस काफी अलग से लेते हैं । एक तरफ गांव का गरीब आदमी जिस के पास खाने को गल्ला नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को मकान नहीं है, लेकिन चूंकि स्कूल गांवों में खोले गये हैं इसलिये वह चाहते हैं कि उनके भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ें और सरकार का भी मकसद था कि उनकी पढाई के लिये आसानी फराहम की जाय, लेकिन जब किसान का बच्चा देहात में अलग से ट्यूशन फीस मांगता है अपने बाप से तो उसकी हिम्मत टूट जाती है, जब बच्चा कहता है कि मास्टर साहब कहते हैं कि अगर ट्यूशन फीस नहीं लाओगे तो हम पास होने के जिम्मेदार नहीं हैं और तुम फेल हो जाओगे ।

उसके बाद जब बच्चा ऊपर के स्कूलों में जाता है तो वह अनुशासनहीनता सीखता है और पढ़ाई की तरफ बहुत कम तवज्जह दी जाती है । इस का सबूत यह है कि अब की बार ही ५ लाख परीक्षा में बैठे और बोर्ड का नतीजा ४३–४४ प्रतिशत निकला और उसमें से भी ज्यादातर लड़के थर्ड डिवीजन में पास हुये और उनका दाखिला तक फर्स्ट ईयर में होना मुश्किल हो जाता

[श्री रियासत हुसैन]

है । इस तरह से गार्जियन्स के सामने एक बड़ी प्राबलम खड़ी हो जाती है । मैं चाहता हूं कि ऐसी हालत में इन तमाम चीजों को देखने के लिये, विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड उठे, उनमें अनुशासन बढ़े और हम समझें कि यह बच्चे जो पढ़ते हैं वह आगे चलकर नेशन का बोझ उठा सकें और लायक बनें, उसके लिये जरूरी है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो तसल्ली के साथ बैठकर गौर करे कि मौजूदा प्राइमरी शिक्षा और सेकिंडरी एजूकेशन में क्या तब्दीली की जाय । आज यह एक पेशा सा हो गया है कि सेकिंडरी स्कूल के नाम से मदरसे खुले हैं, ग्रांट मिलती है मेज बैंच रखी हैं, लेकिन लड़के पढ़ें या न पढ़ें, अनुशासित हो या नहीं, उन की बला से शिक्षा का स्तर कितना ही गिर जाय । इस तरह की चीज को हमें रोकना होगा । हमें सोचना होगा कि कितने प्रतिशत हमारे बच्चे शिक्षा में जायं कितने प्रतिशत टेक्निकल शिक्षा में जायं । हमारे यहां आई०टी०आई० खुले हैं । मैंने एक दिन एक प्रिंसिपल से पूछा कि आपके यहां से जो ट्रेन्ड लड़के निकलते हैं वह किस काबिल आगे बनते हैं । तो उन्होंने कहा कि हम तो हथौड़ा चलाना और सामान बनाना सिखा देते हैं, बाद में वह नौकरी करेगा या कारखाने में जायगा, इस से हमें कोई सरोकार नहीं है । आज शिक्षा ग्रहण करने वाले नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या होगा, वह अपने को किसी तरह से महफूज नहीं समझते । इसलिये शिक्षा को ठीक रास्ते पर लाने के लिये, लड़कों में डिसिप्लिन पैदा करने के लिये यह जरूरी है कि एक हाई पावर कमेटी बिठाई जाय । मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि इस संकल्प पर कुछ कहूं मैं माननीय राम किशोर जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अपने इस संकल्प के जरिये, इस रैजोल्यूशन के जरिये इस सूबे का निहायत अहम सवाल इस सदन के सामने पेश कर दिया । तालीम का मसला किसी भी मुल्क के लिये या प्रदेश के लिये सबसे अहम मसला है क्योंकि इसका ताल्लुक ऐसे लोगों से है जो बाद में, एक जमाने के बाद इस मुल्क के नागरिक बनने वाले हैं । तो अगर हमारी तालीम का ढांचा ऐसा होगा कि जिसमें बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे नागरिक बनेंगे तो हमारे मुल्क की तरक्की होगी और अगर हमारी तालीम की बुनियाद गलत रखी जायगी तो हमारे बच्चों की जहनियत की तरक्की या बौद्धिक विकास नहीं होगा और अगर हम तनज्जुली के तरफ जाते हैं तो हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा । हमें निहायत ठंडे दिल से इस मसले पर गौर करना चाहिये और एक सही राय कायम करनी चाहिये कि आज की तालीम का जो ढांचा हो, जो रूप हो, वह ऐसा हो कि जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें क्योंकि वे कल के नागरिक बनेंगे और वे ही इस मुल्क को तरक्की पर ले जाने वाले होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस रेजोल्यूशन में दो बातें हैं । एक तो प्राइमरी और उच्च शिक्षा के बारे में कही गयी है और दूसरी बात इसमें टीचर्स के सिलसिले में, अध्यापकों के सिलसिले में कि किस तरह से हम उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं । पहली बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि शिक्षा को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है । एक तो प्राइमरी एजूकेशन और दूसरा उच्च शिक्षा की एजूकेशन । प्राइमरी एजूकेशन के सिलसिले में इस आदरणीय सदन के सामने कुछ ख़यालात रखना चाहता हूं । यह एक माना हुआ सिद्धांत है, वसूल है, कि प्राइमरी एजूकेशन में बच्चे को बुनियादी तालीम मिलती है । मैं समझता हूं कि यदि उसका बौद्धिक विकास करना है तो वह तालीम उसको उसकी मादरी जबान में दी जाय । उसके लिये वह जबान होनी चाहिये जो कि वह अपनी मां की गोद से सीखता है । उसे तालीम उस जरिये से देनी चाहिये जिसे हासिल करने में उसे ज्यादा से ज्यादा आसानी हो । अगर उसको उस जबान में बुनियादी तालीम नहीं दी जाती है तो वह बच्चे के लिये मुनासिब न होगा । आज १८ साल बाद कामयाब नहीं हो सके हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चों को मादरी जबान में तालीम दी जाने लगे । आज भी जिनकी मादरी

जबान उर्दू है उनको आसानी हासिल नहीं, बच्चों का जहन बचपन में कमजोर होता है, उसमें नरमी होता है और जो नक्शा बचपन में पड़ जाते हैं उसका मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, वह बड़ा पुख्ता नक्शा होता है। तो जब बच्चे को प्राइमरी ऐजूकेशन दें तो यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि जो हमारी मौलिक मान्यतायें हैं, बुनियादी तसव्वात हैं, उनके मुताबिक हमारी शिक्षा है या नहीं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को बचपन में ऐसी ऐजूकेशन दे रहे हैं जो हमारे बुनियादी उसूलों से अलग हो और बच्चे के जहन के ऊपर जो गहरा नक्शा बने वह ऐसा हो जो हमारी बुनियादी मान्यताओं को मिटा देने वाला हो। मैं सिर्फ इसी नुक्तेनजर से प्राइमरी ऐजूकेशन के सिलसिले में आपसे अर्ज करना चाहता हूं। दो रोज इस पर बहस हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में, प्रदेश में, क्या ऐसे बच्चे जिनकी बुनियादी मादरी जबान उर्दू है? क्या सदन को इत्मीनान है कि उन्हें अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करने का पूरा-पूरा मौका हासिल है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या बावजूद इसके कि सरकार की यह नीति है कि बच्चों को प्राइमरी शिक्षा मादरी जबान में हासिल हो, सुबह से शाम तक इसकी अवहेलना हो रही है, तो क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि एक हाई पावर कमेटी के जरिये इस बात को देखा जाय कि कहां कहां पर इस किस्म की चीजें हो रही हैं और क्यों कुछ बच्चों के विकास में यह चीजें बाधा बन रही हैं, इसलिये कि उनको प्राइमरी एजूकेशन उनकी मादरी जबान में नहीं दी जा रही है?

दूसरा सवाल यह है कि जो हमारे बुनियादी उसूल हैं हमारी तालीम में उनसे अलग हट कर तो कोई बात नहीं की जा रही है। इस सदन में किसी मसले पर चर्चा हो, एक चीज हमारे सामने बहुत जोर शोर से कही जाती कि सेक्युलरिज्म हमारा उसूल है और सेक्युलेरिज्म का नारा लगाने में और उसका जोर शोर से तजकिरा करने से हमारा हलक कभी नहीं सूखता है। मुझे याद है, ३,४ रोज पहले जब मुस्लिम वक्फ ऐक्ट में संशोधन विधेयक पेश था तो माननीय कमला सिंह यादव ने सेक्युलरिज्म और वक्फों को सेक्युलेराइज करने की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में जो किताबें पढ़ायी जाती हैं, चाहे हिन्दी की हों, उर्दू की हों, क्या जरूरत इस बात की नहीं है कि उन किताबों को देखा जाय कि उनसे क्या बू आती है और प्राइमरी से ऊपर तक के स्कूलों में क्या इस किस्म की बात नहीं है जो हमारे सेक्युलरिज्म को नुक्सान पहुंचाने वाली है? सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि बच्चों के जहन के ऊपर किसी विशेष धर्म का कोई नक्शा न हो, जो तालीम दी जाय उसमें किसी विशेष धर्म के मुतालिक, चाहे इस्लाम धर्म हो, या हिन्दू धर्म हो, कोई तालीम न हो। जब शिक्षा का भार सरकार ने अपने कंधों पर लिया है तो उस को यह देखना चाहिये कि वह जो तालीम दे रही है वह बिलकुल सेक्युलर है और बच्चों के जहन पर किसी मजहब का नक्शा नहीं बिठाया जा रहा है। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि इस नुक्तेनजर से हमारी तालीम इन्तहाई नाकिस है और उसको बदलना चाहिये; उसमें अहम तबदीली की जरूरत है। फिलर जब हमारे बच्चे का जहन कच्चा, है इसमें शक नहीं है जब उसकी जहनियत में सलाहियत पैदा हो जाय और वह चीजों को समझ सके तो आप सारे धर्मों को पढ़ायें। मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि इस मुल्क की नैतिकता और इख्लाक को सुधारे बगैर यह तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस बात को भी मानता हूं कि इस मुल्क की नैतिकता सुधर नहीं सकती जब तक कि इस मुल्क के रहने वालों को धार्मिक शिक्षा न दी जाय लेकिन मैं यह चाहता हूं कि धार्मिक शिक्षा का स्टेज वह होगा जबकि इंसान में इतनी समझ हो जो तालीम उसकी रुचि और अकीदे के मुताबिक हो उसे ग्रहण कर ले। और जो तालीम को उसका जहन ग्रहण न करे, इंकार कर दे प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने से खराब असरात होने का डर है। हमें इस बात को देखना चाहिये कि हमारी तालीम किस हद तक सेक्युलर है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त। अब यह विषय स्थगित किया जाता है।

†उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ (क्रमागत‡)

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हरीनाथ तिवारी से) आप अपने संशोधन पर जवाब दे रहे थे। उसे जारी रखें।

*श्री हरीनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के ऊपर जवाब दे रहा था। मेरी आपत्ति इस नये खादी बोर्ड से यह थी कि यह खादी बोर्ड बिलकुल मंत्रीकरण कर दिया जायगा। उसके लिये हमने कुछ तर्क भी इससे पहले दिये थे, वह भी वैसे ही काम करता चाहे उसमें मंत्री रहते या न रहते। एक बात बतलायी गयी थी कि उसमें जो काम होता था वह इंडस्ट्रीज के निदेशक, में माध्यम से होता था। केवल इतना ही निकाल देते तो हमको कोई आपत्ति न होती। आपत्ति इस पर है कि अब उसमें उद्योग मंत्री तथा उपमंत्री भी सम्मिलित होंगे। मैं यह मंत्री महोदय से पूछना चाहता था कि अगर उद्योग मंत्री और मंत्री सम्मिलित हो जायेंगे तो क्या वह बिलकुल एक स्वच्छ तथा निष्पक्ष संस्था हो जायगा? मेरे विचार में ऐसा नहीं कि जैसे और मुहकमें में मंत्री और उपमंत्री के रहते हुए भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, कौम-परस्ती चलती है उसी प्रकार इसमें भी हो जाय। यह भी मैंने बतलाया कि आगामी ६७ में चुनाव आने वाले हैं तो उनके कार्यकर्त्ताओं से काम लिया जायगा। मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि हमारे विरुद्ध एक डिप्टी डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज तक चुनाव में खड़े हुए थे और जो तमाशा हमने देखा वही हृदय इनको इसमें रख देने से होगा। जितने सघन क्षेत्र थे उनके ३००–४०० कार्यकर्त्ता उस क्षेत्र में लगा दिये थे। पैसा उनको मिला खादी बोर्ड से और कांग्रेस की ओर से श्री रामलाल जी के भाई खड़े हुए थे मेरे खिलाफ, उनका उन्होंने काम ३ महीने तक किया। यही आशंका है कि इस समय इस खादी बोर्ड में उद्योग मंत्री और उपमंत्री को लेकर आगामी चुनाव में मंत्रीगण उसका दुर्पयोग करेंगे और शायद ऊपर से ही ऐसा आदेश आया है, तभी ऐसा परिवर्तन करना पड़ रहा है।

हम चाहते हैं कि ५–६ वर्ष में कोई आडिट रिपोर्ट हम लोगों के समक्ष नहीं आयी, डिपार्टमेंट में भले ही कुछ हुआ हो। अगर आडिट रिपोर्ट हम लोगों के समय न आवे तो हम लोग उसकी पूरी विवेचना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि दृश्य हम यहां देख रहे हैं, कि बहुमत जो चाहता है कर लेता है, जब चाहता है कोई प्रस्ताव लाकर सारे प्रोग्राम को चेंज कर देता है। खादी उद्योग बोर्ड विधेयक के लिये कार्य-मंत्रणा समिति ने पहले तीन दिन निश्चित किया और फिर उसके बाद एक दिन चलाने के बाद उसे बन्द कर दिया और आज गैरसरकारी दिवस का दो घंटा लिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस संबंध में कल फैसला हो गया था।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

श्रीमन्, दो दिन के लिये तो यहां एलान भी कर दिया गया था।

श्री हरिनाथ तिवारी (एडवोकेट)—

संसदीय मंत्री ने चाहे जो कुछ फैसला कर लिया हो, लेकिन कार्यमंत्रणा समिति ने तीन दिन के लिये तय किया था।

---

†५ अगस्त, १९६६, की कार्यवाही में छपा है,
‡९ अगस्त, १९६६, की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन कल यह फैसला आपस में मिल कर हो गया था।

श्री राममूर्ति—

तीन दिन फिर भी हो जायगा। दो घंटा आज और दो घंटा बाद में और इस तरह से तीन दिन हो जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

यह तो खेद की बात है कि जिस तरह से आप चाहते हैं कर लेते हैं। सब लोगों को यहां से फेंकवा देते आपको आसानी हो जायगी। अगर मैं भी यहां से उठ कर चला जाऊं तो दो घंटे में आप सब पास कर लेंगे। मुझे इस बात का दुःख है। जो बहुमत है उसको अल्पमत का भी ध्यान रखना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस समय यह संशोधन लाने का समय नहीं था। एक बोर्ड जो काम कर रहा था वह अभी भी काम कर सकता है। कोई आकाश फटने वाला नहीं था। यह संशोधन आप ऐसे समय पर लाये हैं जबकि विरोधी दल के सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं।

*श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस संबंध में कि यदि इस विधेयक की यह मंशा होती कि हम खादी को वह स्वरूप देंगे जो आजादी के पहले थी और जिस प्रकार से लोगों के मन में इस खादी के प्रति एक श्रद्धा थी और जिस प्रकार लोग इसका आदर करते थे, वह, श्रीमन्, दिन प्रति दिन लुप्त होती जा रही है। यदि उस भावना को पुनर्जीवित करने के लिये उस भावना को पुनः प्रभावशाली बनाने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था की गयी होती तो मैं जरूर इसका स्वागत करता, किन्तु जिस प्रकार संक्षिप्त रूप में सरकार ने कुछ अधिकार लिये हैं, कुछ परिवर्तन किये हैं, मैं समझता हूं कि वह संतोषजनक नहीं है।

अभी इस विषय पर जनरल डिबेट के समय माननीय जगदीशप्रसाद जी ने अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरण दिये कि वहां जो सघन क्षेत्र चलते हैं वहां किस प्रकार से सूत में रिबेट दिया जाता है, कपड़े पर रिबेट दिया जाता है। इसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार से अगर आप यह देखें कि बोर्ड द्वारा जो अनुदान दिये जाते हैं, जो लोन दिया जाता है, यदि उनका सर्वेक्षण कराया जाय तो मैं समझता हूं कि कम से कम ६० प्रतिशत ऐसे केसेज निकलेंगे कि रुपया तो बोर्ड से ले लिया गया लेकिन उसके अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप अधिकार ले रहे हैं, तो इस बात की व्यवस्था जरूर करें कि एक मूल्यांकन समिति का भी प्राविजन इस विधेयक में हो जिसके द्वारा इस बात की छानबीन की जाया करे कि बोर्ड द्वारा जो पैसा जिस परपज के लिये खर्च करने को दिया जाता है उस परपज में वह लगाया जा रहा है। जब तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होगी तब तक जो करोड़ों रुपया बोर्ड खर्च करता है, मैं समझता हूं वह बिलकुल बेकार है। उससे प्रदेश को कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आप देखें कि प्रदेश भर में सघन क्षेत्र चल रहे हैं, ग्राम इकाई के रूप में कार्य हो रहा है, लेकिन अगर उसका सही रूप से मूल्यांकन किया जाय तो वह केवल कागज पर है, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान अवश्य जाना चाहिये, केवल इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से कि दस हजार रुपये तक बट्टे खाते में डाला जा सकता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी]

यह कोई अच्छी बात नहीं है। इस संबंध में मैं सदन का अधिक समय न लेकर केवल एक ही बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस प्रकार की कोई व्यवस्था अवश्य करें कि जो अनुदान या ऋण संस्थाओं को बोर्ड द्वारा दिये जाते हैं उसकी जांच की जाय कि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं, इसके लिये कोई समिति देख भाल करे। खादी को, छोटे-छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिये मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस बिल को विस्तार से तैयार करने के लिये संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इस पर विचार करके फिर एक विस्तृत रूप में सदन के सामने आये, ताकि जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये खादी बोर्ड बनाया गया है वह पूरे हो सकें।

*गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों के विचार पिछले दो दिनों से और आज बड़े ध्यान से सुन रहा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि आखिर इतना विरोध इस खादी बिल का क्यों हो रहा है और वह भी जरा सा संशोधन विधेयक है। किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि खादी बोर्ड नहीं बनेगा। छः साल पहले खादी बोर्ड बना था। छः साल के अनुभव से कुछ कमी मालूम हुई। खादी कमीशन इसमें पया देता है जो उत्तर प्रदेश सरकार की मारफत खादी बोर्ड को दे दिया जाता है जिसको वह अपनी एजेंसी से खर्च करता है। माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की कि यह संशोधन इसलिये लाया जा रहा है कि खादी बोर्ड का मंत्रीकरण कर दें ताकि उद्योग मंत्री जो आजकल मुख्य मंत्री हैं वे इसके सभापति हो जायं और इस विभाग के उपमंत्री उसके सदस्य हो जायं तो सरकारी मशीन का पूरा कंट्रोल हो जायगा। जहां तक कंट्रोल का सवाल है, क्या केवल इस खादी बोर्ड द्वारा ही कंट्रोल की आशा रह गयी है? इस वक्त तो खादी बोर्ड में इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सी निदेशक थे जो सरकारी मुलाजिम थे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

सरकारी कर्मचारियों के लिये नहीं कहा गया। खादी बोर्ड से जितनी संबंधित संस्थायें हैं उन पर इसका असर होगा।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय सदस्यों ने कहा कि इसलिये मंत्रीकरण किया जा रहा है ताकि इनके कहने में चलने लगें। अगर प्रान्त के मुख्य मन्त्री होने से कंट्रोल नहीं हुआ, उस विभाग के उपमंत्री होने से कंट्रोल नहीं हुआ, उस संस्था ने इनकी बात नहीं मानी तो क्या केवल सदस्य होने से कंट्रोल हो जायेगा? उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन यह तर्क मैं सुनता रहता हूं। जब हम किसी सरकारी मुलाजिम को रखते हैं तो कहते हैं कि आप सरकारी अधिकारियों को ही सब जगह पर लादते हैं और जब गैर सरकारी सदस्यों को करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अपनी पार्टी के आदमियों को ही रखते हैं और अधिकारियों को मौका नहीं देते हैं। श्रीमन्, तर्क का कहीं जवाब नहीं है, बात का जवाब हमेशा हुआ करता है।

माननीय सदस्यों ने कहा कि खादी बोर्ड में रुपये का गलत इस्तेमाल हुआ और सही इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं कोई गवाही देने नहीं खड़ा हुआ हूं और यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो पया बंटा है वह ठीक बंटा है और उसका ठीक इस्तेमाल हुआ है। उसका गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस्तेमाल हो सकता है और गलत हाथों में भी वह पहुंच सकता है । लेकिन क्या मैं माननीय सदस्यों से पूछ सकता हूं कि जब जिला उद्योग समितियां बनी थीं जिनमें सभी माननीय सदस्य उसके सदस्य थे तो जितना पैसा उसके द्वारा बंटा वह ठीक बंटा ? हमारे माननीय सदस्य रोज कहते थे कि रुपये का दुरुपयोग हो रहा है, जिस काम के लिये रुपया दिया जाता है उस काम में इस्तेमाल नहीं होता है। यह उन कमेटी की चर्चा है जिसमें सब गैर सरकारी सदस्य थे। खादी कमीशन खादी बोर्ड को रुपया देता है। और ६ साल के अनुभव से कुछ बातें सरकार के सामने आईं तो उन को अमली जामा पहनाने के लिये यह संशोधन जरूरी समझे गये जो माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत हैं।

यह कोई बहुत बड़ा विधेयक नहीं है और कोई बड़ा असर नहीं रखता है। माननीय सदस्यों ने जोश में यह कह डाला है कि यह ईस्ट इंडिया कम्पनी है। आज भारतवासी खादी बोर्ड के नाम को ईस्ट इंडिया कम्पनी कहें तो सिवाय इसके कि मैं उनके ज्ञान की बलिहारी लूं और कुछ नहीं कह सकता हूं। यह काला इतिहास जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी थी, आज भी जब उसे याद करते हैं कि उसके द्वारा गुलामी मिली थी वह खादी के द्वारा बड़ी मुश्किल से टूटी, उसकी आज कोई बड़ाई करने लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों के विवेक पर छोड़ना चाहता हूं कि वह सोचें कि यह कैसी संस्था है जिसने देश को आजादी दिलाई। अगर कुछ लोगों की वजह से खादी बोर्ड का कुछ काम गलत चलता है तो यह जरूरी नहीं है कि समस्त दोष उस संस्था में आ गये। उसमें कुछ गलती हो सकती है, कुछ रुपये का गलती इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सारी संस्था की बुराई करना कहां तक न्यायोचित है, यह चीज सोचनी होगी।

श्रीमन्, इसमें पहले दो टर्म की रोक थी। इसके बाद कोई सदस्य नहीं रह सकेगा। इसमें कोई सरकार का मतलब नहीं छिपा है। कोई माननीय सदस्य बहुत अनुभवी हैं, दो बार रह चुके हैं और इस समय नया बोर्ड बनेगा तो जो पुराने मेम्बर हैं अगर यह चीज बनी रहती है तो वे सदस्य नहीं रह सकते जिनका अनुभव बोर्ड के लिये लाभदायक हो सकता है उन को अलग कर देना न्यायसंगत नहीं होगा। उनके अनुभव से बोर्ड वंचित रह जायेगा। इस रोक हटा लिया है जिससे दो टर्म वाले सदस्यों की रुकावट दूर हो सके। श्रीमन्, यह भी कहा गया कि नानआफिशियल्स की मैजारिटी नहीं रखी गयी है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "१६ मेम्बरों का बोर्ड है जिसमें सात से नौ नानआफिशियल्स होंगे, पांच सरकारी सदस्य होंगे।" तो बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खादी बोर्ड का सदस्य नहीं था केवल अनुभव के लिए एक मीटिंग में गया। काफी देर तक बैठा रहा। मैंने माननीय सदस्यों से इस मामले पर चर्चा भी की और इसी लिए संशोधन विधेयक ला रहे हैं कि यदि इसमें कोई ऐसी कठिनाई है जिसकी वजह से खादी बोर्ड ठीक काम नहीं कर सकता तो उसको दूर कर दें। सभी सदस्यों ने एक स्वर से कहा कि हम को सरकारी सदस्यों से बड़ा सहयोग मिलता है। हम चाहते हैं कि मंत्री इसके सभापति रहें क्योंकि उस समय सभी अफसर आते हैं, जब मंत्री आते हैं। मैंने कहा कि वह तो रोड़ा अटकते होंगे। उन्होंने बताया कि एक भी मौका छः वर्ष में नहीं हुआ जब कभी भी सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के बीच मतभेद हुआ हो या कभी मतदान हुआ हो। हर गैर सरकारी सदस्य यह समझता है कि सरकारी सदस्यों के विचारों से बोर्ड लाभान्वित होता है। जहां बोर्ड इतने मेलजोल से काम कर रहा है वहां गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों के मेलजोल से बोर्ड बनाना काम को आगे बढ़ायेगा।

श्रीमन्, बड़े जोर से एक बात यह कही गयी कि बट्टे खाते की रकम क्यों डाल दी ? पता नहीं इससे इतना डर क्यों लगता है। जिस किसी ने व्यापार किया है या बिजिनेस संस्था का हिसाब देखा है, जानता है कि बट्टा खाता लाजिमी होता है। कोई मजबूरी नहीं है। बट्टा खाता वह परिस्थिति है जिसमें रकम, सभी सम्भव उपाय करने के बाद जब वसूल न हो

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

तो उसको बट्टेखाते में डाल दिया जाता है। अगर आप ने बट्टेखाते का प्राविजन नहीं किया तो इसके मानी यह हैं कि अपनी लेनदारी में दिखाते रहे और अन्त में हिसाब सब बट्टे खाते में रह जाय। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता नहीं रहती तो जब उस रकम को खर्चे में डाला जायगा तो बट्टे खाते में डाला जायगा। बट्टे खाते का अधिकार सब जगह होता है। सभी हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स को बट्टे खाते में डालने का अधिकार है। इस बोर्ड का पैटर्न मदरास बोर्ड का पैटर्न रहेगा क्योंकि खादी बोर्ड ने परामर्श किया था कि मदरास का सब से अच्छा पैटर्न है। अगर मैं यह कहूं कि यह आखिरी संशोधन है, जो सुझाव आये हैं उसके बाद अब आयेंगे नहीं तो मेरी बात गलत होगी। अनुभव से सीखा जाता है, हमेशा यह होता है कि सुझाव आते रहते हैं और उन पर विचार होता रहता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मुझको तो केवल यही कहना है कि यह सब सुझाव तो अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन यह विधेयक प्रवर समिति में ले जाया जाए यह बिलकुल उचित नहीं है। छोटा सा ऐक्ट, जरा सा संशोधन, हर मेम्बर्स ने अपने सुझाव प्रकट कर लिये वहां भी यही होने वाला है। यदि वह संशोधन मानने वाले होंगे तो यहीं पर माने जा सकते हैं वहां भेजने की तो कोई बात समझ में नहीं आती। मेरी समझ में एक भी तर्क ऐसा नहीं है जो उनको मजबूर करता हो कि इसको प्रवर समिति में ले जाया जाए। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खण्ड (७) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(७-क) उपसभापति का तात्पर्य बोर्ड के उप सभापति से है; और"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

धारा ५ का प्रतिस्थापन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"५—(१) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

बोर्ड का संघटन

(क) उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड के सभापति होंगे;

(ख) निम्नलिखित सरकारी सदस्य होंगे अर्थात्:—

(१) उद्योग उपमंत्री, उत्तर प्रदेश, यदि कोई हो; तथा

(२) राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से पांच व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे; तथा

(ग) कम से कम सात और अधिक से अधिक नौ गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जो उसकी राय में खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास से संबंधित मामलों में अनुभव रखने तथा दक्षता के कारण योग्यता प्राप्त हों।

ऐक्ट संख्या ६१, १९५६

(२) राज्य सरकार, खादी एण्ड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऐक्ट, १९५६ के अधीन स्थापित खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के सभापति के परामर्श से, गैर सरकारी सदस्यों में से एक उपसभापति नियुक्त करेगी।

(३) प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य की नियुक्ति सरकारी गजट में विज्ञापित की जायगी।"

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखण्ड (ख) की प्रथम पंक्ति से शब्द "सरकारी" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जब माननीय गुप्त जी जैसे आदमी जवाब देते समय गिन रहे थे कि सरकारी पक्ष के व्यक्ति ज्यादा हैं या असरकरी पक्ष के। मंत्री जी ने जैसा कहा और जैसा विधेयक प्रस्तुत किया, सरकार उसको देख ले, तो साफ मालूम होगा कि मंत्री और उपमंत्री दोनों ही सरकारी होंगे और ५ सदस्य सरकारी हो जाएंगे। फिर इसकी धारा (५) (१) (ख) के अनुसार ७ आदमी होंगे जो माननीय मन्त्री जी के मुताबिक सरकारी होंगे और उसके बाद कहा गया है कि ७ आदमी ही चुने जाएंगे तो कैसे गैर सरकारी व्यक्तियों की उसमें संख्या ज्यादा हो जाएगी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

७ से ९ तक हो सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

यदि आपने ७ ही बनाये, यह तो आप पर ही रहेगा कि आप कितने बनायें, यह पावर तो आपने ले रखी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत जोश में आपने कह दिया कि बोर्ड में गैरसरकारी आदमियों की संख्या ज्यादा होगी। परन्तु मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने को सरकारी नहीं मानेंगे, गैर सरकारी मानेंगे, लेकिन इस विधेयक के जरिये आपने अपने को सरकारी माना है। मंत्री सरकारी होंगे तो उप मंत्री भी सरकारी होंगे। वह जो कह रहे हैं कि वहां पर सरकारी और गैर सरकारी का कोई झगड़ा नहीं है तो अब तो अच्छी तरह होगा, ७ एक तरफ, ७ एक तरफ, मंत्री उप-मंत्री ५–७ को लेकर एक तरफ बैठ जाएंगे और ७ एक तरफ बैठ भी जाएंगे। ऐसे में आप कब तक वीटो पावर इस्तेमाल करते रहेंगे? इसलिये इसमें कोई सेंस की बात नहीं है, जो कि होनी चाहिए। मंत्री या उपमंत्री को सरकारी कह देना, मैं समझता हूं यह भी एक लांछन है जो कि हम कांग्रेसी सरकार से उम्मीद नहीं करते थे और मंत्री जी जैसे विद्वान् आदमी इसमें बहुत विश्वास करते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी का भी नाम लिया गया। यदि उसकी बुराइयों का आपकी बुराइयों से मुकाबला किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। जो ईस्ट इंडिया कम्पनी की बुराइयां हैं वह उनके सामने नहीं आई यह सोचना चाहिये, लेकिन वह तो तोड़-फोड़ कर के देशभक्ति की बात बताने लगे। लेकिन मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहता हूं जो खराबियां आई हैं, मैं तो यह उम्मीद करता था कि हम लोगों को वह आश्वासन देंगे कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की भांति इसको नहीं बनने देंगे। अब मंत्री जी के साथ सरकारी शब्द नहीं लिखा जायगा और उपमंत्री जी के आगे वह शब्द लिखा जायगा यह तो अनुचित है। अब या तो "सरकारी" शब्द हटा कर सब को गैर सरकारी रख दिया जाय या फिर मंत्री के साथ उपमंत्री को भी गैरसरकारी ही रहने दिया जाय, शेष सदस्यों को गैरसरकारी रखा जाय। यह बड़ी सिम्पिल सी बात है। इसमें कोई विशेष दलील देने की जरूरत भी नहीं है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, क्या एक ही शब्द पर इतनी बड़ी बहस होगी ?

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर अधिष्ठाता मंडल के सदस्य इस तरह से टोकेंगे तो कैसे यह बात आगे चल पायेगी ? इनको हक होगा बोलने का और यह हमको उन सब बातों का जवाब दे सकते हैं जो मैंने कही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कृष्णानन्दराय जी इनकी मदद कर देंगे तो बहुत ज्यादा सुन्दर होगा। इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि सर ।" "सरकारी" शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगी क्योंकि सरकारी शब्द से शुभ नहीं मालूम होता है। मन्त्री के साथ सरकारी शब्द को लगाना कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री हरिनाथ तिवारी से) तिवारी जी, अधिक समय न लीजिये इसको जल्दी ५ बजे तक खत्म करना है।

श्री कमलासिंह यादव—

कल तो यह तय हुआ था कि जब तक यह बिल खत्म नहीं होगा तब तक यह सदन चलेगा। आप कह रहे हैं कि ५ बजे तक खत्म कर दिया जाय तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जब तक खत्म न हो तब तक यह सदन बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। चलिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

जो भी अधिनियम में शब्द होते हैं उन की परिभाषा दी जाती है। इसकी परिभाषा न इस ओरिजिनल ऐक्ट में है और न इस संशोधन विधेयक के अन्दर है कि कौन सरकारी होगा और कौन गैर-सरकारी होगा। उप मन्त्री किसी प्रकार से सरकारी नहीं हो सकता है। यह बोर्ड है। इसमें सरकारी या गैर सरकारी का प्रश्न नहीं उठता है। आप कह सकते हैं कि वह सरकारी अधिकारी होगा और वह बोर्ड में हो सकता है। इसलिये यह जो सरकारी शब्द है यहां पर बिलकुल अनुपयुक्त है। यहां पर 'सरकारी' नहीं होना चाहिये। मंत्री जी इसको यहां से हटा लें। यहां पर यह फिट नहीं बैठता है। इसमें इसकी परिभाषा नहीं दी है। मेरा कहना यह है कि आप के मनोनीत सदस्य होंगे तो यह कहां से व्याख्या ले आये कि सरकारी होगा। यह शब्द यहां पर भ्रम पैदा करता है। कम से कम उप मन्त्री के लिए शोभा नहीं देता है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

यह सरकारी लफ्ज जो यहां पर इस्तेमाल हुआ है यह एक्स आफिशियो के लिये इस्तेमाल हुआ है यानी उप मन्त्री नाम से है। अगर नाम से होता तो वह लिखने की जरूरत नहीं थी। एक्स आफिशियो उप मन्त्री है। जब वह नहीं रहेगा तो दूसरा उप मन्त्री होगा वह आयेगा और वह बोर्ड का मेम्बर हो जायगा। जैसे आप कह रहे हैं उससे मतलब हल नहीं होता। उप मन्त्री सरकारी नहीं है तो गैर सरकारी बहुमत होगा। यह केवल इसलिये रखा गया है कि यह पता लग सके कि कौन नाम से सदस्य होगा और कौन पद से होगा।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री सरकारी शब्द की परिभाषा दे दें ताकि हम लोग समझ जायं कि सरकारी से मतलब क्या है। मूल अधिनियम की परिभाषा में सरकारी शब्द की परिभाषा नहीं है और उसमें सरकारी शब्द का प्रयोग भी कहीं नहीं किया गया है। अगर यह विधेयक ऐसे ही पास हो गया तो सरकारी से मतलब क्या समझा जायगा और कोर्ट्स इस को कैसे इंटरप्रेट करेंगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह ठीक है कि मूल अधिनियम में सरकारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किन्तु इसके नियम बनने वाले हैं और उसमें सरकारी शब्द को स्पष्ट कर दिया जायगा। इससे कोई मतलब हल नहीं होता। सरकारी का मतलब एक्स अफिशियो और उससे बिल में कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री हरीनाथ तिवारी एडवोकेट—

आप बिल में सारा कूड़ा-कर्कट भर दें तो उससे हमें मतलब नहीं, आपको सुझाव दिया जाता है कि आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह साफ है और इसको यहां रहना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मूल अधिनियम मेरे सामने है और उसके खंड ५ और ६ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खंड दो में परिभाषायें दी जाती हैं, लेकिन उसमें सरकारी शब्द की परिभाषा नहीं दी गयी है। ५ और ६ में सरकारी शब्द का प्रयोग किया गया था। ५ में से तो यह शब्द निकाल दिया गया है, किन्तु ६ में लिखा गया है कि बोर्ड के सभापति और उसके अन्य गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी अवधि या अवधियों के लिये होगी जो नियत की जाय। यानी ६ में गैर सरकारी शब्द दिया गया है। तो इसमें सरकारी सदस्य कौन समझा जायगा यह स्पष्ट नहीं होता। हमें आश्चर्य है उन पर जिन्होंने ड्राफ्ट किया है इसको और उनकी बुद्धि पर हमें शंका है। वह इसलिये है कि मंत्री और उप मंत्री में भेद आपको नहीं रखना चाहिये। अगर मंत्री की हैसियत एक गैर-सरकारी की है तो उप मंत्री भी गैर-सरकारी होगा, क्योंकि दोनों एम० एल० ए० हैं। माननीय उप-मंत्री जी कौंसिल के सदस्य हैं तो उप मंत्री बहुत बड़ा नहीं हो जायगा या अगर यह परिभाषा रखना चाहते हैं कि कौंसिल के सदस्य होने से सरकारी हैं तब तो दूसरी बात है। हालांकि अगर गवर्नर डिजाल्व कर दें तो कौंसिल डिजाल्व नहीं कर सकते, उनकी पे बराबर मिलती रहेगी। तो अगर उनको शौक हो गया हो कि हम सरकारी हो जायं तब तो ठीक है, वरना मेरी समझ में नहीं आता कि उद्योग उपमंत्री जो है वह सरकारी नहीं है और उपमंत्री हो गये सरकारी—इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए था। यह ड्राफ्टमैन की बहुत बड़ी खामी है, दोनों में कोई भेद नहीं रखना चाहिये था। इस निकम्मेपन के लिए हम बराबर क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं कि ऐसे निकम्मे कानून नहीं लाने चाहिये। लेकिन चूंकि यह कौंसिल से पास हो गया है इसलिये वह इस पर अंगूठा और मुहर लगाना चाहते हैं। जैसे इनके सदस्यों ने पास

[श्री कमलासिंह यादव]

कर दिया वैसे हम इसे जाने देना नहीं चाहते। यह तो इनके भी स्वविवेक की चीज है कि इसको मानें या न मानें। अगर इनका मुहकमा गैर-जिम्मेदार है तो हम तो इस सदन से गैर-जिम्मेदारी की बात पर स्वीकृति नहीं देंगे क्योंकि लोग कहेंगे कि यहां कितने गैर-जिम्मेदार लोग बैठे हुये हैं। आप तो सभा-सचिव को भी उसमें लाना चाहते हैं। मंत्री, उपमंत्री, सभासचिव सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। दूसरी बात यह है .....

श्री उपाध्यक्ष —

रेपेटीशन हो रहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

इन शब्दों के साथ में पुनः प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में ऐसा ड्राफ्ट होकर कोई विधेयक न आवे वरना हम उसको कंडेम करेंगे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरी शंका का खुद जवाब माननीय सदस्य ने दे दिया कि क्यों रखा गया। महज इसीलिए कि सरकारी सदस्य तो अपने आफिस से होगा और नान-आफिशयल सदस्य ३ वर्ष के लिए हो गया। इसी डिस्टिंक्शन को मेनटेन रखने के लिये कि कौन एक्स-आफिशयो और कौन ३ वर्ष के लिये है, यह शब्द 'सरकारी' डाला गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) की प्रथम पंक्ति से शब्द 'सरकारी' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) (१) में शब्द "उपमंत्री" और 'उत्तर प्रदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:

"अथवा सभासचिव"

मैं तो यह उम्मीद कर रहा था कि ड्राफ्टिंग उचित होगी। उपमंत्री हमेशा यहां नहीं रहेंगे इसलिये सभा सचिव का स्थान भी जबकि विधान मंडल में है तो उपमंत्री के न रहने पर वह उसके स्थान पर काम तो कर सकता है कम से कम। हो सकता है आज गुप्ता जी इस विभाग के उपमंत्री हैं कल न रहें।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, उद्योग सभा सचिव कोई नहीं होता वह तो असेम्बली का कार्य चलाने के लिये मिनिस्टर के साथ अटैच हो जाता है इसलिये यह अमेंडमेंट गलत है।

(उद्योग मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमलासिंह यादव—

आप तो श्रीमन्, हमारी जबान बन्द करना चाहते हैं। मैं बोल रहा था बीच में माननीय कृष्णानन्द राय बोलने लगे अब आपने मंत्री जी को बुला लिया मुझे अपनी बात तो कहने दीजिये मैं तो आपकी आज्ञा के बगैर कभी नहीं बोलता।

श्री उपाध्यक्ष —

अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिये मगर मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि बिला वजह टाइम न लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव —

मैंने श्रीमन्, यह संशोधन रखा है कि इसमें "अथवा सभा सचिव" और जोड़ दिया जाय। इसको जोड़ने पर यह इस प्रकार हो जायेगा—"उद्योग उप मंत्री अथवा सभा सचिव उत्तर प्रदेश, यदि कोई हो, यह हो जायेगा। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एडवोकेट जनरल, माननीय कृष्णानन्द राय जी कैसे इसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी कैबिनेट की होती है और उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि हमेशा उद्योग उप मंत्री जरूर ही होंगे ऐसा भी हो सकता है कि उद्योग उप मंत्री कोई न हों सभा सचिव ही हों। माननीय शास्त्री जी भी उस जगह पर आ सकते हैं। माननीय उद्योग उप मंत्री जी पुलिस के भी उप मंत्री हैं वे डंडे के जोर पर यहां का काम भी चलाना चाहते हैं। मुझे आशा है माननीय उप मंत्री जी अब भी अपने स्वविवेक से काम लेंगे और जो संशोधन मैंने रखा है उसको स्वीकार करेंगे। अगर सभा सचिव को भी इसमें अधिकार दे दिया जायेगा तो वे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। इसमें कोई मतभेद होने की गुंजाइश नहीं है। इस संशोधन को मान लेने से इस विधेयक की भाषा भी सुन्दर हो जायेगी। ऐसा नहीं करना चाहिये कि चूंकि विधान परिषद् ने मोहर लगा दी इसलिये हमें भी मोहर लगा देना चाहिये। यह गलत है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, माननीय कृष्णानन्द जी ने कह दिया कि उद्योग का सभा सचिव नहीं होता है उन्होंने शायद पढ़ा नहीं है। उसमें केवल सभासचिव लिखा हुआ है।

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। माननीय सदस्य स्वयं भ्रम में पड़ गये हैं। उन्होंने उसमें लिख दिया उप मंत्री अथवा सभा सचिव। ऐक्ट में क्या ऐसी चीज होती है जो इन्डैफिनिट हो? कहां उपमंत्री और मंत्री से पार नहीं पड़ रहा था और अब सभा सचिव बीच में डाल रहे हैं। इसलिये श्रीमन्, जैसा रक्खा गया है वह ठीक है। यह जरूरी नहीं है कि हर विभाग में सभासचिव हों ही।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, इनकी बात सुनकर बड़ी हंसी आती है। माननीय मंत्री जी अगर अंग्रेजी जानते हैं तो अथवा की अंग्रेजी "आर" है उसका मतलब है कि उपमंत्री अगर हो या सभासचिव हो यानी दोनों में कोई रहेगा। हां, अगर ऐन्ड होता तो इनका तर्क अच्छा होता।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

आर से वेग हो जाता है। मैं उसे खूब समझता हूं और समझकर ही मैंने उत्तर दिया है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उपमंत्री इन्चार्ज न हो सभासचिव एटैच्ड हो तो क्या पोजीशन होगी? सभासचिव नहीं आ सकेगा। अगर इनका इस तरीके का तर्क है तो हम माननीय मंत्री जी को कभी समझा नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) (१) में शब्द "उपमंत्री" और "उत्तर प्रदेश" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:

"अथवा सभासचिव"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के खंड (ख) के उपखंड (२) में 'पांच व्यक्ति' के स्थान पर 'दो व्यक्ति' रख दिया जाय।

कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी ने पांच सरकारी कर्मचारियों को इसका मेंम्बर माना है। मैं तो यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने बोर्ड के मेम्बरों की संख्या १५ मानी है। उस वक्त पोजीशन क्या होगी? मंत्री और उप मंत्री दो हो गये। दो राज्य कर्मचारियों को लेते हैं तो चार हो गये। ९ गैरसरकारी सदस्य इस तरह से १३ आदमी हो सकेंगे। मद्रास के ऐक्ट में देखा जाय, उसमें दिया हुआ है कि पन्द्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी ज्यादातर मद्रास ऐक्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको संख्या ही बढ़ानी थी तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिये थी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बनारसीदास जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर वे २ मिनट में इसको पास कराना चाहते हैं तो हम सब चले जायेंगे वे इस सदन को चलाते रहें। कल वे संसदीय प्रणाली की बहुत दुहाई दे रहे थे अभी २४ घंटे नहीं बीते वे उसका अनुकरण करके दिखायें।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैं आपको बोलने से कहां रोक रहा हूं?

श्री उपाध्यक्ष—

उधर से भी कोई आपको न रोके और आप भी यह खयाल रखें कि आप भी टाइम ज्यादा न लें।

श्री कमलासिंह यादव—

आपको सुझाव के लिये धन्यवाद है। चाहे कोई विभाग हो अथवा चाहे कोई बोर्ड हो उनमें कोई न कोई आदमी सचिव के रूप में काम करता ही है ताकि दफ्तर में जो भी काम हो उसका वह इंचार्ज रहे और समय पर सब काम हो सके। लेकिन सचिव के अलावा और ५–५ कर्मचारी रखना अच्छा नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी कह रहे थे कि अगर ५–५ सरकारी कर्मचारी रहेंगे तो सब अपनी अपनी राय दे सकेंगे। अगर राय की बात ही है तो आप एक एक्सपर्ट और सचिव की सहायता के लिये रख सकते हैं। उसको बुलाकर आप उसकी राय के अनुसार अपने कार्यों का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपने ५–५ कर्मचारी रख दिये तो सारा डी० ए०, टी० ए० में ही निकल जायगा और एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा बहुत बढ़ जायगा जैसा कि और विभागों में ३५–४० प्रतिशत खर्च हो जाता है। माननीय बनारसीदास खर्चे में कमी करने के लिये परेशान हैं और माननीय उद्योग मंत्री बेकार खर्चे को बढ़ाना चाहते हैं। सचिव भी ऐसे व्यक्ति को रखा जाय जो खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित हो क्योंकि वह उस विभाग की सारी बातों को जानता है। अगर आप बहुत जरूरत समझते है तो एक एक्सपर्ट और रख सकते है, लेकिन अधिक अधिकारियों को रख कर उनका बोर्ड में अधिपत्य कर देना ठीक न होगा। हम देख रहे है जो गैर सरकारी अधिकारी थे उनको भी हटा कर सरकारी आदमियों को रख दिया गया है। जब ७–७ हो जायेंगे तो रस्साकशी होगी। हां, दोनों की सांठगांठ हो जायगी तब रस्साकशी न होगी। न्याय से जो काम होगा उसमें रस्साकशी जरूर होगी।

हो सकता है कि रस्साकशी करनें वाले आदमी कम तादाद में हों, भले ही वह एक दो हों जो मुखालिफत करने वाले हों लेकिन उन्नति वहीं होती है कि जहां हर विचार के आदमी मौजूद हों। इस रस्साकशी को दूर करने के लिये मैं मदरास ऐक्ट की एक लाइन पढ़ना चाहता हूं वह यह है कि "मेम्बर्स आफ दि बोर्ड शुड बी नान आफिशियल" यह उसकी धारा ३ (ई)

में दिया हुआ है यानी गैर सरकारी जो सदस्य होंगे उनका बाहुल्य होगा। यहां इन का आदर्श दूसरा दिखाई देता है। हाथी के दांत देखने के और, और खाने के और। एक तरफ तो आपने मदरास के सेम्पिल की बात कही.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने मेरी प्रार्थना नहीं मानी।

श्री कमलासिंह यादव—

अब तक तो मैं खत्म कर लिये होता, आप ने मुझे रोक दिया। अगर मंत्री जी दावा करते हैं कि मदरास का ऐक्ट सुन्दर है तो जो अच्छी बातें हैं उन की नकल करें। चूंकि वहां गैरसरकारी का बाहुल्य होगा, तो आप सरकारी सदस्यों को लेकर क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं। मदरास के ऐक्ट में यह भी दिया है कि सचिव भी गैरसरकारी हो सकते हैं। हम तो उन्हें छूट दे रहे हैं कि सचिव सरकारी अफसर रखिये और एक और सहायता के लिये बाडीगार्ड के तौर पर रखिये, लेकिन जब मदरास के ऐक्ट में साफ है कि सेक्रेटरी भी नान-आफिशियल होगा तो क्या वजह है कि आप ५ सदस्य रख रहे हैं ? इस तरह से मंत्री, उपमंत्री को लेकर सात हो जांयगे। या तो आप साफ कह दें कि हम मदरास के ऐक्ट के खिलाफ हैं और उस में जो बोर्ड के कांस्टीट्यूशन की बात है उस को हम नहीं मानते और हम उसका विरोध करते हैं। यह कैसे हो सकता है कि वहां का आदर्श भी यह माने और उसका इस तरह से विरोध भी करें। इसलिये मैं कहूंगा कि मदरास का ऐक्ट विचारवान लोगों ने बनाया है और आप उसी आदर्श को मानते हैं तो मेरे संशोधन को स्वीकार करें....

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो एक ही बात को कई बार कह रहे हैं, इस तरह से होगा तो हमें टोकना पड़ेगा। एक बात पर बारबार गौर करने को न कहें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस का पहली बहस में ही उत्तर दे चुका। पता नहीं माननीय सदस्य को कहां से गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत दिखाई दिया। अगर मदरास में नान-आफिशियल बहुमत में हैं तो हमारे यहां भी ऐसा ही है। इन आफिशियल सदस्यों को भत्ता, फीस कुछ नहीं मिलेगा, अगर उनसे राय मुफ्त में मिल जाय तो उन का क्या नुकसान है ? इससे तो बोर्ड का लाभ होगा। अगर वित्त सचिव, प्लानिंग सचिव राय दे गये या किसी और सचिव को मनोनीत किया वह राय दे गये तो क्या हर्ज होगा ? वहां वोट तो होता नहीं, हमारा यह अनुभव है। इसलिये इस संशोधन से कोई लाभ नहीं है और मैं मानने के लिये असमर्थ हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

मंत्री जी ने कहा कि हम सचिव को बुलाकर राय ले लेंगे। हो सकता है कि वह किसी को राय लेने के लिये मदरास से बुलायें या आगरा से ही कोई एक्सपर्ट बुलायें। तो मैं तो कहूंगा कि उसको टी० ए० और डी० ए० नहीं देंगे। जो सरकारी आदमी आयेगा उसको केवल टी० ए० और डी० ए० ही नहीं देना पड़ेगा अपितु सरकारी काम का भी हर्ज होगा। सेक्रेटरी का जहां तक ताल्लुक है उसके बारे में दिया गया है कि "The Board in consultation with the Board can appoint a person who may or may not be a member of the Board". बोर्ड के परामर्श से ऐसे आदमी को सैक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं जो कि बोर्ड के मेम्बर हों या न हों। वे किसी को भी एप्वाइंट कर सकते हैं। नौन औफिशियल को भी सेक्रेटरी बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५(१) के खंड (ख) के उपखंड (२) में 'पांच व्यक्ति' के स्थान पर 'दो व्यक्ति' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा (५)(१) के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "तथा" के पहले निम्नलिखित रख दिया जाय :

"जिनमें एक सचिव खादी उद्योग सम्बन्धी भी होगा।"

श्रीमन्, इसमें तो कोई चीज नहीं है। अगर माननीय मंत्री ५ व्यक्ति मानते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि जो खादी उद्योग संबंधी कार्य कर रहा हो उस को इसमें रख दिया जाय।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, क्या कोई भी खादी तथा उद्योग का सचिव है? आप यों ही इन्हें बहस करने की आज्ञा देते हैं।

श्री कमलासिंह यादव —

श्रीमन्, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष —

आपका मतलब उस अधिकारी से है जिन्होंने खादी तथा उद्योग में काम किया हो।

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, जो सचिव खादी के सम्बन्ध में कार्य कर रहा हो वह भी होगा। मैं माननीय कृष्णानन्द जी को कैसे समझाऊं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि सेक्रेटरी उस आदमी को होना चाहिये जो उस विभाग का इन्जार्च हो और जो आदमी इस कार्य को कर रहा हो। तो मैं समझता हूं कि इसको कहनें में कोई अतिशयोक्ति न होगी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त —

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह दिया ही हुआ है कि राज्य सरकार अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों में से ५ व्यक्ति नियुक्त कर सकती है। माननीय सदस्य ने जो कहा है हमें उसे भी रखने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यह अनावश्यक प्रतीत होता है।

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "तथा" के पहले निम्नलिखित रख दिया जाय :

"जिनमें एक सचिव खादी उद्योग सम्बन्धी भी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) के (२) के स्थान पर निम्न लिख दिया जाय :

"(२) राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधोलिखित अधिकारी :—

(क) वित्त सचिव,

(ख) उद्योग सचिव,

(ग) उद्योग संचालक,

(घ) विकास आयुक्त।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि अगर यह व्यवस्था हो गयी कि सरकार किन्हीं ५ आदमियों को रख लेगी तो इससे पता नहीं चलता है कि वे कौन से ५ अधिकारी होंगे। मुख्य मंत्री जो इसकी

सभापति होंगी वे कम्युनल बेसिस पर ही रखेंगी। अगर गुप्ता जी हो गये तो वे पांचों गुप्ता अधिकारियों को छांट लेंगे और अगर पंडित जी मुख्य मंत्री हो गये तो वे पंडितों को भर लेंगे; लेकिन अगर आप पदेन अधिकारी रखेंगे तो जो भी अधिकारी उन पदों पर होंगे उन की नियुक्ति हो जायगी। इसलिये जो पहले इसमें प्राविधान था वह ही रहने दिया जाय। इसीलिए मेरा यह संशोधन है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, नामांकित जो करेंगे तो अपनी रुचि के अनुकूल। ऐक्स-आफिशियो रख दें तो ठीक रहेगा और मनोनीत करने वाली बात ठीक नहीं है इस में सब कुछ हो सकता है बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इस तर्क का क्या उत्तर दूं कि आफिसर के नोमीनेट करने में भ्रष्टाचार हो रहा है इस से क्या लाभ होगा? मान लिया जाय उद्योग संचालक का नाम कल को इंडस्ट्रीज कमिश्नर हो जाय तो फिर ऐक्ट में चेंज करो। इसलिये जिन अफसरों की उपयोगिता होगी उन्हीं को लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के खन्ड (ख) के (२) के स्थान पर निम्न लिख दिया जाय :—

"(२) राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले आधोलिखित अधिकारी :

(क) वित्त सचिव, (ख) उद्योग सचिव, (ग) उद्योग संचालक तथा (घ) विकास आयुक्त।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव —

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) (२) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय :

"स्पष्टीकरण —सरकारी सदस्य बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे किन्तु बोर्ड के अधीन किसी उद्योग में उन का अंशदान होने पर वह सदस्य नहीं रह सकेंगे।

अभी जनरल डिस्कशन में बहुत से लोगों ने कहा कि जितनें सरकारी अधिकारी हैं उन लोगों ने भी बहुत से उद्योग खोले ह और मंत्री जी को कहना पड़ा कि सरकारी संचालक जो हैं उन्होंने ताड, गुड़ का उद्योग खोला....

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमान् जी, "स्पष्टीकरण" शब्द गलत है। यह कह सकते थे कि "प्रतिबन्ध यह है"।

श्री कमलासिंह यादव —

आपका अगर संशोधन यही है तो मैं माने लेता हूं।

श्री कृष्णानन्दराय—

उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत छपा है आप इस को रूल आउट कीजिये।

श्री कमलासिंह यादव —

अगर एडवोकेट जनरल साहब इसमें प्रतिबन्ध रखना चाहें तो उसे मान लें। अभी यह बात सुनने में आई कि संचालक उद्योग विभाग ने तोड़ के गुड़ की इंडस्ट्री चलाई जिसमें बड़ा घाटा हुआ और आडिटर जनरल को एक नोट लिखना पड़ेगा कि सरकारी अधिकारी किसी उद्योग को चलाये अपने नाम से और उसका अंशदान हो तो संविधान के मुताबिक यह उपयुक्त नहीं होगा और माननीय मंत्री जी के बजाय अगर उसकी स्त्री का भी अंशदान उसमें हो तो वह भी नहीं हो सकता। सरकारी अधिकारी में मंत्री और उपमंत्री दोनों आये और कोड आफ कंडक्ट भी आ गया तो माननीय मंत्री जी ने कैसे यह हिम्मत की कि ऐसे लोग जो सरकारी हों वे भी मेम्बर हो सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो रूल्स में भी हो सकता है कि ऐसे लोग न हों।

श्री कमलासिंह यादव—

आप मंत्री महोदय से यह आश्वासन दिलवा दें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अंशदान शब्द बड़ा भ्रमात्मक है। कोई लिमिटेड कम्पनी तो है नहीं जिसमें शेयर हों।

श्री कमलासिंह यादव—

ऐसी हालत में मंत्री जी इसमें भी भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं तो खुशी से लायें और खायें पियें और मौज उड़ायें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ख) (२) के अन्त में निम्नलिखित रख दिया जाय :

"स्पष्टीकरण—सरकारी सदस्य बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे किन्तु बोर्ड के अधीन किसी उद्योग में उनका अंशदान होने पर वह सदस्य नहीं रह सकेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा (५) (१) के उपखंड (ग) में शब्द "सात" के स्थान पर "नौ" और "नौ" के स्थान पर "ग्यारह" रख दिया जाय।

बाहुल्य जो है वह गैर सरकारी सदस्यों का होना चाहिये। इसके लिये ही मेरा यह संशोधन है क्योंकि अभी गैर सरकारी तथा सरकारी सदस्य बराबर बराबर हो जाते हैं यानी सात, सात। ७ सरकारी और ७ गैरसरकारी सदस्य हों तो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि शब्द "सात" के स्थान पर "नौ" और "नौ" के स्थान पर "ग्यारह" रख दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें श्रीमन्, नौ तक का अधिकार है और जैसा कि मैंने पहले कहा—गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत इसमें रहेगा, यह बात निश्चित है। इसमें माननीय सदस्यों को किसी तरह की आशंका करने की जरूरत नहीं है। इससे भी मतलब हल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ५ (१) के उपखंड (ग) में शब्द "सात" के स्थान पर "नौ" और "नौ" के स्थान पर "ग्यारह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अपने में से एक उप-सभापति चुना जायगा।"

श्रीमन्, इसमें कोई बहुत नयी बात नहीं है। मद्रास ऐक्ट के नमूने का जो माननीय मंत्री जी ने दावा किया है, मैं उसकी सिर्फ एक लाइन सुना देना चाहता हूं। उसमें खंड ३ (१) (सी) में दिया गया है—"दि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एलेक्टेड फ्राम एमंग्स्ट दि नान-आफिशियल मेम्बर्स आफ दि बोर्ड।" तो इस तरह से आप देखें कि जो नान आफिशियल मेम्बर्स होते हैं उन्हीं में से एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। उसी तरह से जब आपने बोर्ड के सदस्यों को नामिनेट कर दिया तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो उनको होनी ही चाहिये कि वे अपने में से ही जो अच्छा आदमी हो उसको उपाध्यक्ष चुन सकें। जहां तक जनतांत्रिक प्रणाली का सवाल है जिसकी बेसिस पर इस कांग्रेस सरकार की ही नींव नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की नींव निर्भर है, मैं तो उसी प्रणाली की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके द्वारा उनसे कहना चाहता हूं कि आपने नामिनेशन का हक तो ले लिया, अब नामिनेटेड सदस्य जो बोर्ड के होंगे उनको अपनी इंडिपेंडेंट राय जाहिर करने के लिये इतना तो मौका दें कि वे उन्हीं में से एक अच्छे आदमी को उपाध्यक्ष चुन लें, यह चीज ज्यादा अच्छी होगी। कोई यह नहीं कह सकेगा कि डिक्टेटरशिप होगी। हो सकता है कि कोई गलती माननीय मंत्री या उपमंत्री की तरफ से हो तो वे अपना एक संगठन करके गैरसरकारी सदस्यों का ऐसा जाल बिछा दें कि वे आपके द्वारा नामिनेटेड मेम्बरों में से किसी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लें और नतीजा यह हो कि वह इस बोर्ड को खतम कर दे या इस बोर्ड के रुपये का दुरुपयोग कर सके और जो बोर्ड का सही काम है उसका उल्लंघन करके उसको गलत रास्ते पर ले जायं, तो इन चीजों को बचाने के लिये हमने यह संशोधन रखा है कि जो बोर्ड के नामिनेटेड मेम्बर्स हैं, उनको आप यह अधिकार दे दें कि वे स्वयं आपस में विचार कर अपने में से ही वाइस प्रेसीडेंट चुन लें। ऐसे तो आप इसको चाहे मानें चाहे न मानें—आपकी मर्जी है।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें काफी तथ्य है। बोर्ड के जो भी सदस्य होते हैं वे सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अगर वे उन्हीं में से अपना उपाध्यक्ष चुन लें तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, इसकी हिन्दी बिल्कुल गलत है। न मालूम कैसे इसकी ड्राफ्टिंग हुई है। "गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अपने में से एक उप-सभापति चुना जायगा।" समझ में नहीं आता कि यह कौन सी हिन्दी है। उधर के लोग सरकारी विधेयक के ड्राफ्टर को तो अक्सर गाली दिया करते हैं, पता नहीं वे क्या पढ़े हैं जो उनको हिन्दी तक नहीं आती।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय कमलासिंह जी ने जिस स्वरूप में यह प्रस्ताव रखा है कि बोर्ड के नामिनेटेड मेम्बरों को अधिकार हो कि वे उन्हीं में से अपना एक उप-सभापति चुन लें,

मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हीं में से एक व्यक्ति को उप-सभापति चुनने का अधिकार तो दे ही देना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने जैसा पहले कहा, सब रुपया कमीशन का लगता है, उससे परामर्श करके यह बात रखी गयी है इसलिये मैं इसको मानने में असमर्थ हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, खादी कमीशन ने केवल इतना ही कहा है कि हम फाइनेंसिंग करते हैं, कोई पालिसी डिक्टेट नहीं करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

उप-मंत्री जी को शोभा नहीं देता कि मद्रास के ऐक्ट का मखौल उड़ा रहे हैं और जनतांत्रिक प्रणाली को ठुकराना चाहते हैं तो इससे बढ़ कर हास्य की चीज क्या होगी। कोई भी तो काम आप ऐसा करें जिसमें इस ऐक्ट का अनुकरण कुछ तो हो।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय उद्योग मंत्री कुछ कहेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुझे जो कहना था कह चुका।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ द्वारा प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायं :

"(२) गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अपने में से एक उप-सभापति चुना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ४--६

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ६ का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

गैर-सरकारी सदस्यों तथा उप-सभापति की पदावधि।

"६—(१) गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, सरकारी गजट में उनके नाम विज्ञापित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

(२) उप सभापति की पदावधि गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसकी पदावधि के समय तक होगी।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है—

(क) जो दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन समन्वित हो; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या

(घ) जिसने राज्य सरकार की राय में, बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्य न किया हो या जो इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या जिसने सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका इस प्रकार बने रहना बोर्ड तथा जनसाधारण के हितों के लिये हानिकर हो :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, इस उपधारा के अधीन किसी गैर-सरकारी सदस्य को हटाने के पूर्व, उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगी।

(४) राज्य सरकार किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को, जिसके विरुद्ध उपधारा (३) के अधीन कार्यवाही विचाराधीन अथवा अपेक्षित हो, ऐसी कार्यवाही समाप्त होने तक के लिये निलम्बित कर सकती है।

(५) कोई गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित लिखित पत्र द्वारा जिस पर उसके हस्ताक्षर हों त्याग-पत्र दे सकता है, और ऐसे त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने पर, वह सदस्य नहीं रह जायेगा।

(६) किसी गैर-सरकारी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करके की जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, शेष पदावधि के लिये पदासीन रहेगा।"

धारा ७ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में—

(क) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(२) सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में, उप सभापति, या दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा;"

(ख) उपधारा (३) में शब्द "सभापति या उसकी अनुपस्थित में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति" के स्थान पर शब्द "अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति" रख दिये जायं।

(ग) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(४) बोर्ड को किसी विषय पर परामर्श अथवा सहायता देने के प्रयोजन से सभापति, किसी व्यक्ति को बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिये, आमंत्रित कर सकता है। ऐसे आमंत्रित व्यक्ति को बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

धारा ९ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

बोर्ड का कार्यालय

"९—बोर्ड का कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे और जब तक इस

प्रकार विज्ञापित न किया जाय तब तक वह कानपुर में ही स्थित रहेगा।"

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—साधारणतया बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी परन्तु किसी स्थान की रिक्ति की दशा में शेष पदावधि ही उनका कार्यकाल होगा अथवा उस दिन तक होगी जब तक उनके स्थान पर नई नियुक्तियां न हो जायं।"

पहली बात तो मैं माननीय कृष्णानन्द जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने खड़े होकर भाषा की शिकायत तो की, लेकिन कटाक्ष करके ही रह गये, उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज नहीं लाये। हमें शब्दों के जाल के लिये पैसा नहीं मिलता है, हम तो सरकारी नीति की विवेचना करते हैं। भाषा ठीक करना सरकारी अधिकारियों का काम है। माननीय गेंदासिंह जी मौजूद हैं। जब वे अपोजीशन में हमारे साथ बैठते थे तो सन् ५२ में जब स्वर्गीय पन्त जी यहां मुख्य मंत्री थे तो गेंदा सिंह जी ने साफ कह दिया था कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं भाषा ठीक करूं। तो मैं तो वही बात कहना चाहता हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं और माननीय कृष्णानन्द जी बहुत विद्वान आदमी हैं। मैं समझता था कि वह हमारी भाषा को ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कह दिया कि यह गलत है...

श्री कृष्णानन्दराय—

वह इतना गलत वाक्य है कि उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस बोर्ड की कालावधि तीन साल रखी गयी है। इसमें कोई एक्सटेंशन की बात नहीं कही गयी है। अगर तीन साल से एक दिन भी अवधि बढ़ गयी तो बोर्ड की क्या दशा होगी? मैं समझता हूं कि वह नल ऐंड वायड हो जायगा और उसने जितने भी काम तीन साल के बाद किये हैं वे सब इल्लीगल हो जायंगे। इसलिये मैंने यह स्पष्टीकरण रखा है कि तीन साल अगर बीत भी गये तब भी जब तक दूसरा नामिनेशन न हो जाय और स्थानों की पूर्ति न हो जाय, उसका कार्यकाल रहेगा। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है फिर भी अक्ल न आये तो हम क्या कर सकते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम लोग इने गिने हैं। अगर आप की महिमा हो जाय तो हम लोग यहां से निकाल दिये जायंगे। आपकी इतनी ही मेहरबानी बहुत है कि हम लोगों को बोलने का मौका तो मिल रहा है। मंत्री जी को मैं ध्यान दिलाऊंगा कि कोई ऐसी गलती न कर दें जिससे रिट का सवाल आ जाय और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिक्चर्स पास हो जायं। आपके विभाग की वजह से सदन में फिर आयेगा और फिर शुरू से इसके कार्यकाल का विधेयक बनेगा। इस समय तो दो मिनट बोलने में समय नष्ट हो रहा है और तब पूरा इसमें लगेगा। मंत्री और उपमंत्री इस तरह से समय नष्ट करते हैं इससे मुझे अफसोस होता है। कार्यकाल बढ़ाने की बात होती तो कोई बात नहीं थी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन विधेयक के पृष्ठ ३ पर उपधारा (६) को देखें जो इस प्रकार है कि "किसी गैर-सरकारी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके की जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य

ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, शेष पदावधि के पदासीन होगा।" इसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं रहती है।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात कहना चाहता हूं कि सरकारी सदस्यों का सवाल है, वह बताना है, गैर सरकारी सदस्यों का सवाल नहीं है। मैंने रखा है कि साधारणतया बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी परन्तु किसी स्थान की रिक्ति की दशा में शेष पदावधि ही उनका कार्यकाल होगा अथवा उस दिन तक होगी जब तक उनके स्थान पर नई नियुक्तियां न हो जांय। मैंने इसलिये जोड़ा है ताकि गलती न हो जाय। जहां तक ६ (१) का सवाल है, इसमें यह है कि "गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि, सरकारी गजट में उनके नाम विज्ञप्ति किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष होगी।" मान लीजिये कि १२ अगस्त को बोर्ड बना और आप १३ अगस्त को या १४ अगस्त को नामीनेशन करते हैं और इन दो दिनों सारा बजट खर्च कर दिया जाय तो क्या पोजीशन होगी? इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा?

दूसरी ओर उपधारा (६) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "किसी गैर सरकारी सदस्य के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करके की जायगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसे सदस्य की, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, शेष पदावधि के लिये पदासीन रहेगा।" इसमें किसी तरह से स्थान रिक्त हो जाय तो उसकी जगह पर जो दूसरा नामीनेशन होगा, उसकी वही पदावधि रहेगी जो शेष काल रहेगा। इस तरह से तीन वर्ष जो हैं वह इस बोर्ड की मियाद है जो स्थान रिक्त हुआ और जो मेम्बर कान्टीन्यू कर रहे हैं सबका कार्यकाल ३ साल होगा। यहां सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का डिस्ट्रिक्शन इस तरह का है कि गैरसरकारी सदस्य चाहे कोई भी हों ३ साल की अवधि में हटा दिये जाएंगे और उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिये आपको गवर्नर का आर्डीनेन्स या कोई संशोधन लाना पड़ेगा, लेकिन आपको वह मौका नहीं मिला तो क्या होगा, यह जरा सोंच लें? मैंने बहुत से मौके और इस सरकार की कार्य परिपाटी को मैंने देखा है कि बहुत से ऐक्ट सरकारी कर्मचारियों की गलती से अवैध हो गये यानी उन पर समय से आर्डीनेन्स न जारी होने के कारण। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह ऐक्ट जो है यह किसी के घर की चीज नहीं है, लेकिन कम से कम विधेयक इस तरह का होना चाहिये कि जो हर तरह से परिपूर्ण हो। इसलिये गाइडेन्स के तौर पर संशोधन के मेरे शब्द—"उस दिन तक होगी जब तक कि उसके स्थान की नई नियुक्तियां न हो जाएं", जोड़ दिया जाए मान लिया जाना चाहिये। नया सदस्य जब तक कार्यभार नहीं संभाल लेता तब तक बोर्ड का कार्यकाल पूरा रहेगा और यह माना जाएगा कि इस बीच जितना कार्य बोर्ड ने किया है वह नियमित है और उसे नियमित बनाने के लिये यह संशोधन आवश्यक है। जो संशोधन मैंने पेश किया है वह बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और विचार करेंगे तो जितने भी ऐक्ट हैं, इस बोर्ड के वह अवैधानिक नहीं होने पाएंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि यह संशोधन इसमें रहे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है। मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (१) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—साधारणतया बोर्ड के गैरसरकारी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी परन्तु किसी स्थान की रिक्त की दशा में शेष पदावधि ही उनका कार्यकाल होगा अथवा उस दिन तक होगी जब तक उनके स्थान पर नई नियुक्तियां न हो जाएं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा २ (अ) निम्न रूप से रख दी जाय :

"२ (अ) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक निरन्तर पदावधियों के लिये गैर सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हुई हो।" मैं तो उम्मीद कर रहा था.....

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, सभापति के बारे में संशोधन है और उसमें गैर सरकारी सदस्यों की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह सब ओवर रूल करने लायक चीज है, जो वह बोल रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

यह श्रीमन्, बीच-बीच में टोंक रहे हैं। मैं इनसे तो यह उम्मीद करता था, लेकिन जो मंत्री-गण यहां आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं वह ज्यादा अनुचित है और यह बेहतर होगा कि वे अपने कमरे में जाकर और कोई कार्य देखें।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन् देख लें, यह तो उप-सभापति के पदावधि के लिये है और यहां गैरसरकारी सदस्यों के लिये उठाया जा रहा है, यह कहां तक उचित है ?

श्री कमलासिंह यादव—

यह व्यवस्था का प्रश्न है या क्या है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

यह तो सुझाव था।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर माननीय उग्रसेन जी होते तो आप ऐसा कहते ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इससे तो आप अपने नेता को स्वयं ही कंडेम किये दे रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

वह तो बड़े ऊंचे नेता हैं, मैं उनकी बात सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप उनके सामने यह बात कहते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आपस में बातें न करें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने कोई नयी बात श्रीमन्, इसमें नहीं कही है। मैं तो मंत्री जी ने जो बात पहले रखी थी उसी को कह रहा हूं। इनका कहना है कि दो से अधिक निरन्तर कालावधि के लिये बोर्ड का सभापति नहीं नियुक्त किया जायगा। मैं तो मंत्री जी की सहायता करना चाहता हूं। मैं उनको कहां रोकता हूं कि वे न रखें लेकिन मैं यह कहता हूं कि उसके साथ एक विशेष बात अवश्य होना चाहिये। अगर दो बार से किसी को तीसरी बार भी रखना ही चाहते हैं तो कहना पड़ेगा कि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैं तो एक मौका मंत्री जी को और देना चाहत

हूं। उनकी दशा अधिक सुरक्षित हो जायगी और उन पर आक्षेप भी नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने माननीय बनारसीदास जी से राय नहीं ली। अगर वह ले लिये होते तो शायद ऐसी गलती न करते। जो इस क्लाज में रखी गयी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करके मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक समाप्त न हो जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, कल बनारसीदास जी ने स्वयं प्रस्ताव रखा था कि साढ़े ३ बजे के बाद यह विधेयक चलेगा और जब तक समाप्त न हो जायेगा तब तक सदन बैठा रहेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

लेकिन फार्मल प्रस्ताव तो होगा ही।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है। प्रश्न यह है कि सदन का समय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक पास न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सर्वश्री उग्रसेन तथा माननीय रामसुन्दर पाण्डेय के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, आज दो सदस्य माननीय उग्रसेन और माननीय रामसुन्दर पांडेय को दो-दो रोज के लिये निलम्बित किया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके निलम्बन को समाप्त कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष भी इस विषय में खेद प्रकाशित कर चुके हैं कि उस गरमा गरमी में वह ऐसा कर गये।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी ेर के बाद यदि इस प्रश्न को रखें तो ज्यादा अच्छा है जिससे इस पर विचार करने का अवसर मिल जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मैं तो मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह स्वयं ही इस प्रस्ताव को रख दें।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर रख दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

खं० ४–६ (क्रमागत)

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बहुत देर से सुन रहा हूं कि माननीय कमलासिंह जी जो अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं और उस पर जो कुछ फरमाते हैं वह इतना लम्बा चौड़ा हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता। वह उसको बारबार दोहराते हैं जिससे वह खुद

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

उलझकर रह जाते हैं और हम भी उलझकर रह जाते हैं। तो क्या आप यह व्यवस्था देंगे कि जो कुछ वे कहें संक्षेप में कहें जिससे सब की समझ में आ सके और वह खुद भी समझ सकें?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में हम उनको रोक नहीं सकते हैं। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह रिपीटिशन न करें। केवल रिपीटिशन को रोक सकते हैं। इसलिये उनसे हमारी प्रार्थना है कि वह सदन की भावना को देखते हुये जरा संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मेरे खयाल से मुमताज भाई जरा समझने की कोशिश करें तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं किसी बात को केवल समझा सकता हूं, समझ नहीं दे सकता हूं। अगर कहीं पर रिपीटिशन करता हूं तो वह केवल इसलिये कि पहली बार आपकी समझ में न आवे तो दूसरी बार उसको समझ लें। वैसे आप कुर्सी पर विराजमान हैं। मैं रिपीटिशन करूं तो आप रोक सकते हैं। मुमताज भाई नियमावली जो हमारी प्रक्रिया की है, उसको पढ़ लें तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा खयाल है कि सदन की भावना यह है कि जल्दी ही समाप्त हो जाय तो अच्छा है। बिला वजह बात न हो इसका ध्यान रहना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह—

मैं कमलासिंह जी से यह प्रार्थना करता हूं कि यह मंत्री जी उनमें से नहीं हैं जो उनके संशोधन को स्वीकार कर लें। इसलिये जो कहना हो वह एक बार में ही कह दें तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा भी अधिकार है, किन्तु मैं यह आपको आश्वासन अवश्य देता हूं कि मैं उसका अनुचित प्रयोग नहीं करूंगा। जो भाव मैंने व्यक्त किये हैं वे काफी हैं। अगर इतने पर भी इनकी समझ में नहीं आता है तो मेरे पास इतनी अधिक समझ नहीं है कि उनको मैं दे सकूं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

माननीय सदस्य ने बहुत समझाने की कोशिश की और हम लोगों ने भी समझने की कोशिश की, लेकिन उनके सुझाव ऐसे नहीं जिनमें कोई तर्क हो या मुझे मान्य हो। अतः मैं अपने को इस स्थिति में पाता नहीं हूं कि उनके संशोधन को स्वीकार करूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा ६ की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा २(अ) निम्न रूप से रख दी जाय :

"२ (अ) कोई भी व्यक्ति दो से अधिक निरन्तर पदावधियों के लिये गैर सरकारी सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हुई हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा ६ (३) के खंड(घ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिया जाय :

"अथवा जिसकी श्रद्धा तथा अभिरुचि खादी तथा ग्रामोद्योग में न रह गयी हो।"

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, श्रद्धा तथा अभिरुचि शब्द साहित्यिक हैं। यह लीगल शब्द नहीं हैं इसलिये विधेयक में नहीं आ सकते।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, यह खंड का विखंडन है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ठीक है। यह साहित्यिक शब्द है। यह विधेयक में कैसे आयेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस खंड में दिया गया है कि बोर्ड के सदस्यों की डिस्क्वालीफिकेशन क्या होगी? उसी के अन्त में मैं यह वाक्य जोड़ना चाहता हूं। मेरा विचार है कि सही लोग ही बोर्ड में रहने चाहिये। अगर ऐसे लोग उस में नहीं आयेंगे तो काम नहीं चल सकेगा। कल या परसों माननीय तिवारी जी ने नैनतारा का नाम लिया था। ऐसे लोग खादी बरदाश्त नहीं कर सकते। उनको तो सिल्क चाहिये। यहां ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जो खादी में विश्वास करते हों। इसीलिये गांधी जी ने इसका विभाग सरकार से अलग रखा था।

श्री कृष्णानन्द राय—

इन शब्दों का तो कोई मतलब नहीं होता। आप इस पर अपनी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

अगर इतना व्यवधान हो रहा है तो मैं सदन का और आप का आदर करते हुए सदन का त्याग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बोलिये। आप को नाराज होने का कोई मौका नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। यह उचित नहीं है कि बीच में लोग इस तरह से बोलते रहें।

श्री बनारसीदास—

कृष्णानन्द जी भी गाजीपुर के हैं, यह तो मुहब्बत की बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा, यह मुहब्बत की बात है, हम क्या जानें। एक ही जिले के रहने वाले जो ठहरे।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय संसदीय मंत्री जी ने अपने दिल के उद्गार रखे, मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। श्रीमन्, ग्रामों में दो तरह के लोग हैं। जहां ८० फीसदी लोग कृषि पर निर्भर करते हैं उनकी हालत दयनीय है। कृषि खराब हो रही है, पैदावार घट रही है उनके पास कोई उद्योग-धंधे नहीं जिससे उनकी माली हालत बहुत खराब हो गयी है। यह हम उनको साधन देते हैं श्रम करने का ताकि अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकें। इसलिये जो कार्य-संचालक होगा अगर उसका खादी और ग्राम उद्योग में विश्वास नहीं है तो बोर्ड चल नहीं सकता। इसलिये यह क्वालिफिकेशन बहुत जरुरी है। ऐसे लोग अगर रखे गये कि जिनकी श्रद्धा और अभिरुचि खादी और ग्रामोद्योग में है, लेकिन बाद में नहीं रहा तो क्या दशा होगी। इसलिये जो सदस्य इस उद्देश्य को लेकर चुने गये हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि हम तो ऐसे ही लोगों को चुनेंगे, तो उनकी अभिरुचि रहे बाद में भी तभी उचित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस नीति से सहमत होंगे। अगर इस तरह की भावना रखेंगे तो गलत आदमी बोर्ड में नहीं आ सकेंगे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने बहुत परिश्रम किया है, बड़े अच्छे विचार हैं, लेकिन श्रद्धा और अभिरुचि का क्या क्राइटेरिया होगा, कौन से पैमाने से नापी जायगी, वह उन्होंने नहीं बताया। तो किसी सदस्य को निकालना इस बिना पर कहां तक मुनासिब होगा? इसलिये यह एक जनरल बात है, कोई माने नहीं रखती। मैं इसे मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा ६ (३) के खंड (घ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय--

"अथवा जिसकी श्रद्धा तथा अभिरुचि खादी तथा ग्रामोद्योग में नहीं रह गयी हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७-१३

धारा १० का प्रतिस्थापन।

७--मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :--

"१०--(१) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों पर जो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे :

बोर्ड के अन्य अधिकारी और कर्मचारि वर्ग।

(क) बोर्ड के परामर्श से उसका सचिव, तथा

(ख) बोर्ड का लेखाधिकारी, नियुक्त करेगी।

२) बोर्ड तदर्थ बने विनियमों के अनुसार ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह उचित समझे।"

८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :— धारा ११ का प्रतिस्थापन।

"११—धारा ३१—क के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव तथा लेखा अधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य। सचिव, तथा लेखा अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो नियत किये जांय।"

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में— धारा १२ का संशोधन।

(क) उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १० की उपधारा (२) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों" रख दिये जांय ; और

(ख) उपधारा (२) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "उप सभापति" रख दिया जाये।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— धारा १३ का प्रतिस्थापन।

"१३—बोर्ड की ओर से प्रत्येक संविदा या संपति का हस्तान्तरण लिखित रूप में होगा तथा वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से निष्पादित किया जायगा जो नियत की जाये और बोर्ड का प्रत्येक आदेश या निर्णय उप सभापति या सचिव या ऐसे अन्य सदस्य अथवा अधिकारी के जो बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अभिप्रमाणीकृत किया जायगा। बोर्ड के आदेश तथा संलेख

११—मूल अधिनियम की धारा १४ निकाल दी जाय। धारा १४ का निकाला जाना।

१२—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "विनियमन करना" तथा उसके पश्चात् आये हुये पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और अपने द्वारा बनायी गयी योजनाओं को कार्यान्वित करना" बढ़ा दिये जायें। धारा १५ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा २१ की उपधारा (२) में— धारा २१ का संशोधन।

(१) खंड (क) में शब्द "सभापति" के स्थान पर शब्द "पर उप सभापति" रख दिया जाय ; तथा

(२) खंड (ख) में शब्द "कर्मचारियों" के स्थान पर शब्द "अधिकारियों और कर्मचारियों" रख दिये जायें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १० की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक सम्भव हो अधिकारियों तथा तथा कर्मचारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों में से की जायेगी।"

श्री कृष्णनन्द राय—

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन अनकान्सटीट्यूशनल है, इस प्रकार का कोई डिस्क्रीमीनेशन करना संविधान के खिलाफ है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं एडवोकेट जनरल साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक के नाम को देखें। इसमें लिखा है "खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड" यानी यह विधेयक ग्रामीणों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये बना है....

श्री उपाध्यक्ष—

संविधान का जो आर्टिकिल १५ (१) है जिसमें लिखा है कि "Prohibition of discrimination on grounds of religion race, caste, sex or place of birth." इसका आपके पास क्या जवाब है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जो हरिजन विभाग है, उसमें हरिजनों के लिये फिर क्यों आप विशेष सुविधायें रखते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिये संविधान में प्रविजन है ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप वहां इस तरह का डिस्क्रीमीनेशन तो कर रहे हैं । आप इस विधेयक को देखें, यह विधेयक ग्रामीणों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये बनाया गया है । इसके उद्देश्य और कारणों को आप देखें, विधेयक के नाम को भी देखें, यह खादी तथा ग्राम उद्योग विधेयक है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इसमें ग्रामीणों को रखा जाय ताकि वे लोग अपनी भलाई के लिये काम कर सकें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, अगर इस संशोधन पर बोलने दिया जायेगा तो यह इस सदन के लिये बड़ा अपमानजनक होगा कि ऐसे अनकान्सटीट्यूशनल संशोधन पर यहां बहस हुई ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, यह विधेयक तो ग्रामीण की दशा को सुधारने के लिये है, यदि उसमें ग्रामीण अधिकारी और कर्मचारी अधिक संख्या में होंगे तो वह उनके हित में होगा । अगर ग्रामीण लोग इसमें अधिक से अधिक संख्या में रक्खे जायेंगे ?" जहां तक सम्भव हो" ये शब्द इसीलिये रख दिये गये हैं । इससे ग्रामीणों की दशा में सुधार हो जाता है । उनका जो उद्योग है उसको सफल बनाने का वे स्वयं प्रयास करेंगे ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह कहां तक रोक लगाई जा सकती है । ग्रामीण क्षेत्र का ही आवे, यदि योग्य होगा ग्रामीण तो उसको ही स्थान मिलेगा । इसलिये इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना मुनासिब न होगा । माननीय सदस्य ने आशा है कि ये इसको वापस ले लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट होता है कि ये शहर के लोगों को भरना चाहते हैं। अगर यह उद्योग की चीज होती जो फैक्टरी से संबंधित होती तो मैं तारीफ करता। ग्रामोद्योग में चर्खा संबंधी जो चीजें हैं जहां किसानों को काम देना चाहते हैं वहां हम शहर के लोगों को भर लें, यह अच्छी बात नहीं होगी। हम ग्रामीणों के नाम पर जो रुपया लेना चाहते हैं उसका उपयोग ग्रामीणों के हित के लिये ही होना चाहिये जिससे कि वे अपनी आर्थिक दशा का सुधार कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १० की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक सम्भव हो अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों में से की जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ७ से १३ तक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४—१५

१४—मूल अधिनियम की धारा २५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :— | नयी धारा का बढ़ाया जाना।

"२५-क—बोर्ड किसी अकेले मामले में एक हजार रूपये तक की और किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दस हजार रुपये तक की धनराशि को जो उसे देय हो बट्टे-खाते में डाल सकता है यदि उसकी राय में ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो।"

वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते डालने का अधिकार

१५—मूल अधिनियम की धारा ३० की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :— | धारा ३० का संशोधन।

"(३) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जायगी।"

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब तक व्यवस्था ऐसी रही है कि असेम्बली विभाग में जिन अस्थायी कर्मचारियों को रखते रहे हैं उन्हें असेम्बली समाप्त होने पर निकाल देते रहे हैं। प्रश्न यह है कि १५ अगस्त नजदीक है। आप सरकार को परामर्श दें कि पुरानी परम्पराओं को कायम रक्खें ताकि इन बेचारों का हित हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन की बात नहीं है, अधिकारियों की बात है। जैसा वह उचित समझेंगे करेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५ (क) की तृतीय पंक्ति में शब्द "दस हजार" के स्थान पर "तीन हजार" रख दिया जाय।

[कमलासिंह यादव]

यह संशोधन मद्रास ऐक्ट के अनुसार है जो माननीय मंत्री जी ने नमूना पेश किया है। इसमें इरेकवरेबिल एमाउन्ट के राइट आफ करने की बात है। दो चीजें इसमें हैं अगर आप चाहें तो दूसरा भी पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष--

हां, कर दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय: "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बट्टा खाता में वसूल न होने योग्य देयों को डालने से पहले राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।"

एक बात तो यह है कि बट्टे खाते में एमाउन्ट डालने की हम बोर्ड को पावर दें और दूसरी बात यह है कि उसके लिये सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होगी या नहीं।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मजबूरी है। अगर कोई भी चीज वसूल नहीं होती है, हो सकता है कि बट्टे खाते का ही एमाउन्ट इतना बढ़ जाय कि लोग उसी की ओर नजर रखें और बोर्ड का खात्मा हो जायेगा। जब आप बोर्ड में सरकारी कर्मचारी रख रहे हैं और जिस बोर्ड का अध्यक्ष मंत्री स्वयं हो और उसमें उपमंत्री भी हो साथ ही सरकारी सदस्य हों और एक्सपर्ट्स भी हो तो उसमें बट्टे खाते की बात करना मैं समझता हूं इससे बढ़कर शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो यहां तक भी समझता हूं कि इस प्रदेश का अपमान होगा। एक तरफ तो हम रुपया बचाने की बात करते हैं और दूसरी ओर बट्टे-खाते की बात करते हैं आज बट्टा-खाते के नाम पर लोन वगैरह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके पास कोई सम्पिति नहीं है। चालाक लोग रुपया ले लेते हैं और अपनी सारी जायदाद भाई भतीजा के नाम कर देते हैं। दूसरों के नाम लिख देते हैं। रुपया लेकर उसके बाद अपने को दीवालिया डिक्लेयर करके कहते हैं कि हमारे पास कोई सामान नहीं है जिससे रुपया चुका सकें, नतीजा यह है कि सम्मन सब जगह जाते हैं कि फलां जगह इनकी जायदाद है लेकिन जिनके नाम उसने ट्रांसफर कर दिया वे लोग उस जायदाद को अपनी क्लेम करते हैं। नतीजा यह होगा कि सरकारी रुपया वसूल नहीं हो पायेगा और सारा रुपया बट्टेखाते में चला जायगा। वह ऐसा कुआ है कि उस कुएं से कोई निकल नहीं सकता और न कभी उस रुपये के वसूल करने की बात ही हो सकती है, न कोई प्रोसेस ही हो सकता है। लेकिन किसान पर अगर एक रुपया भी इस सरकार का बाकी रह जाता है तो उसके मवेशी तक नीलाम कर लिये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

बट्टे खाते का सवाल तब आता है जब ये सारी बातें और कोशिशें वसूल करने की हो जायं और वसूल न हो पाये।

श्री कमलासिंह यादव--

जब किसान खेत में काम करता है वह आपको पैसा देता है। उसके पैसे का ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। अगर उस किसान के ऊपर एक पैसा भी आपका बाकी रह जाता है तो उसके ऊपर कोड़े बरसाये जाते हैं और उसको तहसील की कालकोठरी में रखा जाता है, जहां माननीय बनारसीदास जी की ओर से उसके लिये पानी का भी इन्तजाम नहीं होता।

जब कि बदमाश को जब जेल भेजा जाता है तो उसके लिये पहले से कंबल तैयार रहता है । ऐसे किसान के पैसे को उस बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपके मंत्री हैं, खर्च किया जाना ताज्जुब की बात है । अगर ऐसी बात है तो ऐसे बोर्ड की जरूरत नहीं है । आपको तो उसके एक-एक पैसे पर अंकुश रखना चाहिये । बट्टे खाते में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिये । अधिकारियों के रहते हुए बट्टेखाते जाने का कोई सवाल ही नहीं है, गलत आदमियों को रुपया नहीं मिलना चाहिये । इसलिये माननीय मंत्री जी से बट्टेखाते का नाम हम सुनना नहीं चाहिये । लेकिन चूंकि मद्रास के ऐक्ट में इसका प्रावधान है तो आप भी उनके बराबर ३ हजार इसको कर दीजिये और बोर्ड का दिवाला निकल जाने के पहले उस पर सरकारी अंकुश कर दें । ऐसा न हो तो बोर्ड मंत्री उस रुपये का दुरुपयोग कर डालें । मैं माननीय उपमंत्री जी को उसके लिये बधाई दूंगा कि उन्होंने इस में आडीटर जनरल का अंकुश रख दिया है । बट्टेखाते का नाम हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन अगर वह हो तो सरकार को स्वीकार होना चाहिये । जैसा कि मद्रास के ऐक्ट में है । अच्छा हो कि दस हजार की जगह तीन हजार कर दिया जाय । इतनी रकम रखना मुनासिब नहीं है । इससे अगर ज्यादा रुपया बट्टेखाते में जायगा और फल यह होगा कि बोर्ड मिट जायगा और सारी आपकी जो बचत की योजना है वह खत्म हो जायगी । अंकुश रखना बहुत जरूरी है ताकि एक एक पैसा सही तरीके से खर्च हो । आशा है कि मंत्री जी मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो लोन दिया जायगा तो पूरी जमानत हर आदमी से ली जायगी, खेती की, मकान की या नकदी की जमानत ली जायगी, तो फिर बट्टेखाते की जरूरत कैसे होगी ? वह इस पर प्रकाश डालें कि वह इस तरह से क्या कृषकों के लगान में भी बट्टे खाते की व्यवस्था करेंगे । जैसे आप ने कहा कि वसूली होगी तो किसानों के लगान में बट्टे खाते की व्यवस्था नहीं है तो यहां क्यों रख रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

व्यापार में सैकड़ों बातें होती हैं, कितनी रकम रह जाती है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

जो जमानत में प्रापर्टी आड़े होगी उससे रुपया वसूल होना चाहिये, बट्टे खाते की आवश्यकता कैसे होगी ?

सर्वश्री उग्रसेन तथा रामसुन्दर पाण्डेय के निलम्बन को समाप्त करने का प्रस्ताव--(क्रमागत)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

श्रीमन्, जो कटुता आज सदन में हुई और जो कुछ हुआ उसका हमें बहुत दुख है । आशा है कि माननीय संसदीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे और जो निलम्बन हुआ है उसको समाप्त करेंगे । जो कटुता पैदा हो गई उस के लिये हमें खेद है, हमें आशा है कि उन माननीय सदस्यों को निलम्बन से मुक्त किया जायगा ।

श्री बनारसीदास--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सदन के सभी लोगों को अफसोस होगा आज की घटना पर जो सदन में हुई और उस से सभी लोग अपने को असम्बद्ध करेंगे । मुझे इस की खुशी है कि माननीय तिवारी जी ने उस पर खेद प्रकट किया है और माननीय सदस्यों का जो आचरण माननीय अध्यक्ष के प्रति था उसको पसंद नहीं किया । इसलिये जो प्रस्ताव उन्होंने किया है मुझे उस से आपत्ति नहीं है और आज जो निलम्बन का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के विरुद्ध था उसको उनके सुझाव पर वापस ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन और माननीय रामसुन्दर पांडेय जो आज निलम्बित हुये हैं, उनका वह निलम्बन समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

खंड १४—१५—(क्रमागत)

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं माननीय सदस्यों का अनुगृहीत हूं इसलिये कि उनको इस विधेयक में कुछ बातें अच्छी लगीं जैसे कि इसमें आडिटर जनरल का प्राविधान है । कहा गया कि लगान में बट्टा खाता नहीं होता इस में क्यों किया गया । यह तो एक व्यवसाय है । हमने ऐसा व्यवसाय कोई नहीं सुना कि जिस में बट्टे खाते की संभावना न हो । यह सही है कि बट्टाखाता कम से कम होना चाहिये । दस हजार का प्राविजन एक फाइनेन्शियल ईयर में है। यह देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन जहां लाखों का लेनदेन हो वहां दस हजार कौन ज्यादा है । जहां तक अंकुश की बात उन्होंने कही है इसम मंत्री भी रहेंगे और सरकारी सदस्य भी रहेंगे । अंकुश तो काफी रहेगा, लेकिन जो रकम पीछे दे चुके हैं, उससे यह अनुभव होता है कि बट्टे खाते का प्राविधान होना चाहिये । हम मानते हैं कि जमानत भी ली जाती है और उस व्यक्ति से एग्रीमेंट भी कराया जाता है, लेकिन फिर भी बट्टेखाते आवश्यकता होती है । आदमी से एग्रीमेंट भी करा लिया । जमानत वाले व्यक्ति की जायदाद में आग लग गयी और एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति मर गया । उसके कोई वारिस भी नहीं तो उस रकम को बट्टे खाते में ले जाने की स्थिति आ सकती है क्योंकि वह रुपया वसूल नहीं हो सकता है ।

श्रीमन्, जहां तक १० हजार की रकम है वह पूरे वित्तीय वर्ष के लिये है । एक मामले में वह रकम केवल १००० ही है । एक-एक हजार के १० मामले हो जाते हैं तो इसलिये कोई बड़ी रकम नहीं है और इस अधिकार को लेने में कोई बहुत बड़ा गजब नहीं हो गया है । मैं समझता हूं कि कमलासिंह जी इस संशोधन को वापिस ले लें जिससे यह साबित हो सके कि मैं उनको समझा सका हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उम्मीद करता था कि माननीय मंत्री जी कोई बहुत बड़ी चीज कहेंगे, परन्तु उन्होंने ऐसी कोई चीज नहीं कही । इस बिल में दिया गया है कि बोर्ड किसी अकेले मामले में १,००० रु० तक और किसी वित्तीय वर्ष में १०,००० रुपये की धनराशि तक जो उसका देय होगी बट्टे-खाते में डाल सकता है यदि ऐसी धनराशि वसूल होने योग्य न हो ।

जहां तक जायदाद में आग लगने का संबंध है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, वह ठीक है । उसमें कोई वसूली का प्रश्न नहीं आता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं यदि कहीं पर आग लग जाये तो उसके जायदाद के मालिक को तो अनुदान देना चाहिये । उस रकम को बट्टे खाते में नहीं डालनी चाहिये । यह कहना उपयुक्त नहीं है कि जो रकम कर्जे के रूप में दी गयी थी वह वसूल नहीं हो पायी ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें लाखों रुपये लगेंगे । मैं तो यह उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें करोड़ों रुपया आ जाना चाहिये, लेकिन अगर कई करोड़ रुपया इसमें आ जायगा तो उस समय क्या पोजीशन हो जायगी ? अगर एक एक आदमी एक समय १,००० रुपये और हर साल में दस-दस हजार रुपये प्रति व्यक्ति माफ होगा तो एक समय आ सकता है जब यह बोर्ड ही समाप्त हो जायेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार का अंकुश रहना

चाहिये क्योंकि अगर ऐसी अवस्था आयेगी और सरकार की भी ऐसी राय होगी कि यह रकम बट्टा खाते में डाली जाये तो उसमें कैबिनेट की ज्वांइंट रिस्पोंसिबिलिटी होगी। इसलिये जब ऐसी परिस्थिति हो तो सरकार की मंजूरी ली जाये।

ऐसी सूरत में अगर सरकार का अंकुश होगा तो वे भी एक चीज की विवेचना करेंगे और अगर वे भी इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो आप में और सरकार में कोई फर्क नहीं होगा। एक उच्च अधिकारी है और एक कैबिनेट से है अगर आप कंविंस कर सकते हैं तो आपको कैबिनेट की ही राय लेनी होगी। तो आपको क्या एतराज है, अगर सरकार का भी थोड़ा सा अंकुश रख दिया जाय ? वैसे आप बहुमत में हैं जो चाहें करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप वाजिद अली शाह न बनें और इस धन का, जो गरीबों से टैक्स द्वारा आता है, दुरुपयोग न हो।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, माननीय सदस्य का सुझाव बिलकुल असंगत है। रोज दुहाई दी जाती है कि आटोनोमस बोडीज बनायें, उनको अधिकार दें और जब सरकार अधिकार देती है तो कहा जाता है कि आप उनके अधिकार को रोकें। यहां बोर्ड को छोटा सा अधिकार दे रहे हैं उस पर माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार की फिर मंजूरी होनी चाहिये। मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ द्वारा प्रस्तावित नई धारा २५(क) की तृतीय पंक्ति में शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "तीन हजार" रख दिया जाय तथा खंड १४ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि बट्टा खाता में वसूल होने योग्य देयों को डालने से पहले राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १४ और १५ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६-२०

१६—मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्

नयी धारा का बढ़ाया जाना

अधिकारों तथा कृत्यों का प्रतिनिधान

"३१-क-बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों को, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, अधीन रहते हुए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय उप सभापति, या सचिव को इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कृत्यों को प्रतिनिहित कर सकता है जो वह उचित समझे।"

१७—मूल अधिनियम की धारा ३५ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नयी धारा का बढ़ाया जाना

"३५-क—खादी तथा ग्राम उद्योग के विकास के लिये बोर्ड द्वारा दिये गये किसी ऋण या अग्रिम धन या अनुदान के संबंध में यदि कोई धनराशि वसूल होने योग्य हो तो उसे विधि द्वारा व्यवस्थित किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।"

कतिपय देयों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

१८—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) में—

(१) खंड (क) तथा खंड (ख) निकाल दिये जायें;

(२) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) सचिव तथा लेखा अधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य"

१९—मूल अधिनियम की धारा ३७ की उपधारा (२) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) धारा १० की उपधारा (२) में अभिदिष्ट व्यक्तियों को नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें ; "

२०—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के सभापति या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा ५ का संशोधन किये जाने पर भी तब तक और केवल तब तक के लिये ही पद पर बना रहेगा जब तक कि उपर्युक्त संशोधन धारा ५ के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का पुनः संघटन न हो जाये।

(२) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) या धारा ३७ की उपधारा (२) के खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर जो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करें, किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को जो राज्य सरकार के अधीन सेवायोजित हो, बोर्ड को सौंप सकती है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि सचिव द्वारा प्रतिनिहित शक्तियों के अधीन की गई कार्य विवरणी पुष्टि हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में रखी जायेगी।"

यह इसलिये रखा है कि सेक्रेटरी के सारे कार्य कलाप बोर्ड के सामने आ जायं ताकि उसके ऊपर दोषारोपण न हो सकें और अगर कुछ मनमानी करना चाहे तो उसको बोर्ड रोक सके।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जैसा मेम्बर कह रहे हैं इसमें अधिकार तो दिया हुआ है कि बोर्ड अपनी पावर्स को रिव्यू कर सकता है। सचिव जो करेगा वह बोर्ड के सामने आ सकता है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि सचिव द्वारा प्रतिनिहित शक्तियों के अधीन की गई कार्य विवरणी पुष्टि हेतु बोर्ड की आगामी बैठक में रखी जायेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ से २० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० को आगे दिये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९६०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, निश्चित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९६६ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत सदन को यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक उपक्रम (बेरोजगारी रोकने के लिये विशेष उपबन्ध) विधेयक, १९६६ जो विधान सभा द्वारा ३ अगस्त, १९६६ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से, बिना किसी संशोधन के आज दिनांक १२ अगस्त, १९६६, को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव पर विवादार्थ तिथि निर्धारण (क्रमागत)

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष के खिलाफ हम लोगों ने एक अविश्वास का प्रस्ताव दिया था। उस पर कोई दिन मुकर्रर हो गया है?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो हो गया है। पहली तारीख को अनुज्ञा के लिये यहां रख दिया जायगा और अनुज्ञा मिल गयी तो उसी दिन उस पर बहस हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और बृहस्पतिवार १ सितम्बर, १९६६ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४४ मिनट पर बृहस्पतिवार १ सितम्बर, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१२ अगस्त, १९६६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० स० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

तहसील देवरिया के रुद्रपुर के बाढ़ के इलाके के १९६४ के बाढ़ खरीफ १३७२ फ० में १६ आना नुकसान पहुंचे हुये ग्रामों की सूची

क्रम-संख्या	नाम-ग्राम	क्रम-संख्या	नाम मौजा
१	पचरूखा	२०	रामपुर
२	बनियापार	२१	सोनबह मुस्तकिल
३	परास खांड़		सोनबह एहतमाली
४	सुल्तानी	२२	डोमर खोल
५	बैदा	२३	इस्लामाबाद
६	कोड़री	२४	नउआ बहुबाज
७	जगदीशपुर	२५	सिकरिया
८	बसडोला	२६	मनझरिया
९	सरांव बुजुर्ग	२७	पटवनिया
१०	भिसवा	२८	चक मुस्तफा
११	भगवान पुर	२९	जोत टांड़ी
१२	सरया		भटौली एहततमाली
		३०	बनकटी
१३	भरोहिया	३१	मढ़ौरा
१४	कैथवलिया	३२	मठिया पांडे
१५	लखना घाट	३३	बैतरहा मुड़ेरा
		३४	मुन्डेरा
			माझा नरायन
१६	पीड़हनी		एहतमाली
१७	नकईल	३५	सबदलपुर
१८	बिशुन पुरा	३६	भमोली
१९	जोत भिलोरा	३७	शिवनाथ पुर

पी० एस० यू० पी० –ए० पी० ११० एल० ए०—१९६६—८४६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा